शनिवार,
१९ दिसंबर, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

शनिवार, १९ दिसम्बर, १९५३

सदन की बैठक डढ़ बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(प्रश्न नहीं पूछे गये : भाग १ प्रकाशित नहीं हुआ)

सदन का कार्यक्रम

डा० लंका सुंदरम् (विशाखापटनम्) श्रीमान्, इस महीने की १७ तारीख को आपने सदन के नेता को कहा था कि वे इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें कि प्रेस (आपत्तिजनक सामग्री) संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में सरकार का क्या इरादा है। यह अधिनियम ३१ जनवरी, १९५४ को समाप्त हो रहा है। सदन के नेता ने यह वक्तव्य देने का वायदा किया था परन्तु कल उन्होंने यह वक्तव्य नहीं दिया।

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): बात यह है कि सदन समय के समाप्त होने से पहले इस विधेयक को नहीं निपटा सकता—जैसा कि स्पष्ट ही है—तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, कि यह अधिनियम ३१ जनवरी १९५४ को समाप्त होना है, एक अध्यादेश जारी करना पड़ेगा। हमने यह विधेयक निश्चित हो

इस विचार से रखा था कि सदन को मालूम हो जाय कि सरकार क्या करना चाहती है। सदन के अगले सत्र की तिथि निश्चित नहीं की गई। उसकी सूचना सदन के नेता आपको देंगे ही। मेरा विचार है कि फरवरी के मध्य में अगला सत्र प्रारम्भ होगा। यदि अध्यादेश जारी किया गया तो वह सदन पटल पर रखा जायगा और सदन विधेयक पर विचार कर सकेगा जो लगभग एक महीने में उसके सामने आयगा। परन्तु मैं सरकार की ओर से यह वचन नहीं दे सकता कि प्रेस सम्बन्धी अधिनियम रहेगा ही नहीं। यह महत्वपूर्ण मामला है और यदि विधान-कार्य अधिक होने के कारण इस पर विचार नहीं किया जा सकता तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आज तक की स्थिति तो यही है।

डा० लंका सुंदरम् : सदन के प्रति यह रवैया उचित नहीं है। मैंने पिछली बार भी इस बात की ओर ध्यान दिलाया था कि सत्रों के बीच में कई अध्यादेश जारी किए गए और इस बात की भी बड़ी सम्भावना है कि न केवल यह विधेयक बल्कि अन्य विधेयकों को भी अध्यादेशों का रूप दे दिया जायगा। अर्थात् कार्यपालिका की कार्यवाही द्वारा कानून बना दिया जायगा। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि विधेयकों को अध्यादेशों में परिवर्तित करने से पहले उन्हें संसदीय समितियों को सौंपा जाय जैसा कि पैप्सू सम्बन्धी विधेयकों के बारे में किया गया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह ढंग ऐसे विधेयकों को प्राथमिकता दिलाने के लिए उपनाया गया है जो सामान्यत:

[डा० लंका सुन्दरम]

सदन के सामने नहीं आएंगे । यह विधेयक तो कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति के सामने आया ही नहीं ।

श्री एस० सी चटर्जी (हुगली) : माननीय गृह मंत्री ने जो ढंग बताया है हम उसका विरोध करते हैं । सरकार को मालूम था कि इस अधिनियम की अवधि समाप्त हो रही है तो उसे विधान सम्बन्धी कार्य का क्रम उसी के अनुसार तय करना चाहिए था । इस प्रकार अध्यादेश जारी करना तो सदन के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना नहीं है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : सरकार को चाहिए था कि यह विधेयक पहले सदन के सामने रखा जाता । मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने इस विधेयक को स्थगित करके, अध्यादेश जारी करने के लिए गुंजाइश छोड़ दी है ।

अध्यक्ष महोदय : सरकार ने आवश्यक विधानों की सूची में इसे नहीं रखा था ?

डा० लंका सुंदरम् : जहां तक मुझे याद है, यह विधेयक कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति के सामने नहीं आया ।

डा० काटजू : मैं अपने माननीय मित्र श्री एन० सी० चटर्जी के निर्णय के सामने अपना सिर झुकाता हूं । मैं गम्भीरतापूर्वक बात कर रहा हूं । मेरा विचार था कि सरकार ने सदन के प्रति सद्व्यवहार किया है । संविधान में अध्यादेश जारी करने का उपबन्ध है और सदन द्वारा विधान बनाने का भी । और जब सदन का सत्र न हो रहा हो तो संविधान में उपरोक्त उपबन्ध तो है ही ।

मैं सदन को यह बताना चाहता था कि सरकार की मंशा आजकल यह है कि प्रेस अधिनियम के लागू रहने की अवधि एकाध वर्ष और बढ़ा दी जाय । मान लीजिए कि सरकार चुप रहती और जनवरी की १५, १६ या २९ तारीख को अध्यादेश जारी कर देती । उस दशा में संविधान, न्याय, तर्क या औचित्य के दृष्टिकोण से कोई भी आपत्ति न होती तो मेरे माननीय मित्र ने यह दोषारोपण किया है कि मैंने कोई अनुचित बात की है । सभी जानते हैं—माननीय सदस्य भी जानते हैं—कि इस अधिनियम की अवधि ३१ जनवरी को समाप्त हो रही है और भारत के समाचारपत्रों की जो स्थिति है उसे देखते हुए कोई भी सरकार उस अधिनियम को नहीं छोड़ सकती चाहे वह कितना ही क्यों न चाहती हो ।

अध्यक्ष महोदय : कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति को सरकार ने जिन विधेयकों की सूची दी थी, यदि यह विधेयक उसमें सम्मिलित होता तो समिति और ढंग से समय निश्चित करती । मैं आपत्ति उठाने वाले माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे यह न समझें कि सरकार की नीयत यही थी कि इस विधेयक पर विचार न हो और इस सम्बन्ध में एक अध्यादेश जारी किया जाय ।

डा० लंका सुंदरम् इस समिति के सामने जो विधेयक थे, वे सभी इस महीने की ७ तारीख को निपटा दिए गए थे। यह विधेयक १५ तारीख को पुर:स्थापित किया गया । इस सत्र के चार दिन और हैं । यह विधेयक कार्यक्रम में सम्मिलित किया जा सकता था ।

अध्यक्ष महोदव : ऐसा होता तो माननीय सदस्य स्वयं ही देख सकते थे कि इसके लिए प्राथमिकता चाहिए थी या नहीं । मेरा विचार है कि संवैधानिक दृष्टि से इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि सरकार जब चाहे अध्यादेश जारी कर सकती है ।

डा० लंका सुंदरम् : परन्तु आपात काल में ही ।

अध्यक्ष महोदय : "आपात काल" में नहीं वरन् "अत्यावश्यकता" होने पर। मेरे विचार में संविधान में "अत्यावश्यकता" शब्द का प्रयोग किया गया है। परन्तु जो भी हो कोई यह नहीं चाहता कि विधान पास किए जा सकने की सम्भावना रहते हुए भी अध्यादेश जारी किया जाय।

डा० काटजू : मुझे एक बात कहनी है। काम इतना अधिक है कि इस सदन के सामने बड़े महत्व के ऐसे विधेयक भी पड़े हैं जो इस वर्ष फरवरी में पुर:स्थापित किए गए थे। हम नियमित ढंग से सभी काम कर रहे हैं—मैं किसी को दोष नहीं दे रहा—और सभी कामों के लिए समय निश्चित है। अजमेर दरगाह ख्वाजा विधेयक पड़ा है और कई और भी हैं। परन्तु अब क्या हो सकता है? माननीय सदस्य निवारक निरोध अधिनियम पर वाद विवाद न करें तो प्रेस विधेयक पर विचार कर लें। मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं है। सम्भवत: वह एक ही दिन में समाप्त हो जायगा।

अध्यक्ष महोदय : हमें इस प्रश्न पर चर्चा बन्द करनी चाहिए।

डा० लंका सुंदरम् : अनुच्छेद १२२ बिल्कुल स्पष्ट है :

> "यदि किसी समय राष्ट्रपति का समाधान हो जाय कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिए उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां वर्तमान हैं....."

तो इस विधेयक के सम्बन्ध में ऐसी जल्दी क्या है?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तो राष्ट्रपति के विवेक का है और इस पर सदन का नियंत्रण नहीं हो सकता।

अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट

अध्यक्ष महोदय : अब सदन माननीय गृह मंत्री द्वारा रखे गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर और आगे विचार करेगा :

> "कि ३१ दिसम्बर १९५२ को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट पर विचार किया जाय।"

हमें यह काम एक घंटा ४० मिनट में समाप्त करना है।

माननीय मंत्री कितना समय लेंगे?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): बहुत सी बातें कही गई हैं मुझे उनका उत्तर देने के लिए २० या ३० मिनट चाहिएं।

अध्यक्ष महोदय : तो हमारे पास एक घंटा दस मिनट बचे। मैं चाहता हूं कि अधिकाधिक सदस्यों को बोलने का अवसर मिले।

श्री जांगड़े (बिलासपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मेरा सुझाव है कि यह समय दो घण्टे का हो।

अध्यक्ष महोदय : देखा जायगा। अभी और समय नहीं लगना चाहिए।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचितजातियां): अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि टाइम थोड़ा और बढ़ा दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : देखिए आप टाइम बढ़ाने के बजाय कर्टेल करते हैं। बीच में इन्टर्फिअरेन्स करके टाइम कर्टेल होता है।

श्री सारंगधर दास (ढेनकनाल—पश्चिम कटक) : कल मैं यह कह रहा था कि सरकार ने जिस ढंग से आदिम जातियों की उन्नति की समस्या को निपटाना शुरू किया है, वह ग़लत है। इसका कारण यह है कि इन लोगों की शिक्षा बिल्कुल अलग ढंग से होनी चाहिए।

[श्री सारंगधर दास]

मुझे मालूम है कि आदिम जातियों के लिए खोले गए स्कूलों में हमारे धर्म ग्रन्थ पढ़ाए जाते हैं परन्तु उनके अध्ययन से आदिम जातियों के लोगों को उतना लाभ नहीं पहुंच सकता जितना कि हमें पहुंचता है। एक यह बुरी बात है कि जहां आदिम जातियों के लड़के और लड़कियां पढ़ती हैं वहां छात्रावासों के अध्यक्ष पुरुष अध्यापक होते हैं।

अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि हरिजन बस्तियों में स्कूल बहुत कम हैं और दवाखाने तो हैं ही नहीं। मैंने यह भी कहा था कि इन स्कूलों में शिक्षा इंग्लैण्ड के पब्लिक स्कूलों की पद्धति पर होनी चाहिये। मेरा विचार है कि गांवों में कुछ वर्षों तक नए स्कूल बनाना बन्द कर दिया जाय जिससे कि हरिजनों और जन जातियों के लिए स्कूल बनाने के लिए धन जमा हो सके।

ये लोग भारत की बांकी जनता की तुलना में बहुत पिछड़े हुए हैं, इन की उन्नति के लिए अरबों रुपया चाहिए। पांच वर्ष के समय के लिए ४० करोड़ रुपया तो काफ़ी नहीं, फिर भी यही मिल जाय तो अच्छा है। देखना यह है कि यह धन उचित ढंग से खर्च किया जाय। मुझे इसमें अधिक दिलचस्पी है क्योंकि मैं जानता हूं कि यह धन नष्ट किया जाता है मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, एक जंगल में आदिम जातियों के ४० या ५० बच्चों की शिक्षा पर लगभग १ लाख रुपया खर्च किया गया है। दो वर्ष में ही इस स्कूल का भवन टूटने लगा है। मुझे मालूम है कि यह काम ऐसे ठेकेदार को मिला है जिस ने एक दल विशेष के लिए वोट इकट्ठे किए हैं।

इसी प्रकार छूतछात दूर करने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्त्ता रखे जा रहे हैं जिससे कि वे अगले चुनाव की तैयारी कर सकें। उड़ीसा में छतछात निवारण समिति में एक विरोधी दल के दो प्रतिनिधियों को छोड़ कर बाकी सभी कांग्रेसी हैं।

मुझे ऐसा लगता है कि राज्यों की सरकारें यह समझे बैठी हैं कि वही और उन्हीं का दल देश को आगे ले जा सकता है। यह गलत है। उन के दल से बाहर भी ऐसे लोग हैं जिन्हें अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों की उन्नति में दिलचस्पी है।

मुझे केवल यही कहना है कि आदिम जातियों की शिक्षा सर्वथा भिन्न ढंग से होनी चाहिए और गांवों में उनके लिए सफाई, पानी, डाक्टरी सहायता आदि की आवश्यकता की ओर, उन्हें कुछ छात्रवृत्तियां देने की अपेक्षा अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री एम० बी० वैश्य (अहमदाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां): अध्यक्ष महोदय, दो दिन से यह कमिश्नर की रिपोर्ट पर हमारे भाइयों ने चर्चा की। मैं इसके सब अमेंडमेंट्स को देख गया। इनमें कोई भी ऐसा भाई नहीं होगा जिसने न बताया हो कि हमारे लिये एक अलग मिनिस्ट्री की जाय। हमारे श्रीकान्त जी, जो स्वर्गीय पूज्य बापा के शिष्य हैं, उनके हाथ में आगे के वास्ते यह काम आ गया है, लेकिन उन अकेले के हाथ से यह सारा काम निबट नहीं सकता। यह तो सात करोड़ हरिजनों और आदिवासियों और अलग से जितने बैकवर्ड क्लासेज के लोग हैं, क़रीब १२ करोड़ की जनता पिछड़ी हुई गिनी जाती है, उनका प्रश्न है। यह भारत की एक तिहाई मानव जाति का प्रश्न है। उसके लिये हमारी सरकार अगर रुपये, आने और पाई से हिसाब करेगी तो यह काम कैसे चल सकता है। इस देश की इन जातियों को उठाने के लिये तो जितना ज्यादा से ज्यादा खर्च हो सके, करना चाहिये, क्योंकि जैसे एक लोहे की जंजीर टूट जाय तो वह मज़बूत करनी

पड़ती है, उसी तरह इन एक तिहाई भारत-वासियों को ऊपर उठाने के लिये, उनको शिक्षा देने के लिये, उनका जीवन सुधारने के लिये, हमारी गवर्नमेंट को बहुत कुछ खर्च करना चाहिये। मैं आपको बताऊं कि सन् १९१७ से पूज्य महात्मा गांधी के साथ हम को रहना पड़ा है। सन् १९१८ में वह एक अस्पृश्य परिषद् के अध्यक्ष थे, वहां से उन्होंने जो फ़रमाया था वह आपको सुनाता हूं। वहां हम लोगों ने उन को जो हमारी दशा थी वह बताई थी और उन्होंने भी देश भर में घूम कर अछूतों की क्या दशा है वह भली भांति समझ ली थी। उन्होंने अध्यक्षता के मंच से फरमाया कि अगर मेरे मरने से पहले इस अस्पृश्यता का काम खत्म नहीं हुआ तो मैं भगवान् से यह प्रार्थना नहीं करूंगा कि मुझे स्वर्ग मिले, किन्तु भगवान् से यह प्रार्थना करूंगा कि भंगी के यहां जन्म लेकर मैं अपना अधूरा काम फिर पूरा कर सकूं। यह हमारे राष्ट्र-पिता पूज्य गांधीजी के विचार थे, जिन को हम राष्ट्रपिता के नाम से पुकारते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर उन के राज्यकीय वारिस बने हुए हैं और हमारी कांग्रेस सरकार महात्मा गांधीजी के आदर्श पर चलने वाली है, उन्हीं राष्ट्रपिता के आदर्शों व जिनके प्रयत्न से यह सारा भारतवर्ष स्वतन्त्र हुआ वही इन अछूतों और बनवासियों के लिये अब जो भाई इस समय यहां पार्लियामेंट में हैं वह हमारी सर-कार से और सरकार से ही नहीं, सब मैम्बरों से यह अपना हक़ मांग रहे हैं कि आप को चाहिये कि आप उन की सब तरह से सहायता करें।

हमारे लिये मन्दिरों की क्या दशा है, हमारे सन्त भावेजी पर वहां वैद्यनाथ के मन्दिर में क्या हुआ, यह अब आप को क्या सुनाऊं। कुओं पर पानी भरने के लिये हमारे ही बड़ौदा स्टेट में मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में माथासूल गांव में गत चौथी तारीख़ को हरिजनों द्वारा सरकार को इत्तिला देने पर और पुलिस के बन्दोबस्त के साथ वे हरिजन सवर्ण हिन्दुओं के कुओं पर पानी भरने के लिये गये। तो वह उस वक्त तो चले गये। पर जब रात अंधेरी हुई तो उस गांव के पट्टीदार ही नहीं बल्कि इर्द गिर्द के भी पट्टीदारों ने—सबने मिल कर अछूतों की बस्ती पर हमला किया और बड़ी भयंकर मार पीट की। उन के घरों को नुकसान पहुंचाया, उन की साल और रेंटिया तोड़ दिये यह कारोबार तो पानी भरने पर हुआ है। यह खबर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को मिली है और वह अब इस को देख रहे हैं। और सब कुछ ठीक कर रहे हैं। तो भी उस गांव के हरिजन काफी खतरे में हैं और इस तरह की हालत पानी भरने के लिये है।

अब आप देखेंगे कि जो ६०० राजे महा-राजे थे उन को आप ने समझा कर यहां रैयत बना दिया है। लेकिन हमारे लिये जहां बस्तियां हैं, वह कई जगह ज़मींदारों की ज़मीन पर हैं; आज भी उन हरिजनों को बेगार करनी पड़ती है आज भी उन को मुफ्त काम करना पड़ता है। क़ायदे में तो बेगार छोड़ दी गयी है, लेकिन वह क्या करें, क्योंकि उन जमीदारों की ज़मीन पर वह रहते हैं। अगर वे थोड़ा सा भी सिर ऊंचा करें, यह हरिजन, चमार या भंगी ज़रा भी अकड़ते हैं तो घर से उन को बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिये मेरी तो सरकार से प्रार्थना है कि जमींदारी आपने खत्म की तो कम से कम जिस ज़मीन पर ये हरिजन रहते हैं वह तो सरकार को इन ज़मीं-दारों से छुड़ा देनी चाहिये, या एक बार करके हरिजनों को दे देनी चाहिये। एक दफा मैंने हमारे पूज्य खेर साहब को कहा था कि अगर आप को हरिजन मोहल्ला देखना हो तो आप को कोई किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। वह तो गांव के बाहर गन्दी से गन्दी जगह होगी, जहां कूड़ा करकट गांव का इकट्ठा होता होगा। वहीं हमारे हरिजनों का मोहल्ला होगा जहां म्यूनिसिपैलिटी कूड़ा डलवाती है

[श्री एम० बी० वैश्य]

वहां हरिजनों की बस्ती होगी उसी जगह पर जाज़रूर होते हैं। आप देखेंगे कि हरिजनों की बस्ती के पास में ही म्यूनिसिपैलिटी की तरफ़ से सार्वजनिक जाजरू बनाए जाते हैं। यही दशा आज भी बनी हुई है। हम तो आशा रखते थे कि जब पूज्य महात्मा जी की तरफ़ से हमारा राज्य होगा तो इन १२ कोटि से अधिक जनता के साथ अच्छा बरताव होगा।

अब अभी काम तो ज़रूर कुछ चल रहा है, लेकिन वह मन्द गति से चलता है और इस तरह से काशी कैसे पहुंचा जायगा। दस वर्ष में तो सारा काम करने की आपने संविधान में अवधि रखी है कि इन हरिजनों को ऊंची जातियों के लोगों के साथ मिला देना है। लेकिन इस तरह से क़ाम चलेगा तो हम को काशी पहुंचना बड़ा मुश्किल है। मैं तो यह विनती करता हूं कि कम से कम इन लोगों की ऐजूकेशन के लिये, विद्या के लिये, बहुत कुछ करना चाहिये। मैंने रिपोर्ट में देखा कि केवल ११ महीने में हमारे ४ हजार कैंडिडेट ने एम्प्लायमेंट ब्यूरो में अर्जियां दी हैं। इतनी बेकारी हमारे अन्दर बढ़ गयी है। हम इसलिये आप से कहते हैं कि कोई भी आफिस ऐसा नहीं हो, कोई भी मिनिस्ट्री ऐसी न हो कि जहां कम से कम १२ प्रतिशत हमारे लोग न हों। वहां होने पर और लोग भी पढ़ेंगे। अगर हमारे भाई वहां नौकर हो जाते हैं तो और माता पिता जो हरिजन होते हैं, वह अपने बच्चों को पढ़ाने के लिये उत्सुक बन जाते हैं। लेकिन जब जो पढ़े लिखे हैं उन को ही नौकरी नहीं मिलती तो वह कहते हैं कि हमें पढ़ाने की क्या ज़रूरत है; पढ़ाने के बाद इन को हमारी गवर्नमेंट में नौकरी तो मिलती नहीं है। हम देखते हैं कि कई डबल ग्रेजुएट हैं, उन को भी बैठे रहना पड़ता है। इस तरह जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं उन को नौकरी जल्द नहीं मिलती, यह दशा है। कम से कम इस को तो सुधारना चाहिये। यह मानव जाति का प्रश्न है। मैं ख़ास तौर से हमारे सदस्यगणों से भी विनती करता हूं कि सरकार तो केवल क़ायदा बना देगी, केवल इससे काम नहीं चलेगा। सरकार के क़ायदे से तो हमें थोड़ा लकड़ी अटकाने का सहारा मिल जाता है, लेकिन जब तक जनता सहायता नहीं करेगी तब तक काम नहीं चलेगा। इसलिये जनता की सहायता की ज़रूरत है।

एक भाई ने कल कहा था कि मिनिस्टरों को हर एक को प्राइवेट नौकरी में हरिजनों को रखना चाहिये। हम लोग यह नहीं चाहते कि हमारे लोग केवल प्योन और कुक ही बने रहें, लेकिन वह इसलिये कहा है कि इस तरह से रहने से वह उन आदमियों के संसर्ग में आवेंगे और महसूस करेंगे कि हम भी मनुष्य हैं। महात्मा गांधी ने तो हमें मनुष्य बना दिया लेकिन अब वही हिन्दू धर्म के फौलोअर्स (अनुयायी) इन को नीचे गिरा रहे हैं। उन को चाहिये कि वह हमारी मदद करें। एक बहन ने कहा था कि अंग्रेज मिशनरियों ने वहां आसाम में आकर कितना अच्छा काम किया। उन्होंने क्या किया? जो कोई भी क्रिश्चियन थे उन को ज़रा सहायता दी है तो वह उनका बन जाता है।

मैं गये साल जब पटियाला गया था तो वहां अपने हरिजन भाइयों को देख कर दंग हो गया कि वह सारे के सारे सिक्ख हो गये थे। वहां पर उन हरिजन भाइयों की सिक्खों ने मदद की होगी, इसलिये वह सिक्ख हो गये और आज भी आप देखते हैं कि देश भर में जो हमारे क्रिश्चियन भाई लोग हैं, वह ज्यादातर ऐसे गरीब, निर्धन और दबी हुई जातियों के हैं और उन पददलित लोगों का जब आप हाथ नहीं पकड़ते, तो विवश होकर दूसरा जब उनको हाथ से पकड़ कर ऊपर उठाता है, तो वे उसके साथ हो जाते हैं। इसलिए यह हमारा सबका

धर्म और कर्तव्य हो जाता है कि इस अछूतोद्धार के काम में उनकी उन्नति करने के काम में सब जाति के लोगों को बिना धर्म का भेदभाव किये और बिना पार्टी का ख्याल किये सब को इस काम में लग जाना चाहिये, यह अकेले कांग्रेस वालों का ही काम नहीं है, बल्कि यह तो एक नेशनल प्राबलम है, और सब को इस काम में जुट जाना चाहिये । आपके सिर्फ़ यहां एक क़ानून बना देने से कि हमने तो यह क़ानून बना दिया है कि जो कोई तुमको अछूत मानेगा, तो हम उसको जेल भेज देंगे, यह कहना पर्याप्त नहीं होगा, आपके एक भाई को दंड देने और जेल में भेज देने से इस समस्या का हल नहीं होने वाला है, यह देशव्यापी समस्या है और इसके लिए गांव गांव में जाकर प्रचार करना चाहिये और सवर्ण हिन्दुओं में जो यह छूआछूत की भावना भरी हुई है, उसको ख़त्म करना है । जहां तक सरकार द्वारा आवश्यक क़ानून बनाने का सवाल है, हम उसका स्वागत करते हैं और हमारा पूरा सहयोग और समर्थन सरकार के साथ है, पर इतने ही से काम बनने वाला नहीं है, इसके लिए तो पूरे हिन्दू समाज में आमूल परिवर्तन करना है, उनके हृदयों को पलटना है, जब तक यह नहीं होगा, तब तक हमारा बेड़ा पार होने वाला नहीं है । इसलिए मैं तो अपने श्री कैलाशनाथ भगवान् से यह प्रार्थना करता हूं कि आप रुपये, आना और पाई में इस विषय में हिसाब मत कीजिये । मैं तो आपसे कहता हूं कि हमें कोई नयी मिनिस्ट्री अथवा मिनिस्टर की ज़रूरत नहीं है, आप ही इसके लिए काफ़ी हैं, आप ही इसके भी मिनिस्टर बने रहिये और आप अगर चौबीसों घन्टे मनसा, वाचा और कर्मना केवल हरिजन जाति का काम करें तो हमें कोई एक अलग मिनिस्टर की ज़रूरत नहीं है ।

मैं गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ की ओर से अकेला मेम्बर यहां पर आया हूं, अध्यक्ष महोदय आपने इस विषय पर मुझे जो बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपको बहुत ही धन्यवाद देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री तिम्मय्या ।

डा० रामाराव (काकिनाडा) : मैं यह बता दूं श्रीमान् कि साम्यवादी सदस्यों में से एक भी वक्ता का नाम नहीं लिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समय को उचित रूप से वितरित करने का भरसक प्रयत्न कर रहा हूं । सभी सदस्यों को समय देना असम्भव है ।

श्री एन० राचय्या (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं पिछले तीन दिनों से अवसर मांग रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति ।

श्री तिम्मय्या : (कोलार—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : अध्यक्ष महोदय, इस विष पर आपने मुझे विचार व्यक्त करने का जो अवसर दिया है उसके लिये मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं । पिछले प्रतिवेदन में श्री श्रीकान्तन ने यह सुझाव प्रस्तुत किया था कि अस्पृश्यता निवारण के लिये केन्द्रीय विधान आवश्यक है । माननीय गृहमंत्री अस्पृश्यता प्रथा को हस्तक्षेप योग्य अपराध बनाने के आशय से एक केन्द्रीय विधान का पुरःस्थापन करने जा रहे हैं । किन्तु मैं इस प्रकार के केन्द्रीय विधान से सन्तुष्ट नहीं हूं । सरकार को विधान बनातें समय यह भी देखना चाहिये कि क्या उसकी समुचित और प्रभावी रूप में अभिपूर्ति हो रही ह । जनता को विदित होना चाहिये कि इस तरह का विधान है । नियम बना कर उसे पुस्तकों में रख देने सें क्या होता है । यह केवल प्रदर्शन मात्र है ।

माननीय मंत्री जी को मैं यह भी बता दूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक शोषण का मूल कारण अस्पृश्यता है । जब तक देश म अस्पृश्यता है

[श्री तिम्मय्या]

अनुसूचित जाति के लोगों के मस्तिष्क में इसकी प्रतिक्रिया बनी रहना अवश्यम्भावी है जो देश की एकता के लिये लाभदायक नहीं है । सरकार को यह तथ्य विस्मरण न कर यथाशीघ्र उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये। माननीय गृह कार्य उपमंत्री ने पिछली बार कहा था कि आर्थिक सुधार के विषय में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ पृथक् व्यवहार नहीं किया जा सकता । किन्तु मैं कहना चाहता हूं कि यदि सरकार ने इन जातियों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया तो कई शताब्दियों तक उनकी अवस्था में सुधार नहीं हो सकता । पंचवर्षीय योजना से केवल उच्च वर्ग को ही लाभ होगा जो हरिजनों से उच्च स्तर पर हैं । जब तक सरकार कुछ भूमि उनके नियंत्रण में कर उन्हें कृषक बनाने के लिये प्रोत्साहन प्रदान नहीं करती है, उनकी आर्थिक दशा में कभी सुधार नहीं हो सकता ।

जहां तक गृह उद्योगों का सम्बन्ध है मैंने राज्यों में देखा है कि सरकार उन्हीं व्यक्तियों को ऋण देती है जो जमानत दिला सकने में समर्थ हों । अनुसूचित जाति के लोग निर्धन हैं वे जमानत की व्यवस्था नहीं कर सकते अतः उन्हें ऋण प्राप्त नहीं हो पाते हैं । आजकल भूदान आन्दोलन प्रगति पर है और सरकार के नियंत्रण में बहुत सी भूमि है । हरिजनों को भूमि देकर एक कृषक बस्ती का निर्माण करने में सरकार को सहायता प्रदान करनी चाहिये । मैं नहीं कहता कि सरकार केवल हरिजनों के लिये ही एक अलग बस्ती का निर्माण करें । आप ऐसे सवर्ण हिन्दुओं को ले सकते हैं जिनके पास भूमि नहीं है और हरिजनों के साथ- साथ कृषक बस्ती की रचना म उनकी मदद कर सकते हैं ।

देश में अनेक सरकारी और निजी कारखाने हैं । उन सब पर दूसरे व्याक्तयों का एकाधिकार है । हरिजनों और आदिम जाति के युवकों को इन कारखानों में कभी जगह नहीं मिलती है । हरिजनों को वित्तीय सहायता देकर प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिये । इस तरह हरिजन युवक और युवतियां सरलतापूर्वक नौकरी करने योग्य बन सकेंगे । टेलीफोन (दूर भाष) कारखाने में उन्हें कोई स्थान नहीं दिया गया है । मशीन के पुर्जे बनाने वाले कारखाने में भी एक या दो हरिजन लिये गये हैं । यदि आप अधिकारियों से पूछें तो वे कहेंगे कि हमने दो-तीन हरिजन ले लिये हैं । हरिजन जाति के प्रतिनिधि वहां हैं; इतना ही पर्याप्त है ।

सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में गृह-मंत्रालय द्वारा जारी किया एक आदेश है कि १६ २/३ प्रतिशत नान-गजेटेड स्थान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सुरक्षित रहना चाहिये तथा गजेटेड स्थानों में से १२ प्रतिशत स्थान उनके लिये रक्षित रहने चाहिये । मुझे यह कहते दुःख है कि इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है । मैं एक और बात की ओर आता हूं । लोकसेवा आयोग आम तौर से विज्ञापन प्रकाशित कराते हैं कि अमुक संख्या में नौकरियां अनुसूचित जाति के लोगों के लिये रक्षित हैं और वे उन विज्ञापनों के अन्त में एक खण्ड रखते हैं कि यदि उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हुए तो उन स्थानों को अनुसूचित जाति की दृष्टि से अरक्षित समझ लिया जायेगा । विज्ञापनों में प्रयुक्त 'उपयुक्त' शब्द अस्पष्ट है । यह निश्चित नहीं है । मैं नहीं समझता कि 'उपयुक्त' शब्द का क्या अभिप्राय है । क्या इसका यह अर्थ है कि जब अर्ह उम्मीदवार प्रार्थना पत्र नहीं देते हैं तो इन स्थानों को उनकी दृष्टि से अरक्षित समझ लिया जायेगा । माननीय मंत्री को इसे स्पष्ट कर देना चाहिये । मेरी प्रार्थना है कि कम से कम दस वर्ष के लिये

जिसके लिये आपने उन्हें संवैधानिक रक्षण प्रदान किया है उतने समय तक केन्द्रीय लोक सेवा आयोग में अनुसूचित जाति और आदिम जातियों की ओर प्रतिनिधान होना चाहिये। यह अत्यन्त आवश्यक है।

सरकार के ध्यान देने योग्य दूसरी बात यह है कि अनुसूचित जाति वाले लोग अनादि काल से सामाजिक उत्पीड़न सह रहे हैं। आज भी वे ऐसे अनेक कार्य करते हैं जिन्हें कोई मनुष्य नहीं करेगा। यदि वे नौकरी चाहते हैं और आप उन्हें नहीं देते हैं तो उनके भाग्य का क्या होगा ? वे क्योंकर उन्नति कर सकते हैं। स्वयं राष्ट्र के हित की दृष्टि से भी उन्हें सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधान दिया जाना चाहिये।

अन्त में मैं सदन की दृष्टि में एक तथ्य और उपस्थित करना चाहता हूं। प्रत्येक राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जाति और आदिम जाति के सदस्य समुचित संख्या में उपस्थित हैं किन्तु मंत्रिमंडल में आपको उनका उपयुक्त प्रतिनिधान नहीं मिलेगा। राज्यों और केन्द्र के सम्बन्ध में यह बात समान रूप से लागू है। माननीय गृह-मंत्री यह बात मुझ से भी अधिक अच्छे रूप में जानते हैं। भारत के इतिहास में हम प्रथम बार निर्वाचित हुए हैं और महात्मा गांधी की अनुकम्पा से आज हम यहां उपस्थित हैं। आज जबकि देश में संवैधानिक सरकार शासन संचालन कर रही है तो स्वभावतः ही हम उम्मीद करते हैं कि मंत्रिमण्डल में हमारा उचित संख्या में प्रतिनिधित्व होना चाहिये। यह अत्यन्त आवश्यक है।

मुझे उम्मीद है कि गृह मंत्री हमारी भावनाओं पर विचार करेंगे।

श्री गिरधारी भोय (कालाहांडी बोलनगिर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मेरी मातृभाषा—उड़ीया—में बोलने की जो अनुमति दी है उसके लिये मैं आपका कृतज्ञ हूं। मैं आदिवासी हूं और सदा से ही हमारी जाति जंगलों और पर्वतों के स्वच्छन्द वातावरण में रहती रही है। किन्तु यह दुखद तथ्य है कि भारतीय स्वतन्त्रता के पश्चात् हमारी स्वतन्त्रता का हनन हो गया है। पहले हमारे अपने शासक थे और उन शाही दरबारों के शासन काल में हमें बिना किसी प्रतिबन्ध के खेती के लिये भूमि तैयार करने की अनुमति थी। इसके अतिरिक्त लकड़ी तथा जंगल की अन्य उपज उन्हें मुफ्त में मिल जाती थी। भारत के स्वतन्त्र होने पर, देशी राज्यों के प्रान्तों में मिल जाने के बाद यह सब सुविधाएं हमसे बलात् छीन ली गई। हमने मांग की कि हमें वे सब पुरानी सुविधाएं दी जायं अथवा वही पुराना शासन स्थापित कर दिया जाये। जब मैंने एक सार्वजनिक सभा में यह बात कही तो मुझे लम्बे-लम्बे आठ महीने का कारावास भुगतना पड़ा। मुझे उसके लिये पश्चाताप अथवा खेद नहीं है क्योंकि इसी त्याग के फलस्वरूप मैं लोक सभा के लिये निर्वाचित हो सका हूं। कांग्रेस द्वारा खड़ा किया विरोधी उम्मीदवार असफल रहा।

आदिम जातियों के हितों की रक्षा के लिये विधान में कतिपय उपबन्ध दिये गये हैं। केन्द्र तथा राज्य उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये रुपया खर्च कर रहे हैं। इस कार्य के लिये पृथक् आयुक्तों की नियुक्ति की गई है किन्तु १९५२ के आयुक्त के प्रतिवेदन से मालूम हुआ है कि समस्त राज्य सरकारों ने आयुक्त के संचारी पत्रों का उपयुक्त उत्तर तक नहीं दिया है। अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि सरकार उड़ीसा में सेवाश्रमों और आश्रम पाठशालाओं के भवन निर्माण में सहस्रों रुपये व्यय कर रही है किन्तु इनके ठेके देने में भ्रष्टाचार और पक्षपात व्याप्त है। इस बरबादी को एक दम रोकना चाहिये। कई स्थानों में मकानों की दीवारें

[श्री गिरधारी भोय]

टूट रही हैं, उनकी दरारों में से चांद और सूरज झांकते हैं, दवाइयों की सुविधा नहीं है, धोबी, नाई और विद्यार्थी वर्ग के लिये उचित भोजन का अभाव है। कांग्रेस के चुनाव प्रचारक अध्यापक तथा सामाजिक कार्यकर्ता नियुक्त किये जा रहे हैं। संक्षेप में रुपया व्यर्थ खर्च किया जा रहा है। निर्धन विद्यार्थियों को उचित समय पर छात्रवृत्तियां न मिलने से घोर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आयुक्त की सिफारिश के अनुसार छः महीने का वेतन प्रधान अध्यापक के पास सरकार द्वारा जमा कर दिया जाना चाहिये।

सरकार ने आदिम जातियों की उस प्रथा पर भी रोक लगा दी है जिसके अनुसार वे राज्य के पर्वतीय भाग में पुराने तरीके से कृषि कर रहे थे। यह इस आधार पर किया गया है कि जंगलों को इससे क्षति होती है। किन्तु इसका परिणाम यह हुआ कि हजारों की संख्या में आदिवासी क्षुधित और बेरोजगारी की अवस्था में इधर-उधर घूम रहे हैं। सरकार को चाहिये कि वह उन लोगों के पुनर्वास और भूमि के निःशुल्क उपबन्ध की व्यवस्था करे और उन्हें ढोर, हल, बीज तथा खेती की दूसरी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराये। आयुक्त ने इस पर संतोष व्यक्त किया है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र "जूनागढ़" में एक सामुदायिक योजना आरम्भ की गई है। किन्तु इस क्षेत्र में भी इने गिने ब्राह्मण परिवारों ने भूमि अपने अधिकार में कर रखी है। सरकार को ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिये कि आदिम जातियों और हरिजनों के अधिकार से भूमि भविष्य में अन्य जातियों के अधिकार में न दी जाये। ये ब्राह्मण, जिनका जन्मजात कार्य आदिवासियों और हरिजनों को ठगना रहा है अब दुर्नीति से प्राप्त भूमि की रक्षा के लिये कांग्रेस नेता बन बैठे हैं। सामुदायिक योजना के संचालन में भी भ्रष्टाचार, पक्षपात का उद्भव हो गया है। उपबन्ध यह है कि मैट्रिक पास व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता नियुक्त किये जाने चाहिये किन्तु इसके स्थान पर तीसरी श्रेणी पास व्यक्तियों को केवल इसलिये नियुक्त किया जारहा है कि वे कांग्रेस दल के प्रचारक हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बोलनगिर जिले में अयोग्यता दूर करने के लिये अनेक वर्षों से प्रयत्न जारी हैं किन्तु यह लज्जा की बात है कि जब मेरे दल—गणतन्त्र परिषद्—के एक सदस्य ने सामाजिक अयोग्यता निवारक अधिनियम उड़ीसा की राज्य विधान सभा में उपस्थित किया तो स्वयं अपने आपको गांधी जी के अनुयायी कहने वाले कांग्रेसी सदस्यों ने उसका विरोध किया। यद्यपि ऐसे कार्य अन्य राज्यों में हस्तक्षेप योग्य अपराध माने जाते हैं किन्तु उड़ीसा में ऐसा नहीं है। आयुक्त ने दिवंगत नेता डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी की सिफारिशों की प्रशंसा की है। संकुचित वृत्ति दूर करने के लिये शिक्षा और प्रचार करने की आयुक्त की सिफारिशों का मैं पूर्णतया समर्थन करता हूं। जब अनुसूचित जाति के हमारे बंधु अपने विध्यसंगत और संवैधानिक अधिकारों के लिये न्यायालयों की शरण लेते हैं तो सरकार का कर्तव्य है कि वह उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता देने की व्यवस्था करे।

अतः जनजाति और अनुसूचित जातियों की भलाई और संवृद्धि के लिये आयुक्त द्वारा की गई सिफारिशों को शीघ्र ही प्रभावी बनाने के लिये सरकार को प्रयत्न करना चाहिये।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : आयुक्त के प्रतिवेदन के भाग १६ में उनकी उस जांच पड़ताल की चर्चा है जो उन्होंने आंग्ल-भारतीय समाज के लिये उपबंधित संरक्षणों के निष्पादन के सम्बन्ध में की थी। मैं उस प्रतिवेदन की बहुत कटु आलो-

चना नहीं करना चाहता, यद्यपि गत वर्ष मैंने ऐसा किया था।

इस वर्ष यह प्रतिवेदन कुछ विस्तृत है—बहुत संक्षिप्त नहीं। परन्तु मैं यह समझता हूं कि यदि आयुक्त द्वारा अखिल-भारत आंग्ल-भारतीय संघ के साथ और अधिक सम्पर्क रखा जाता तो यह प्रतिवेदन और पूर्ण हो सकता था। देश भर में यही एक ऐसा संगठन है जो हमारे आंग्ल भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करता है। इसके द्वारा उन्हें वे आंकड़े और जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं, जो किसी अन्य ज़रिये से नहीं प्राप्त हो सकतीं। अभी हाल ही में आयुक्त से मेरी बातचीत हुई थी और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे कुछ सन्देह उन्होंने दूर कर दिये हैं।

सर्वप्रथम मैं नौकरी के प्रश्न की चर्चा करूंगा। संविधान के अनुच्छेद ३३६ के द्वारा कुछ सेवाओं में आंग्ल-भारतीय समाज के लिये कुछ रक्षणों की व्यवस्था की गई है। परन्तु फिर भी मेरे समाज में बेकारी बहुत ज़ोरों से फैली हुई है। मेरा अनुमान है कि आंग्ल-भारतीय समाज के कम से कम ३० प्रति शत योग्य व्यक्ति बेकार बैठे हुए हैं। मैं मानता हूं कि यही दशा अन्य जाति के लोगों की भी है। आयुक्त ने इस सम्बन्ध में यह बात ठीक कही है कि कुछ सेवाओं में आंग्ल-भारतीयों के लिये जो रक्षण किये हैं, उन पर नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं। उनका यह कहना है कि ये स्थान इसलिये रिक्त पड़े हुए हैं क्योंकि योग्य व्यक्ति नहीं आते। उनके इस तर्क से मैं असहमत हूं। योग्य व्यक्तियों की कमी कदापि नहीं है। सच तो यह है कि अनेक योग्य व्यक्ति बेकार पड़े हुए हैं और उनको कोई काम ही नहीं मिलता। उक्त रिक्त स्थानों पर नियुक्तियां न होने के कई कारण हैं, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं:

पहली बात तो यह है कि इन रिक्त स्थानों का उचित रूप से विज्ञापन नहीं किया जाता। इनका विज्ञापन ऐसे पत्रों में किया जाता है, जिनको हमारे समाज के लोग नहीं पढ़ते हैं। उदाहरणार्थ "हिन्दुस्तान टाइम्स" एक ऐसा ही पत्र है।

दूसरा कारण यह है कि अक्सर इनकी सूचनाएं बहुत देर से भेजी जाती हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इन सूचनाओं की प्रतियां आवेदन पत्र के लिये निश्चित अन्तिम तिथि से केवल एक सप्ताह पूर्व हमें मिलती हैं।

एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि इस सम्बन्ध में कुछ सरकारी विभाग किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं लेते। । आयुक्त ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि रिक्त स्थानों की सूचनाओं की प्रतियां आंग्ल-भारतीय संघ को भेजी जानी चाहियें। पर खेद है कि वास्तविकता में ऐसा होता नहीं। रेल तथा डाक और तार विभाग को ऐसी कुछ थोड़ी सी सूचनायें भेज देते हैं—पर वे भी सारी सूचनायें भेजने का कष्ट नहीं करते हैं। कुछ विभाग तो इतने उदासीन रहते हैं कि वे इस सम्बन्ध के मामूली से पत्रों का उत्तर भी महीनों बाद देते हैं—और वह उत्तर भी अस्पष्ट ही होता है। इस वर्ष जुलाई में मैंने केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को एक पत्र लिखा था जिसमें मैंने उनसे कहा था कि सरकारी प्रथा के अनुसार रिक्त स्थानों की सूचनायें अखिल भारत आंग्ल-भारतीय संघ के मुख्यालय को भेज दी जाया करें। कई महीनों के बाद उन्होंने यह छोटा सा उत्तर दिया है कि इस सम्बन्ध में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। ऐसी दशा में हम लोगों को दिये गये रक्षणों का अर्थ क्या रह जाता है?

मुझ को यह भी बताया गया है कि आवेदन पत्रों के रेजिस्ट्री द्वारा बार बार भेजे जाने पर भी योग्य व्यक्तियों को नहीं बुलाया जाता। यह अत्यन्त अशोभनीय और अनुचित बात है। यहां पर मैं यह भी बता दूं कि कुछ समय पूर्व मैंने दिल्ली के केन्द्रीय उत्पादन कर निदेशालय से उस विभाग में काम करने वाले आंग्ल-

[श्री फ्रैंक एन्थनी]

भारतियों के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े मंगवाये पर उन्होंने वे आंकड़े नहीं दिये और न ही उन्होंने मुझे अपने किसी आदमी को भेज कर उनको जमा करने की अनुमति दी । यह सरासर धांधली है और बहुत भद्दी बात है । मैं गृह-मंत्री से इस विषय पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिये कहूंगा ।

इसी प्रसंग में मैं एक बात और कहना चाहता हूं । संविधान के अनुच्छेद ३३७ के अधीन आंग्ल-भारतीय समाज को शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ विशिष्ट प्रत्याभूतियां प्रदान की गई हैं । उसमें एक नियोगीय उपबन्ध यह कि संविधान के लागू होने के तीन वर्ष बाद तक, अर्थात् १९५०–५३ के काल में, वही अनुदान दिये जायें जो कि वित्तीय वर्ष १९४७–४८ में दिये गये थे । परन्तु खेद है कि हुआ इसके विपरीत है । आयुक्त ने इस विषय में अपने प्रतिवेदन में कुछ भी नहीं कहा है । कदाचित् उनको इस सम्बन्ध म सारी बातें मालूम नहीं हैं । मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मद्रास और उत्तर प्रदेश में इस संवैधानिक प्रत्याभूति का जानबूझ कर और अवैध रूप से उल्लंघन किया गया है । इन दोनों राज्यों की सरकारों ने आंग्ल-भारतीय शिक्षा संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदानों में बराबर काफी कमी की है । एसा क्यों किया जाता है––यह समझ में नहीं आता । उक्त शिक्षा संस्थायें भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी सेवा कर रही हैं और इनके द्वारा न केवल आंग्ल-भारतियों को ही बल्कि गैर आंग्ल-भारतियों को भी बहुत लाभ पहुंच रहा है । फिर ऐसा क्यों किया जाता है ? उक्त अनुदानों में इस प्रकार की कटौतियों से बेचारे दरिद्र और अनाथ बच्चों को ही अधिक हानि पहुंचती है । शिक्षा संस्थाओं पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । अतः मैं अपील करता हूं कि माननीय गृह-मंत्री इस विषय पर शीघ्र ही उचित ध्यान देने की कृपा करें । संविधान के द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों को उचित रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : श्री अजीत सिंह ।

श्री गणपति राम (जिला जौनपुर––पूर्व––रक्षित––अनुसूचित जातियां): मेहतर समाज के एकमात्र प्रतिनिधि श्री बाल्मीकि को बोलने का मौका दिया जाय ।

श्री एन० राचय्या : मैं तीन दिन से बोलने का अवसर मांग रहा हूं परन्तु आपने हम लोगों को अभी तक कोई मौका नहीं दिया ।

श्री उइक (मंडला-जबलपुर दक्षिण––रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां): आप आगे वालों को मौका दे रहे हैं । हम जो पीछे बैठे हैं, हमारी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिये ।

श्री बाल्मीकि : अस्पृश्यता का सारा भार मेहतरों पर है ।

अध्यक्ष महोदय शान्ति, शान्ति । चालीस, पचास सदस्यों ने बोलने का मौक़ा देने के लिये कहा है । पर प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को बोलने का अवसर नहीं दिया जा सकता । कुछ चुने हुए लोगों को मैं बोलने का अवसर देने का प्रयत्न कर रहा हूं । जो लोग इस प्रकार से बीच में बाधा डालते हैं, उनको बोलने का अवसर नहीं मिलना चाहिये । मैं प्रत्येक अल्पसंख्यक जाति का प्रतिनिधित्व करने वाले एक एक व्यक्ति को बोलने का मौका दूंगा । ऐसे वाद विवाद के सम्बन्ध में सदस्यों को पहले ही से आपस में बोलने वालों की संख्या आदि तय कर लेने चाहिये और उसके बाद वे उन वक्ताओं की सूची अध्यक्ष को दे

दिया करें। इसके अतिरिक्त और कोई तरकीब नहीं है। श्री अजित सिंह।

श्री अजित सिंह (कपूरथला-भटिंडा--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : सभापति जी, शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट को न तो हम बिल्कुल ठीक कह सकते हैं और न बिल्कुल खराब ही कह सकते हैं। हम मानते हैं कि गवर्नमेंट ने शेड्यूल्ड कास्ट प्राबलम को हल करने के लिये इस कमिश्नर को नियुक्त किया है और वह तथा उन का विभाग इस दिशा में काफ़ी कुछ काम कर रहा है। यहां जो हम लोग सुझाव देते हैं और बतलाते हैं कि अमुक अमुक काम गवर्नमेंट को हमारी उन्नति के वास्ते करने चाहियें, वह इस वास्ते करते हैं ताकि कमिश्नर साहब उन सुझावों और सिफ़ारिशों को भी अपनी रिपोर्ट में शामिल कर लें।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन] सब से ज़रूरी बात जो इस दफ़ा मेरे नोटिस में आई है वह यह है कि १९५१ की सेंसस रिपोर्ट में शेड्यूल्ड कास्ट वालों के साथ बहुत ज्यादा डिसक्रिमिनेशन हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। सदन में बातचीत बहुत हो रही है। यदि माननीय सदस्य केवल पांच मिनट ही बोलें तो मैं अन्य माननीय सदस्यों को भी बोलने का अवसर दे सकता हूं।

श्री अजित सिंह : आनरेबल मेम्बर साहब यह सुनें और इस प्वाइंट को नोट कर लें तो अच्छा है।

मैं कह रहा था, सभापति जी, कि सेन्सस रिपोर्ट में शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है।

दूसरी बात रिजर्वेशन के बारे में है। रिजर्वेशन के बारे में हमारे दोस्त काफी कुछ कहते हैं, मैं भी उन को सपोर्ट करता हूं। जहां हम सर्विसेज में रिजर्वेशन रखते हैं या वजीफे और मिनिस्ट्रियों में रखते हैं वहां जो हमारे एकानमिक सोर्सेज हैं, मसलन् पर्मिट्स दिये जाते हैं और ठेके वगैरह हैं, जमीन है, इन सोर्सेज में अगर हमारे लिये रिजर्वेशन कायम किया जाय तो काफी अच्छा रहेगा। वह लोग आप को दुआयें देंगे।

पेप्सू में जो लैंड पालिसी चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से उस का मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं और सजेशन दिये हैं कि वहां की लैंड पालिसी अच्छी नहीं है। बहुत कम जमीन है जो कि शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के लिये दी जाती है। इतनी कम है कि वह बेचारे अपने घर का सामान बेच कर भी इस काबिल नहीं हो पाते कि उस ज़मीन पर काश्त कर के अपनी जिन्दगी बिता सकें। मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि आप कोई तकावी वगैरह मुकर्रर कर दें और वह तकावी इतनी हो कि वह लोग अपना काम अच्छी तरह से और खुशउसलूबी से कर सकें।

फाइव इअर प्लैन में १७ करोड़ रुपया रक्खा गया है बैकवर्ड क्लासेज, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड क्लासेज की बेहतरी के लिये उस में से सिर्फ चार करोड़ ऐसा है जो शेड्यूल्ड क्लासेज के वास्ते है। शेड्यूल्ड क्लासेज की आबादी औरों से कहीं ज्यादा है। तो मेरा सुझाव यह है कि अगर आप इसे बढ़ा कर ज्यादा कर दें तो अच्छा है।

"डिस्क्रिमिनेशन एमंग दि सिख शेड्यूल्ड कास्ट्स" के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि कई बार रिप्रेज़ेंट किया गया गवर्नमेंट के पास कि सिख शेड्यूल्ड कास्ट्स के साथ जो मजहबी इम्तियाज़ किया जाता है वह नहीं होना चाहिये। हमारे होम मंत्री जी ने कोई खास यकीन नहीं दिलाया है कि उन के साथ अब इम्त्याज नहीं होगा। उन को अभी कहना चाहिये कि वह जल्दी ही इस

[श्री अजित सिंह]

हाउस में बिल ला रहे हैं, जिस से कि सिखों के साथ, जो सिखों की दलित जातियां हैं, शेड्यूल्ड कास्ट्स हैं, उन के साथ दूसरे हिन्दू हरिजनों जैसा सुलूक होगा ।

पुलिस के बारे में भी मैं एक खास बात कहना चाहता हूं । इस प्वाइंट को भी आप नोट कर लें । पेप्सु में पुलिस ऐसा करती है कि कुछ शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को पकड़ लिया और तीन तीन महीने, दो दो महीने बगैर कोई मुकदमा चलाये उन को अपने पास रक्खा और उन से काम लेते रहे । मैं ऐसी बहुत सी मिसालें दे सकता हूं कि उन को तंग किया जाता है । यह बहुत बुरी बात है । अगर आप नैसेसरी स्टेप्स लें तो आप इस चीज़ को बन्द कर सकते हैं और उन लोगों को इन्स्ट्रक्शन दे सकते हैं ।

अभी कहा गया कि जो रिजर्वेशन है वह दस साल के लिये दिया गया है । यह रिजर्वेशन कोई खास नहीं है । मैं इस रिजर्वेशन का भांडा फोड़ने वाला हूं । आप सुन कर हैरान होंगे कि जब पेप्सू में ऐसेम्बली बनी बेशक यह कांग्रेस की ऐसेम्बली नहीं थी, नेशनल फ्रंट की थी । उस में आब्जेक्शन किया गया । जब मैं ने उन के लीडर से कहा कि, भाई, कोई शेड्यूल्ड कास्ट को भी मिनिस्टर होना चाहिये तो वहां यह कहा गया कि स्टेट्स मिनिस्ट्री जो है वह आब्जेक्शन करती है कि "देअर इज़ नो एफ़िशिएन्ट मैन इन दि बैकवर्ड क्लासेज़ आर दि शेड्यूल्ड क्लासेज़ टु एडमिनिस्टर दि मिनिस्ट्री" । यह बात कही गई । जब मैं ने स्टेट्स मिनिस्ट्री को लिखा तो उस का जवाब मुझे मिला और वह मेरे पास है । उस में लिखा गया कि यह सब तो प्राइम मिनिस्टर जानें । मुझे पता नहीं कि यह रिजर्वेशन किस नाम के हक में चलता है । मुझे तो यही मालूम है कि जो स्टेट्स मिनिस्ट्री हिदायतें देती है उस पर काम चलता है । कल मैं ने श्री बर्मन की स्पीच को सुन कर ताज्जुब नहीं किया कि "सेन्ट्रल गवर्नमेंट इज़ डूइंग इट्स ड्यूटी वेल" । अब अगर सेन्ट्रल गवर्नमेंट यह नहीं कर रही है तो दूसरी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन को कोई हिदायत दे । इस के लिये भी आप हिदायत कर दें तो आप के लिये अच्छा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । तीन बजे मैं माननीय मंत्री से बोलने के लिये कहूंगा । कुछ सदस्यों ने समय को बढ़ाने का सुझाव दिया है । बीस मिनट समय पहले ही बढ़ाया जा चुका है । अब केवल १५ मिनट ही बचे हैं । इतने समय में मैं तीन सदस्यों को बोलने का अवसर दूंगा । प्रत्येक सदस्य पांच मिनट बोलेगा । श्री दशरथ देव ।

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा–पूर्व) : मेरे विचार से आयुक्त का यह प्रतिवेदन केवल दिखावटी है । इस से आदिम जाति के लोगों और अनुसूचित जातियों की वास्तविक दशा का आभास नहीं मिलता । अस्पृश्यता दूर करने के सम्बन्ध में बातें तो बहुत की जाती हैं, पर केवल बातों से कुछ नहीं हो सकता । इस सम्बन्ध में पहली मुख्य चीज यह है कि आप उक्त प्रकार के लोगों की आर्थिक दशा को सुधारिये । उन की उन्नति के लिये समुचित वातावरण उत्पन्न कीजिये, उन्हें अवसर दीजिये, नौकरी दीजिये, भूमि दीजिये, प्रशिक्षण दीजिये और अन्य विशेष सुविधायें दीजिये, तो निश्चय ही वे लोग भी अन्य लोगों के बराबर आ जायेंगे । मनुष्य जन्म से पिछड़ा हुआ नहीं होता । समाज उस को पीछे ढकेल देता है ।

त्रिपुरा के आदिम जाति लोगों की दशा बहुत खराब है । त्रिपुरा के एक तिहाई लोग आदिम जाति के हैं और उन में से लगभग एक लाख व्यक्ति अभी तक झूम

की खेती करते हैं । वे बहुत पिछड़े हुए हैं और उन के लिये शिक्षा संबंधी सुविधायें भी नहीं हैं । उन लोगों ने लगभग एक हजार प्राथमिक स्कूल और दो हाई स्कूल अपने पैसों से चलाये थे । पर इस काम में सरकार उन को कोई सहायता नहीं देती । इस के विपरीत वह उन को दबाना चाहती है और उन के सारे स्कूलों को समाप्त कर देना चाहती है । यह सरासर अन्याय है । दिखावटी सहानुभूति से काम नहीं चल सकता ।

दूसरी बात यह है कि हमारे क्षेत्र में अधिकांश आदिम जाति के लोगों के पास भूमि नहीं है । पहले उन के लिये जो रक्षण किये गये थे, वे भी अब समाप्त कर दिये गये हैं । इस प्रकार तो ये लोग बिलकुल नष्ट हो जायेंगे । नागा जाति के लोगों की कुछ मांगें हैं । सरकारी नीति से ऊब कर ही उन्हों ने स्वतंत्रता की मांग की है । यदि आप सचमुच इस समस्या को हल करना चाहते हैं, तो कुछ व्यक्तियों का एक दल भेजिये जो उन की परिस्थितियों और उन की समस्याओं का सहानुभूतिपूर्वक अध्ययन करे । उन को आप स्वायत्तशासी प्रदेश दीजिये । तभी आप आदिम जाति के लोगों के मित्र बन सकते हैं, अन्यथा आप उन के सब बड़े शत्रु बन जायेंगे । अतः यदि आप उन के मित्र बनना चाहते हैं तो उन की सहायता कीजिये ।

श्री वैलायुधन : अनुसूचित जातियों की यह समस्या कोई नई नहीं है । हम गांधी जी के बहुत ही कृतज्ञ हैं कि उन्हों ने इस समस्या को एक नया अर्थात् नैतिक रूप दिया और इस समस्या को सुलझाने के लिये उन्हों ने एक उपाय भी बताया । उन्हों ने एक बार कहा था कि जाति प्रथा समाप्त हो जाय तो यह अस्पृश्यता भी समाप्त हो जायगी । मेरा अकेले का ही यह मत नहीं है अपितु बहुत से विद्वानों का भी, केवल भारत में ही नहीं अपितु बाहर भी, यही मत है कि जब तक जाति प्रथा समाप्त नहीं होगी तब तक यह अस्पृश्यता दूर नहीं हो सकती । उन के लिए किया गया रक्षण तथा दी गई रियायतों के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है क्योंकि ये तो समुद्र में एक अणु के समान अथवा समुद्र में एक बबूले के समान है । इस से भी अधिक, एक बात मैं यह चाहता हूं कि हिन्दुओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो । तभी यह प्रश्न अच्छी तरह निपट सकता है । मुझे कहना पड़ता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत-वर्ष में जातिवाद तथा साम्प्रदायिकता प्रबल हुई है । और यही कारण है कि यदि आप आज देखें तो प्रकट है कि अनुसूचित जातियों की दशा में तनिक भी अन्तर नहीं हुआ है । उन की आज भी वही दशा है जो गांधी जी के समय थी । गांधीजी ने इस समस्या को गम्भीरता के साथ लिया था । श्री मूर्ति ने कल बताया था कि यह राष्ट्रीय प्रश्न है । किन्तु मैं कहता हूं कि यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न है । जब तक सम्पूर्ण जाति प्रथा नहीं हटती तब तक अस्पृश्यता को हम दूर नहीं कर सकते । यह हम ने निश्चय कर लिया है कि हम अस्पृश्य रह कर नहीं मरेंगे । मैं सरकार को सावधान करता हूं कि वह इस प्रश्न को बड़ी गम्भीरता के साथ लें ।

अनुसूचित जाति के सुधार के सम्बन्ध में डा० मुकर्जी ने बड़े अच्छे सुझाव दिये थे किन्तु सरकार ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया ।

सन् १९४६ के बाद से अनुसूचित जाति को नौकरियों में उचित स्थान देने रक्षण में भी सरकार असफल रही है । इस सम्बन्ध में सरकार ने संविधान के सिद्धान्त को नहीं माना है, उस ने अपने वचन को पूरा नहीं किया है । संविधान में हमारे लिये नौकरियों में स्थान रक्षण की सुविधा दी गई है । किन्तु अनुसूचित जाति में से कितने व्यक्तियों को

[श्री वैलायुधन]

नौकरियां दी गईं ? गृहकार्य मंत्री को इन चीज़ों को देखने का समय ही नहीं मिलता । मुझे खेद है कि माननीय मंत्री इस प्रश्न को गम्भीरता के साथ नहीं ले रहे हैं । अतएव मैं कहता हूं कि नौकरियों में आप यदि हमारे लिए स्थान रक्षण की सुविधा देते हैं तो ईमानदारी से इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि उन रक्षित स्थानों की पूर्ति उचित रूप से होती है । मैं चाहता हूं कि संविधान में उल्लिखित नीति का––अनुसूचित जाति के लिए स्थान रक्षण सरकार द्वारा ईमानदारी से पालन होना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय यह चर्चा हम चार बजे समाप्त कर देंगे; और ४ बजे से ६।। बजे तक अनुपूरक अनुदानों के बारे में बातचीत करेंगे ।

उत्पादन मंत्री (श्री [illegible]
नमक उपकर विधेयक पर भी विचार करना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब कोई अवसर नहीं है । श्री जयपाल सिंह ।

श्री जयपाल सिंह (रांची पश्चिम––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां) : मुझे शिकायत है कि अपना मत प्रतिपादन करने के लिये मुझे इतना थोड़ा समय दिया गया है । इस प्रकार की भद्दी व्यवस्था करने के लिए सांसद् कार्य मंत्री के विरुद्ध मैं अविश्वास का प्रस्ताव रखना चाहता हूं । हम को यह आश्वासन दिया गया था कि अल्पसंख्यक जातियों के कुछ चुने हुए प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों को संसद् में बोलने का अवसर दिया जायगा, किन्तु ऐसा न तो परसों हुआ न कल हुआ और न आज हो रहा है । किन्तु मैं आशा करता हूं कि देश की एक तिहाई जन संख्या की इस समस्या को अगले वर्ष अधिक महत्व दिया जायगा ।

मैं ने पिछले वर्ष भी कहा था कि हमारे भारतीय समाज की पिछड़ी जातियों की समस्या को दलीय राजनीति का मामला नहीं बनाया जाना चाहिये । इसे राष्ट्रीय समस्या बनाना चाहिये । इस की चर्चा वैदेशिक कार्य सम्बन्धी प्रश्न की भांति जो कि दलीय राजनीति के परे की चीज होती है, करनी चाहिये । यह प्रतिवेदन निश्चय ही पिछले वर्ष के डाकबंगला प्रतिवेदन में सुधार करता है किन्तु फिर भी इस में वही डाकबंगला वाली बू है । इस में कोई बात ऐसी नहीं है कि जो स्पष्ट, मौलिक अथवा व्यक्तिगत हो । विशेष पदाधिकारी ने ईमानदारी के साथ इस को स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें सहयोग नहीं दिया है । पिछले वर्ष वह अपने पद के सम्बन्ध में बड़ी चिन्ता कर रहे थे अब उन का पद कुछ अंशों में निर्वाचन आयुक्त के, तथा संघलोक सेवा आयोग के सदस्य के बराबर हो गया है । मेरे संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति का विशेष अधिकारी प्रभावशाली रूप से अपना कार्य कर सकता है किन्तु उसे संशोधन को प्रस्तुत करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है । देश में पिछड़ी जातियों के प्रश्न को देखने के लिये एक विशिष्ट मंत्रालय होना चाहिये । कोई अन्य दूसरा रास्ता नहीं है । माननीय गृहमंत्री में मेरा कोई विश्वास नहीं है । इस विशेष पदाधिकारी के भी हाथ पैर कटे हुए हैं क्योंकि वह भी गृहकार्य मंत्रालय के बहुत से विभागों में से एक विभाग है । उन का केवल अपना एक उपविभाग है । मेरा कहना यह है कि इस देश में समाज सेवा के लिये एक विशिष्ट मंत्रालय होना चाहिये ।

केवल मंत्रालय बना देने से ही इस कठिन समस्या को हम नहीं सुलझा सकते । राष्ट्रपति के विशेष पदाधिकारी आज यह

समझते हैं कि आसाम राज्य में अरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से एक विशेष सदस्य के निर्वाचित हो जाने से ही आदिम जातीय क्षेत्रों की समस्या सुलझ गई है। देश में आज इस प्रकार की बात हो रही है, जो निन्दनीय है।

मैं यह निवेदन करता हूं कि एक ऐसा विशेष मंत्रालय बनाने के प्रश्न पर सरकार विचार करे जो इस विशेष समस्या पर विचार करने के लिये अपना पूरा समय दे। मैं केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की बात नहीं कर रहा हूं अपितु अन्य पिछड़ी जातियों के बारे में भी सोच रहा हूं। भारत की सम्पूर्ण पिछड़ी जातियों का सुधार होना है। सदन में अपने साथियों से मैं प्रार्थना करता हूं कि वे 'उत्थान' शब्द का प्रयोग न करें। हरिजनों के लिए तो यह ठीक हो सकता है किन्तु आदिमजाति के लिए यह शब्द सत्य नहीं है। मैं यह अनुभव करता हूं कि नया मंत्रालय ही विशेष पदाधिकारी को अधिक शक्ति दे सकता है। विशेष पदाधिकारी की आज कोई भी परवाह नहीं करता। यदि विशेष पदाधिकारी के प्रतिवेदन को आप पढ़ें तो प्रकट होगा कि उन्हों ने इस समस्या को सुलझाने के लिये गलत रास्ता पकड़ा है। यह केवल दलीय प्रयत्न रहा है। जब कभी भी विशेष पदाधिकारी हमारे क्षेत्र में आते हैं तो मेरे साथियों को वह कोई महत्व नहीं देते। मेरा यही कहना है कि इस विशेष समस्या को सुलझाने का यह रास्ता नहीं है। इस समस्या को सदैव ही दलीय राजनीति से परे रखना चाहिये।

मेरे क्षेत्र में भी एक सामुदायिक परियोजना है। यह भली प्रकार से नहीं चल रही है। क्योंकि वहां की जनता उस में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। यही बात हरिजनों और आदिवासियों की भी है। इन बेचारों को जिन की कई शताब्दियों से अवहेलना होती रही है अपने पैरों पर खड़ा करना होगा; हमें न तो विशेष पदाधिकारी न गृहकार्य मंत्री की और न उन के किसी कर्मचारी की सहायता की आवश्यकता है। हम अपनी देखभाल स्वयं कर लेंगे किन्तु हमें अपने पैरों पर खड़ा होने के योग्य तो बना दो।

हम भिखारी नहीं हैं, हम स्वाभिमानी हैं। हम कठोर परिश्रम करते हैं। अतएव मैं सरकार से यही निवेदन करता हूं कि जब तक नया मंत्रालय बने तब तक इस विशेष अधिकारी को और भी अधिक अधिकार दे दिये जायें ताकि अपने कार्यों के बारे में वह आगामी प्रतिवेदन में अच्छी प्रगति दिखा सकें।

श्री उइके (मंडला-जबलपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, शेड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर ने जो रिपोर्ट इस भवन के सामने पेश की है वह संविधान की धारा ३३८ के अनुसार है। इस संविधान को जिन महाशयों ने बनाया उन्हें और खास कर ठक्कर बापा को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आज उन्हों ने हम दीन, दुःखी, पीड़ित, भोले और दिन रात लूटे जाने वाले आदिवासियों को यहां आ कर अपनी बात बताने का मौका दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधान की शुरुआत २६ जनवरी, १९५० को हुई थी। आदिवासियों को इतनी खुशी हुई कि मध्य प्रदेश में अपना सब काम काज छोड़ कर एक सभा में एकत्र हो कर काका कालेलकर के सभापतित्व में तीन दिन तक हम लोगों ने उत्सव मनाया, दीवाली मनाई। किन्तु गरीबों की शादी में बहुत से विघ्न हुआ करते हैं। दो महीने के बाद ३० मार्च, १९५० को राष्ट्रपति जी का एक फर्मान निकला, जिस फर्मान से हम लोगों को घोर निराशा हुई। हमारी आदिम जातियों की संख्या १९४१ की मर्दुमशुमारी (जनगणना) में २५४

[श्री उइके]

लाख थी । राष्ट्रपति जी के आदेश से १९ लाख दक्षिण के चार प्रान्तों में शेड्यूल्ड कास्ट्स में मिला दी गई और ६७ लाख आदि वासी और शेड्यल्ड कास्ट्स हम में से निकाल दिये गये । वह ६७ लाख लोग जो आदिवासी थे और हैं, लेकिन आज वह आदिवासी होते हुए भी आदिवासी नहीं रह पाये । उपाध्यक्ष महोदय, यह ६७ लाख आदिवासियों के साथ जो कुछ हुआ उस को मैं थोड़ी देर के लिये छोड़ देता हूं । बाकी आदिवासियों के साथ क्या हुआ है । उन के साथ भी घोर अन्याय हुआ जो कि १७८ लाख बच गये और वह भी राजस्थान और मध्य प्रदेश में अधिक हुआ । मध्य प्रदेश में ६० प्रतिशत आदिवासियों को आदिवासी नहीं माना गया । राजस्थान में ७५ फीसदी आदिवासियों को आदिवासी नहीं माना गया । १२ लाख आदिवासियों को राजस्थान में छोड़ दिया गया, सिर्फ ३ लाख आदिवासियों को वहां पर आदिवासी माना गया । मध्य प्रदेश में २४ लाख आदिवासियों को आदिवासी नहीं माना गया । मध्य भारत में १० लाख आदिवासियों को आदिवासी नहीं माना गया ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रान्त में ९६ ताल्लुके हैं । उन में से ६१ ताल्लुकों में रहने वाले आदिवासी नहीं माने गये । केवल ३५ ताल्लुकों के रहने वाले लोगों को आदिवासी माना गया । ३५ ताल्लुकों में से २६ ताल्लुकों की घोषित जनसंख्या लगभग १६ लाख आदिवासियों की है । उन के लिये यह कहा गया कि उन को रिजर्वेशन से नौकरियां मिलेंगी । तथा पार्लियामेंट में या ऐसेम्बली में सदस्य हो सकेंगे और उन को स्कालर्शिप और फ़ीशिप मिलेगी । और जो इस रिपोर्ट के अन्दर लगभग १५ करोड़ रुपया बताया गया है आदिवासियों के उत्थान के लिये उस में से मध्य प्रदेश में लगभग ६० लाख रुपया खर्च होगा । लेकिन वह किन आदिवासियों पर खर्च होगा जितनी अनुसूचित ट्राइब्स हैं उन सब पर नहीं । यह केवल जो बाकी ९ तहसीलें हैं और जिन की ज़नसंख्या ८ लाख है उन पर ही खर्च होगा । इस तरह से जितनी आबादी ५० लाख आदिवासियों की है उस में से सिर्फ ८ लाख आदिवासियों पर यह ६० लाख रुपया खर्च होगा जिन के लिये इस वर्ष सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने १७ लाख रुपये की ग्रान्ट दी थी । अब इस ६० लाख रुपये का सदुपयोग होता है या दुरुपयोग यह देखने की बात है ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो हमारे साथ राष्ट्रपति जी के फर्मान से घोर अन्याय हुआ है और लगभग ३०, ३२ लाख जो हमारे आदिवासी भाई हैं, हमारे भाई होते हुए भी आज वह आदिवासी नहीं हैं, हम लोगों की जो एकता थी, वह टूट फूट कर नष्ट भ्रष्ट हो गई है । अगर हम अपने भाई के पास जाते हैं तो वह कहता है कि तुम आदिवासी हो, मैं आदिवासी नहीं हूं । इस का नतीजा यह हुआ है कि आदिवासी जो वर्षों से, सदियों से, हजारों सालों से पिछड़े हुए रहे हैं, लेकिन फिर भी भाई भाई की तरह रहते थे, उन के अन्दर एक दरार हो गई है । मैं कहना चाहता हूं कि हमारे साथ आप न्याय करें अन्याय नहीं । उपाध्यक्ष महोदय, इस के लिये जनता भी रिप्रेज़ेन्टेशन करती है, यह बात कमिश्नर साहब ने अपनी रिपोर्ट में भी दी है । अभी अभी हमारे कुंजरू साहब ने भी इस के वास्ते आवाज उठाई थी, लेकिन इस का नतीजा कुछ नहीं हो रहा है । इस के लिये मैं गृह मंत्री जी से और खास कर इस हाउस से अपील करूंगा कि यह जो हमारे आदिवासियों के साथ अन्याय हो गया है, घोर

अन्याय हुआ है, जो सदियों से महान कष्ट म ह उन के लिये कुछ जरूर होना चाहिये । यह आदिवासी नहीं हैं ? यह और ही कोई दूसरे हैं जिन को आप ने गैर-आदिवासी समझ लिया है ? उपाध्यक्ष महोदय , मैं कहता हूं कि आज यह आदिवासी नहीं रहे, क्योंकि यह मैदान में हो गये । पहले यह हमारा पूरा प्रदेश पूरा का पूरा गोंडवाना था जहां गोंडों का राज्य था । २४ लाख आदिवासी गोंड मध्य प्रदेश में हैं । गोंड आदिवासियों ने उन पहाड़ों के अन्दर जंगल काट कर साफ किया और उस को मैदान कर दिया । वह मैदान में छोटे-छोटे खेत कर के खेती करने लगे । परन्तु उस ज़मीन को उन से होशियार, शिक्षित लोगों ने ले लिया और आदिवासी फिर जंगल में भाग गये, कुछ लोग ही रह गये । आज वह आदिवासी क्या कर रहे हैं ? आज वह मजदूरी कर रहे हैं । वह जंगलों में जो चले गये वह जंगल काट कर खेती कर रहे हैं । लेकिन जो चतुर लोग हैं वे उन की वह जमीन भी खरीद लेंगे । इस तरह अब वहां पर मैदान में आदिवासी नहीं है । यह थोड़े से ही वहां पर आदिवासी हैं जो कि मजदूरी कर रहे हैं । इस तरह हमारे आदिवासियों के साथ, खास कर मध्य प्रदेश और राजस्थान में, बड़ा अन्याय हुआ है । आज वहां मैदान में जो खेती कर रहे हैं वह आदिवासी नहीं हैं, जो आदिवासी हैं वह तो मजदूरी का काम करते हैं । अगर उन का ख्याल नहीं किया तो वह फिर वापस पूरी तरह से लौट जायेंगे । आप को मालूम है कि उस का क्या नतीजा होने वाला है ? उस का नतीजा बहुत बुरा होने वाला है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आप थोड़ा ज़्यादा समय दें । आज आप का करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, ३४ करोड़ रुपया खर्च हो रहा है; १५ करोड़ रुपया सेंटर से और १९ करोड़ रुपया स्टेटों से । यह जनता का पैसा है । परन्तु इस जनता के पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है । हाउस को इस बात की तरफ़ ध्यान देना चाहिये कि इस पैसे का सदुपयोग किया जाय । हम चाहते हैं कि आदिवासियों के नाम से जो जनता का पैसा खर्च किया जाय उस का सदुपयोग हो । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप को बताऊं कि आदिवासी कभी भीख नहीं मांगेंगे, वह अपने घर में भूखा मर जायगा लेकिन भीख नहीं मांगेगा । हम नहीं चाहते कि हमारे नाम से देश का यह ३४ करोड़ रुपया अनुचित कामों में खर्च किया जाय और इस का अनुचित लाभ उठाया जाय । इस समय यह जो ३४ करोड़ रुपया है यह धन तीन तरह से खर्च किया जाता है । कुछ पैसा मिशनरियों की तरफ दिया जाता है, कुछ सोशियल वर्करों की तरफ़ दिया जाता है और कुछ पैसा सुधार विभाग की तरफ़ दिया जाता है । मिशनरियों को जो पैसा दिया जाता है उस के लिये सरकार को बड़ी सावधानी से उन को पैसा देना चाहिये । मिशनरियों के खिलाफ़ मेरा सख्त आरोप है कि मिशनरी अपने धर्म का प्रचार करते हैं । उन को करने दीजिये पर उन को यह हक़ नहीं होना चाहिये कि हमारे जो आदिवासी क्रिश्चियन हो गये हैं वे जो उन के साथ रहने वाले जो लोग हैं उन के धर्म में हस्तक्षेप करें । ये लोग आदिवासियों के देवताओं को उखाड़ कर फेंक देते हैं और इसी तरह के अनेक उपद्रव करते हैं । उन का यह हस्तक्षेप करना उचित नहीं है । मेरे पास में इस की रिपोर्ट है, वह मैं ने गवर्नमेंट के पास भेजी है और उसकी जांच हो रही है । हमारे आदिवासी बच्चे पढ़ा करते हैं, वह अपने धर्म से रहते हैं । यह आदिवासी इन को फंसाते हैं और वहां से भगा भी देते हैं । इस तरह से हम लोगों का रहना मुश्किल हो गया है । आपको इन बातों को रोकना चाहिये । मैं तो कहूंगा कि इन कनवर्टेड

[श्री उइके]

क्रिश्चियन्स की जो मिशनरीज हैं उनको ही पैसा देना है तो हमारे आदिवासियों को आप एक पैसा भी मत दीजिये, हमको आपका पैसा नहीं लेना है। हमने अपना धर्म बचाने के लिये मैदान को छोड़ दिया, वहां से जंगलों में चले गये। मुझे अपने मध्य प्रदेश के वास्ते यह गुमान की बात है कि मुसलमानों के राज्य में उस प्रांत में मुसलमानों की तरफ से बहुत कोशिश हुई लेकिन हमने मुसलमानों को वहां आकर धर्म परिवर्तन नहीं करने दिया। हर प्रदेश में मुसलमानों की प्रतिशतिता अधिक है। हमारे प्रदेश में ४·४ है। हम अपने धर्म को बचाने के लिये पहाड़ों की ओर चले गये, हमने कह दिया कि हमको आपकी सहायता नहीं लेना है। हमें इस सभ्यता से कोई मतलब नहीं। हमारे आचार-विचार में आज मिशनरी बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं, आपका सुधार विभाग भी हमारे आचार-विचार में बड़ी गड़बड़ कर रहा है।

आपको मालूम होगा कि आपके यहां सैंटर से स्कालरशिप दिये जाते हैं। आप इस बात की तरफ़ ध्यान दें कि जिन प्रांतों के अन्दर मिशनरियों की सभ्यता आई है, उस के लिये जो हमारे कनवर्टेड सदस्य हैं वह भले ही तारीफ़ करें और मैं भी तारीफ़ करता हूं——उन्हीं को ज्यादा स्कालरशिप दिये जाते हैं। इसका नतीजा हमारे ऊपर बहुत बुरा हुआ। गवर्नमेंट को इस बात का ख्याल करना चाहिये। हर एक प्रदेश का जो कोटा जन संख्या के हिसाब से होना चाहिये, उस कोटे से इन प्रांतों को स्कालरशिप ज्यादा दिये गये हैं जहां यह मिशनरियों की सभ्यता गई है। आसाम में आदिवासियों की जन-संख्या १७ लाख है, पर ४६५ लड़कों को स्कालरशिप दिये गये। बिहार में जन संख्या ४० लाख है पर २२३ लड़कों को स्कालरशिप दिये गये हैं। बम्बई म ३३ लाख हैं, वहां ९५ को स्कालरशिप दिये गये। मध्य प्रदेश में २४ लाख हैं, वहां कोटा १५४ का होता है लेकिन २३ लड़कों को ही स्कालरशिप दिये गये। मद्रास में ६ लाख जन संख्या है, ८३ को स्कालरशिप दिये गये। उड़ीसा में जन संख्या २९ लाख है २४ को स्कालरशिप दिये गये। पंजाब में जन संख्या २ लाख है, वहां ७ को स्कालरशिप दिये गये। वस्ट बंगाल में जन संख्या ११ लाख है, वहां ४४ को स्कालरशिप दिये गये। हैदराबाद में ३ लाख जन संख्या है, १ को स्कालरशिप दिया गया। मध्य भारत में जन संख्या १० लाख है, और केवल २ को स्कालरशिप दिया गया।

इसके देखने से आपको यह पता लगेगा कि जिन जिन प्रान्तों में कनवर्शन हुए हैं उन्हीं प्रान्तों से दरख्वास्तें ज्यादा आईं और जिस प्रान्त के अन्दर कनवर्शन नहीं हुए वहां कम रुपया दिया गया। इस तरह जो आदिवासी अनकनवर्टेड हैं और जहां शिक्षा की बहुत कमी है वहां हमें स्कालरशिप कम मिले और हमारे कनवर्टेड भाइयों को ज्यादा स्कालरशिप दिये गये। यह पैसा हमारे नाम से निकला हुआ है, आदिवासियों के नाम से निकला है और यह पैसा दिया गया है ईसाइयों को, उनको स्कालरशिप देने के लिये, जिनमें पहले ही शिक्षा हम लोगों से ज्यादा है। जहां शिक्षा की कमी है वहां कोटे के हिसाब से मदद नहीं होती है। एजुकेशन के बारे में यह हालत है, जहां कनवर्शन हुआ है वहां ही ज्यादा रुपया खर्च किया जाता है और कोटे के हिसाब से उन को नहीं दिया गया।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर——रक्षित – अनुसूचित जातियां) : जो कनवर्शन हुआ है उसको नहीं मिलना चाहिये।

श्री उइके : वह तो हमारा दुर्भाग्य था कि जो कनवर्टेड हैं उनको आदिवासी माना गया गया । यह हमारा दुर्भाग्य ही है । हमारे जो हिन्दू धर्म मानने वाले भाई हैं, जो कांस्टीट्युएंट असेम्बली में थे, उन्होंने यह माना, लेकिन मैं उनको दोष नहीं दे सकता, मैं तो पहले जो उन्होंने कुछ किया है उस के लिये कोटिश: धन्यवाद दे चुका हूं, इन थोड़ी सी बातों के लिये वे दोषी नहीं हैं । मैं तो कहना चाहता हूं कि आप जहां भी हो कोटे के हिसाब से मदद दीजिये । जहां धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है वहां आप प्राइमरी शिक्षा के लिये ही स्कालरशिप दीजिये ।

अब, उपाध्यक्ष महोदय, जो सरकारी महकमे हैं उन के अन्दर क्या बात होती है उस की तरफ भी आपका ध्यान दिलाता हूं । सरकारी महकमे के अन्दर पैसा मनमाना खर्च हो रहा है । एक तहसील के अन्दर आप जायं और देखें कि काम कितना होता है और पैसा कितना खर्च हो रहा है तो आप को पता चल जायेगा कि पैसे का कैसा दुरुपयोग हो रहा है । हम नहीं चाहते कि सरकारी महकमे से हमारे ऊपर इतना पैसा खर्च हो । हम काम करने वाले आदमी हैं, हम पैसे की बड़ी कीमत समझते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अधिक समय ले रहे हैं ।

श्री उइके : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे २० कांग्रेस के ट्राइबल एम० पी०ज़ जो हैं उन्होंने मुझे अकेले को ही बोलने का समय दे दिया है । मैं कह रहा था कि आप ज़रा देखिये कि काम वहां कैसे होता है । हमारे प्रदेश में एक ज़िले में दस जोन बनाये गये हैं । अब उन दस जोन में काम कैसे होता है । हमारे मध्य प्रदेश में यह जोन बनायें गये हैं । यह जो जोन बने तो एक एक-ज़ोन के अन्दर सरकारी स्टाफ इतना रखा गया है कि इस ३४ करोड़ रुपये में से लाखों रुपया उस स्टाफ पर ही खर्च हो जाता है । एक ज़ोन के लिये जो स्टाफ रखा गया है उसमें एक डिस्ट्रक्ट आर्गेनाइज़र है, दो क्लर्क, एक प्योन, एक सिनेमा वैन, एक ड्राइवर, एक आपरेटर , एक कंडक्टर है । फिर दो सरकल आरगेनाइज़र, दो क्लर्क और दो प्योन, इस तरह का स्टाफ एक ज़ोन के लिये रक्खा गया है । इतने स्टाफ ने मिलकर, अब आप देखें कि, सन् १९४७ से काम शुरू किया है तो वहां पर सिर्फ़ आठ मदरसे खोले गये हैं । एक ज़ोन जिस के अन्दर यह इतना स्टाफ है उन सब मुलाज़िमों ने यह काम किया है कि सन् १९४७ से लेकर आज सन १९५३ तक, सात साल में आठ मदरसे खोले हैं । एक मिडिल स्कूल खोला है, ६ मल्टीपर पज (बहुप्रयोजनार्थ) कोआपरेटिव सोसाइटियां बनाई हैं, तीन कुएं बनाये हैं और एक एक मील लम्बी दो सड़कें बनाई हैं ; यह काम बहर तहसील का है । हिसाब कीजिये कि सात साल में कितना पैसा खर्च हो गया । एक डिस्ट्रिक्ट आर्गेनाइज़र, दो क्लर्क, एक प्योन, एक सिनेमा वैन, एक ड्राइवर, एक आपरेटर, एक कंडक्टर, दो सर्किल आर्गेनाइज़र, इतना स्टाफ रखा गया और उन्होंने आठ साल में एक मिडिल स्कूल खोला, और छः मल्टी-परपेज़ कोआपरेटिव सोसाइटियां खोलीं : और दो सड़कें और तीन कुएं बनवाये । मैं आप से बतलाना चाहता हूं कि किस तरह स्टाफ वगैरह पर हमारे लिये जो ग्रान्ट रखी जाती है, उसमें से काफ़ी रक़म स्टाफ वगैरह पर खर्च हो जाती है और स्टाफ़ को देखते हुए काम कुछ भी नहीं हो पाता है और रुपया बर्बाद होता है । लेकिन ये हम आदिवासियों का जो अपने भाइयों के वास्ते खून पसीना बहाने वाले हैं, हम पर वह विश्वास नहीं करते और सरकारी महकमों में अगर आदिवासी मुलाज़िम होते भी हैं, तो उनको डिस्चार्ज करके अलग कर दिया जाता है । मैं अपना

[श्री उइके]

अनुभव आपको बतलाना चाहता हूं । मैं कुल चौथी कक्षा मराठी और चौथी क्लास अंग्रेज़ी तक पढ़ा हुआ हूं और डिस्ट्रिक्ट आर्गेनाइज़र की क्वालीफिकेशन बी० ए० की रखी गई थी, मगर हमारे मध्य प्रदेश में गृह मंत्री ने बस्तर ज़िले में मुझ डिस्ट्रिक्ट आर्गेनाइज़र नियुक्त कर दिया कि आप उन की हालत से भलीभांति परिचित हों और आप उन में रह कर ठीक तरह काम कर सकोगे । सरकार हमारे नागा भाइयों पर आसाम के आदिवासी लोगों पर तो मनमाना खर्च करती है । हमारे लोगों के लिये एक करोड़ और कई लाख की ग्रान्ट मिलती है जिसमें से लगभग एक करोड़ तो आसाम को दे देते हैं, और बाक़ी पौन करोड़ बाक़ी २१ प्रान्तों पर खर्च के लिये दिया जाता है । इस तरह का पक्षपात आसाम के साथ बर्ता जाता है ।

ख़ैर तो मैं आप को बतला रहा था कि मुझे बस्तर का डिस्ट्रिक्ट आर्गेनाइज़र बना कर भेजा गया, बस्तर के समान कोई पिछड़ा हुआ इलाका नहीं होगा, वह लोग नंगे रहते हैं और आप उसके पिछड़ेपन का इसी से अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि पांच सौ मेम्बरों में, अकेले बस्तर प्रापर का जो एम० पी० है, वह अशिक्षित है और वह हमारा भाई दिल्ली शहर में लूटा गया मैं ऐसे पिछड़ इलाके का डिस्ट्रिक्ट आर्गेनाइज़र बना कर भेजा गया और जब मैं वहां गया तो महकमें के लोगों को यह अच्छा नहीं मालूम हुआ कि एक कामेन प्रोग्राम के ऊपर उन्होंने मुझ बस्तर में काम करने के लिये भेजा और उन्होंने सोचा कि अगर यह ज्यादा काम करके दिखायेगा तो हम लोगों की नौकरियों फिर कहां रहेंगी और उन्होंने मुझे वहां से बला लिया ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य भाषण समाप्त करें ।

श्री उइके : पांच मिनट दीजिये, श्रीमान् ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं । श्री रिशांग किशिंग ।

श्री उइके : बस मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है, एक मिनट में ख़त्म किये देता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति । मैं उन्हें ही सारा समय नहीं दे सकता ।

एक माननीय सदस्य : श्रीमान, मध्य भारत को ।

उपाध्यक्ष महोदय : मध्य भारत अपनी चिन्ता आप करेगा । अब श्री रिशांग किशिंग बोलें ।

श्री रिशांग किशिंग (वाह्य मणिपुर—रक्षित —अनुसूचित जन जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री श्रीकान्त ने इस वर्ष एक अच्छी रिपोर्ट पेश की है । उन्होंने कुछ ठोस सुझाव दिये हैं, परन्तु मुझे यह कहते खेद होता है कि माननीय गृह मंत्री ने दस महीने तक इस रिपोर्ट को दबाये रखा और अब सदन के सामने प्रस्तुत किया है । इससे सिद्ध होता है कि उन्हें आदिमजाति के लोगों के कल्याण और उन्नति में विशेष रुचि नहीं है । मेरा सुझाव तो यह है कि यदि सरकार श्री श्रीकान्त की रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं करती है तो उन्हें विरोध स्वरूप त्याग-पत्र दे देना चाहिये । तब ही सरकार को अपनी ज़िम्मेदारी का अनुभव हो सकेगा ।

भारत में पिछड़े हुए लोगों की संख्या लगभग १२ करोड़ है यानी वे देश की कुल जनसंख्या का १/३ भाग होते हैं । शताब्दियों से इन लोगों के साथ अनुचित व्यवहार होता

आया है और समाज के कुछ विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग हमेशा से उनका दमन करते आये हैं। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि जब तक इन लोगों के साथ उचित व्यवहार न होगा हमारे देश की उन्नति होना कठिन है। आज हमारी सरकार भी इन्हीं विशेषाधिकार-प्राप्त वर्गों के क़ब्ज़े में है, जब तक हमारे मंत्री समाज के इन शत्रुओं के प्रभाव से अलग नहीं होते तब तक देश वास्तविक रूप से प्रगति नहीं कर सकता।

यह समस्या इतनी बड़ी है कि केवल एक कमिश्नर नियुक्त कर देने से काम नहीं चल सकता। जैसा श्री जयपाल सिंह ने कहा अनुसूचित जातियों और आदिमजातियों के लिये एक पृथक मंत्रालय खोला जाना चाहिये। अक्सर यह कहा जाता है कि हमारा उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना है। मैं पूछता हूं कि इस कल्याणकारी राज्य का क्या अर्थ है जब आप के देश में छूत-छात अभी तक मौजूद है? हमारे देश में चोरी आदि छोटे छोटे जुर्मों के लिये तो कानून हैं परन्तु छूत-छात के इस घोर अपराध के लिये कोई क़ानून नहीं बना है। केन्द्र को चाहिये कि वह तुरन्त ही इस सम्बन्ध में एक विधेयक लाये ताकि छूत-छात के समर्थकों को उचित दंड मिल सके।

एक समय यह देश अनुसूचित जाति और आदिम जाति के लोगो का ही था; परन्तु आज इन लोगों को अपने स्थानों से हटा कर बस्ती से दूर शहर के बाहर फेंक दिया गया है; आदिम जाति के लोगों को पहाड़ों की ओर भगा दिया गया है। जो बढ़िया बढ़िया ज़मीने पहले इन लोगों की थीं, उन पर आज दूसरे ही लोग क़ब्ज़ा किये बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी भूमि व्यवस्था को फिर से संगठित किया जाये और आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति के लोगों को ज़मीनें फौरन दी जायें।

श्री जयपालसिंह ने जैसा कहा, हम लोग सरकार से भीख नहीं मांगते, न ही हम मंत्रियों के आगे अपने हाथ पसारना चाहते हैं। हम अपनी आदिमजातीय प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता को ही महत्वपूर्ण समझते हैं। हमें भिखारियों का सा व्यवहार नहीं चाहिये। हम तो केवल अपने अधिकार चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी समस्याओं को सुलझाने के लिये एक निश्चित नीति और कार्यक्रम बनाया जाये। इसलिये मैं ने यह सुझाव दिया है कि अनुसूचित जाति और आदिमजाति के लोगों के लिये ज़मीनों का फिर से बंटवारा हो और इनके आर्थिक पुनर्वास के लिये शीघ्र से शीघ्र व्यवस्था हो। हम केवल इतना ही चाहते हैं कि हमारे उचित अधिकार हमको दिये जायें और जब तक इस सम्बन्ध में पूर्ण रूप से कार्यवाही नहीं होगी तब तक हम इसके लिये लड़ते रहेंगे।

डा० काटजू: उपाध्यक्ष महोदय, आज जो भाषण दिये गये हैं, उन में से कुछ तो इतने ज़ोर-शोर से दिये गये थे कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये भाषण वास्तव में संविधान के संशोधन के लिय दिये जा रहे हैं क्योंकि कुछ माननीय सदस्य प्रस्तुत विषय से जैसा कि संविधान में इसके लिये व्यवस्था है बिल्कुल अलग जा रहे थे।

मुझे यह कहते बड़ा खद होता है कि अनुसूचित जातियों और आदिमजातियों के कल्याण के लिये राज्य सरकारों ने जो कुछ किया है और जो कुछ व कर रही हैं, उसकी प्रशंसा में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। आप एक बात याद रखिय अनसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिय यहां संसद् म ही सुरक्षित स्थान नहीं हैं, हर राज्य विधान सभा में उनका समुचित प्रतिनिधित्व है। मैं संसद् में मध्य भारत से आया हूं। वहां की विधान सभा म ९९ सदस्य हैं जिनमें से १७ अनुसूचित जाति ों और १२ आदिम

[डा० काटजू]

जातियों के प्रतिनिधि हैं, यानी ९९ सदस्यों के सदन में २९ सदस्य अनुसूचित जातियों और आदिमजातियों के हैं। मैं पूछता हूं कि क्या ये लोग मंत्रियों पर नैतिक प्रभाव नहीं डालते होंगे और यह प्रयत्न नहीं करते होंगे कि उनके कल्याण के लिये कुछ कार्यवाही की जाये। मैं समझता हूं यहां अनुसूचित जातियों के कम से कम ८१ सदस्य हैं। हर एक सदस्य जनता का प्रतिनिधित्व करता है। इस रिपोर्ट के विभिन्न भागों में बताया गया है कि सरकार ने इन लोगों की आर्थिक, सामाजिक व नैतिक उन्नति के लिये क्या किया है। माननीय श्री चटर्जी शिक्षा सम्बन्धी उन्नति, अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा आदि के बारे में बहुत कुछ बोले। यदि आप उस अध्याय को पढ़ें जिसमें बताया गया है कि विभिन्न राज्यों में शिक्षा के लिये क्या किया जा रहा है तो आपको पता चलेगा कि बिहार, बंगाल, यू० पी० आदि कई राज्यों में अनुसूचित जाति के लिये प्रारंभिक कक्षाओं से लेकर विश्वविद्यालय तक नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था है।

मैं इसी या ऐसी किसी भावना से यह बात नहीं कह रहा हूं। मैं जन्म से अनुसूचित जाति का नहीं हूं परन्तु मैं ने गांधी के साथ पिछले ३० या ३१ वर्ष तक काम किया है। एक माननीय सदस्य ने मुझसे यह पूछा कि आपके पास कितने हरिजन नौकर हैं ? इस प्रश्न से मुझे कुछ दु:ख हुआ। मैं हरिजनों को नौकरों की तरह से नहीं देखता, और मैं समझता हूं कि हम में बहुत से लोग जो नौकर रखते हैं नौकरों को परिवार का सदस्य ही समझते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें मैं अपने छोटे भाइयों की तरह समझता हूं। हम लोग जिन्होंने गांधी जी से सेवा की शिक्षा दीक्षा ली है और उनके साथ काम किया है, इन सब बातों को भूल चुके हैं।

इसलिये, मैं कहता हूं कि आप इस रिपोर्ट को पढ़िये। आप मेरे लिये जो मर्ज़ी में आये कहिये, परन्तु ईश्वर के लिये, उन लोगों के साथ तो अन्याय न कीजिये, जो राज्यों में स्वयं इस सम्बन्ध में कार्य कर रहे हैं। रिपोर्ट देखने से आपको पता लगेगा कि हरेक राज्य में सामाजिक व शिक्षा सम्बन्धी उद्धार तथा छात्रवृत्तियां देने आदि के बारे में काम हो रहा है। उदाहरण के लिये, बिहार में कोई शुल्क नहीं है। बम्बई में अनुसूचित जातियों पर २४,७१,००० रुपया और पिछड़े वर्गों पर ३५,२५,००० रुपया खर्च किया जा चुका है। मैं आंकड़े देकर सदस्यों को परेशान करना नहीं चाहता, परन्तु इतना निवेदन अवश्य करना चाहता हूं कि उन लोगों के प्रति, जो राज्यों में कार्य कर रहे हैं, आप अन्यायपूर्ण व्यवहार न करें।

जहां तक संविधान का सम्बन्ध है, इस अधिकारी का कार्य अनुच्छेद ३३८ में दिया गया है। इसका कार्य "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये इस संविधान के अधीन उपबन्धित परित्राणों से संबद्ध सब विषयों का अनुसंधान करना तथा उन परित्राणों पर कार्य होने के सम्बन्ध में ऐसी अन्तरावधियों में, जैसी कि राष्ट्रपति निर्दिष्ट करें, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना," होगा। यह सब राज्यों के क्षेत्र में है। आप संविधान को संशोधित कर दीजिये और राज्य सरकारों से इस काम को ले लीजिये। आप कहिये कि केन्द्रीय सरकार समाज कल्याण सम्बन्धी योजनायें हाथ में ले ले और हरिजनों के लिये कालिज, प्रशिक्षण केन्द्र और टेकनिकल संस्थायें, खोलने का काम करे। तब तो मैं यह मान जाऊंगा कि एक सामाजिक सेवा या सामाजिक कल्याण का मंत्रालय खोलना ठीक होगा। परन्तु इस समय कार्य

राज्यों में हो रहा है। हर राज्य कुछ न कुछ कर ही रहा है। बिहार में बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसी तरह बम्बई और उत्तर प्रदेश में भी खूब काम हो रहा है। अगले दो या तीन वर्षों में ४० करोड़ रुपया खर्च किया जाने वाला है। मेरे एक माननीय मित्र ने कहा कि यह फ़िजूल खर्ची है। मैं इस मामले की जांच करवाऊंगा। सरकारी काम में थोड़ी सी फ़िजूल खर्ची होती ही है। आप इसके लिये ग़ैर-सरकारी व्यवस्था कीजिये तब यह काम सही रास्ते पर होने लगेगा।

मैं आपके केवल दस मिनट और लूंगा। जहां तक छूतछात का सम्बन्ध है, मैं सदन को सूचित कर चुका हूं कि इसके लिये एक विधेयक पुरःस्थापित किया जाने वाला है। समय की बचत करने के लिये, ताकि हमें लोकमत शीघ्र ही मालूम हो सके, इसे एक या दो दिन में, शायद अगले सोमवार तक गज़ट में छपवा दिया जायेगा। माननीय सदस्य उसे पढ़ सकते हैं। हम यथाशक्ति जो कर सकते हैं, करेंगे। परन्तु मैं अनुसूचित जातियों के अपने मित्रों से यह अवश्य कहूंगा कि यह छूत-छात केवल ऊंची जाति और नीची जाति में ही नहीं है, परन्तु यह स्वयं अनुसूचित जातियों में भी है।

श्री पी० एन० राजभोज : यह केवल आप ही के कारण है।

डा० काटजू : आप मुझे हटा दीजिये, यदि आप समझते हैं कि मेरे हटने से छूत-छात हट सकती है तो मैं आपके सामने हाज़िर हूं, आप मेरा गला काट सकते हैं। आप यहां दिल्ली में बैठे बात कर रहे हैं। आप गांवों में जाकर नहीं देखते कि वहां क्या हो रहा है।

श्री पी० एन० राजभोज : आपसे मैंने ज्यादा टूर किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। माननीय मंत्री को बोलने दिया जाये।

डा० काटजू : जैसा मैं कह चुका हूं, मैं गांधी जी का भक्त हूं और इसलिये मेरे व्यक्तित्व का कोई महत्व नहीं। सरकार प्रशासनिक क्षेत्र में जो करेगी उसके अलावा लोगों को समझा बुझा कर कार्य करने की भी बहुत काफी गुंजायश है। मैं चाहता हूं कि मेरे समस्त माननीय मित्र तथा और सब लोग छूत-छात की इस दुष्ट प्रथा का अन्त करने का मिलजुल कर प्रयत्न करें।

इसके बाद नियुक्तियों पर बहुत काफी ज़ोर दिया गया है। जहां तक मेरा अपना सम्बन्ध है, यद्यपि केवल दो मंत्रियों के लिये मांग की गई है, मैं उन्हें चार मंत्री, दो उप-मंत्री और आठ सभा-सचिव देने के लिये तैयार हूं। परन्तु याद रखिये, यदि आप दो मंत्री और तीन उपमंत्री नियुक्त कर देते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि १२ करोड़ लोगों में से आपने केवल पांच व्यक्तियों के लिये ही अच्छी व्यवस्था की है। इसके विपरीत मेरा प्रयत्न यह रहा है कि पांच या छः व्यक्तियों के बजाय सारे १२ करोड़ लोगों का ही उद्धार किया जाये। मेरे एक माननीय कार्यबन्धु यहां बैठे हुए हैं। किसी ने भूतपूर्व विधि मंत्री, डा० अम्बेडकर का भी नाम लिया था। जब केन्द्रीय सरकार में दो अनुसूचित जाति के मंत्री थे तो क्या अनुसूचित जातियों की दशा में कोई खास सुधार हुआ था? आप ज़रा इस पर विचार कीजिये। (अन्तर्बाधायें) जैसा श्री जय-पाल सिंह ने कहा, यह प्रश्न मंत्रियों के रखने का नहीं है। मैं तो वह दिन देखना चाहता हूं जब उच्च अधिकारियों, संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोगों के सदस्यों, सेना के तथा अन्य विभागों के अधिकारियों की संख्या इतनी

[डा० काटजू]

हो जाय कि इन सेवाओं में हर जाति के जिनमें अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिमजातियां भी शामिल हैं, लोगों का वास्तविक प्रतिनिधान हो । यही मेरी उत्कट इच्छा है ; परन्तु जिस तरह से आप इसे रख रहे हैं, उस तरह देश के हितों की रक्षा नहीं होती । आप सोचते हैं कि यदि अनुसूचित जाति का मंत्री नियुक्त होगा तो वह आपका प्रतिनिधि होगा । यह तो ऐसी ही बात हुई कि यदि एक ब्राह्मण मंत्री नियुक्त होता है तो मैं यह सोचने लगूं कि वह भारत के हितों को या किसी अन्य जाति के हितों को देखने के बजाय, केवल ब्राह्मणों के हितों और मेरे हितों का ही ध्यान रखेगा । (**अन्तर्बाधायें**) कभी कभी वादविवाद में बिल्कुल गंभीरता नहीं रहती जिसका नतीजा यह होता है कि इसका कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ता । मैं चाहता था कि इस पर सारपूर्ण चर्चा हो । मध्य प्रदेश के आदिमजातीय क्षेत्र के माननीय सदस्य ने एक सारपूर्ण भाषण दिया था । इसी तरह एंग्लो-इंडियन्स के प्रतिनिधि ने भी प्रभावपूर्ण भाषण दिया । उन्होंने अनुदानों के बारे में कहा । मैं इस सम्बन्ध में जांच करवाऊंगा और आवश्यक हुआ तो राज्य सरकारों को लिखूंगा और उनका ध्यान इस ओर दिलवाऊंगा । ये सब बातें तो हो सकती हैं । परन्तु यदि, जैसा माननी श्री एन० सी० चटर्जी ने कहा, यह कहा जाय कि चूंकि राज्य पाल के पद के लिये कोई न्यूनतम योग्यताओं की ज़रूरत नहीं है, इसलिये इन लोगों में से किसी को राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाना चाहिये । यह सब क्या है ? राज्यपाल राज्य का अध्यक्ष होता है । उनके अपने राज्य में एक क्रिश्चियन राज्यपाल है । वह यह कह कर कि किसी को भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, उस पद का मान कम कर रहे हैं । राज्यपाल के पद का मान कम करना .... (**अन्तर्बाधायें**)

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : श्रीमान्, उस वक्तव्य के लिये मुझे उत्तरदायी ठहराना ग़लत है । मैं समझता हूं कि यह बात ..... (**अन्तर्बाधायें**)

श्री बी० एस० मूर्त्ति : माननीय मंत्री का यह वक्तव्य अनुसूचित जातियों का अपमान करता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय मंत्री की बात को ठीक प्रकार से समझा जाय ।

श्री पी० एन० राजभोज : माननीय मंत्री दकियानूसी ख्यालों के हैं । (**अन्तर्बाधायें**)

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य श्री पी० एन० राजभोज को बार बार खड़े हो कर बोलने की आदत है । उन्हें इस तरह बाधा नहीं डालनी चाहिये ।

श्री पी० एन० राजभोज : मुझे भी बहुत खेद है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य पुनः बाधा डालेंगे तो मुझे सख्त कार्यवाही करनी पड़ेगी ।

डा० गंगाधर शिव (चित्तूर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : वे केवल जानकारी के प्रश्न पर खड़े हुए थे न कि औचित्य प्रश्न पर ।

श्री पी० एन० राजभोज : मेरी कम्यूनिटी पर जब अन्याय होता है और जब ग़लत बात होती है तो कहना पड़ता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल वही इस जाति के प्रतिनिधि नहीं हैं । सारी सभा में और माननीय सदस्य भी हैं जो इस जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं । उन्हें केवल अपने को प्रतिनिधि नहीं समझना चाहिये ।

डा० गंगाधर शिव : क्या मैं समझूं कि हमारी जाति में उस पद के लिए अहं लोग नहीं हैं ?

उपाध्येक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री केवल साधारण बात का उत्तर दे रहे थे कि अर्हता की आवश्यकता नहीं। मैं यह नहीं समझता कि वे यह कहना चाहते थे कि अनुसूचित जातियों में अर्ह व्यक्ति नहीं हैं। इस के अतिरिक्त मुझे प्रतिवेदन से पता चलता है कि एम. ए. और विधि के छात्रों को, जो अनुसूचित जातियों के थे, ८० प्रतिशत छात्रवृत्तियां दी गई हैं।

डा० काटजू : मुझे क्षोभ हुआ कि....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को स्पष्ट बात कहनी चाहिये ताकि उस के सम्बन्ध में गलत धारणा न हो।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : श्रीमान, एक औचित्य प्रश्न है। क्या उपाध्यक्ष महोदय मंत्री को उस के उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में परामर्श दे सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति। कभी कभी परिहास की अति हो सकती है। यह बहुत गम्भीर मामला है। माननीय सदस्यों ने कुछ अभाव की ओर संकेत किया है और माननीय मंत्री अपनी योग्यता के अनुसार स्पष्टीकरण दे रहे हैं। अब जब मैं ने एक सुझाव रखा है तो इस के सम्बन्ध में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये।

डा० काटजू : श्रीमान् मैं कुछ नहीं कहना चाहता था परन्तु मेरे माननीय मित्र श्री चटर्जी ने कल अपने भाषण में कुछ ऐसी बात कही कि मुझे बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने कहा था कि 'तुम ने प्रतिवेदन में कहीं कहा है कि कुछ पदों पर नियुक्तियों के लिए न्यूनतम अर्हता चाहिये। फिर उन्होंने कहा, "आप उन्हें राज्यपाल नियुक्त क्यों नहीं कर देते जिस में न्यूनतम अर्हता की आवश्यकता नहीं"। मैं समझता हूं कि उन्होंने यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात कही। इस से राज्यपाल पद की प्रतिष्ठा, गरिमा और दर्जा घटता है क्योंकि उस उच्च पद के लिए प्रथम श्रेणी की अर्हताएं चाहियें। मैं यही बात कहना चाहता था। केवल इतनी बात थी। जहां तक अर्हताओं का सम्बन्ध है, जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों में शिक्षा का सम्बन्ध है, मैं जानता हूं कि उन में अधिवक्ता हैं, डाक्टर हैं, चिकित्सिक हैं और हम विश्वास कर सकते हैं कि जब नियुक्तियां की जाएंगी तो राज्य लोक सेवा आयोग आवश्यक बात को करेंगे। आप को इसी प्रतिवेदन में पता लगेगा—मेरे विचार से परिशिष्ट ३ और ४ में—कि विभिन्न राज्यों में कितने व्यक्ति रक्षित पदों पर नियुक्त किये गये हैं। कुछ राज्यों में यह संख्या कम हो सकती है, कुछ में अधिक, परन्तु इस कार्य को करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है।

उदाहरणतः मैं ने कल इलाहाबाद के एक पत्र में पढ़ा—मुझे तथ्यों के बारे में कुछ पता नहीं परन्तु यह एक प्रमुख समाचार है :

> "बनारस में काम हैं परन्तु काम करने वाले नहीं मिलते और ज़िला प्राधिकारियों को नया अनुभव प्राप्त हो रहा है कि उन्हें राजस्व विभाग में जगहें भरने के लिए अच्छे, बुरे या किसी प्रकार के प्रार्थना-पत्र नहीं मिल रहे। हां, ये पद हैं हरिजनों के ही लिए।"

सच हो सकता है मैं नहीं जानता प्रार्थना-पत्र नहीं आ रहे।

मैं अपनी योग्यता के अनुसार यह कह रहा था कि सेवाओं की संख्या पर वाद विवाद करने और ध्यान देने की बजाय हमें यहा तथा राज्यों में सब लोगों के सामाजिक और आर्थिक तथा शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने की ओर ध्यान देना चाहिये। और ज्यों ही यह स्तर ऊंचा किया गया, मुझे पूर्ण निश्चय है कि हमारे राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुसचिवीय, राजनैतिक सैनिक क्षेत्रों में—सब कहीं हमें देश के प्रत्येक भाग में प्रथम

[डा० काटजू]

श्रेणी के व्यक्ति मिलेंगे। मेरे हृदय में पूर्ण प्रशंसा है, मैं बता दूं कि मैं अपने मित्र (श्री उइके की ओर संकेत करते हुए) की प्रशंसा करता हूं क्योंकि यदि यहां भारत में कोई एक जाति है जो स्वतन्त्रता की चट्टान पर दृढ़ खड़ी रही है और जिस ने गत दो हज़ार वर्षों में सब प्रकार के कष्ट सहे हैं, यह आदिवासी जाति है, जिस जाति के लोग जंगलों में चले गये परन्तु, उन्हों ने किसी शासक से चाहे वह विदेश का हो अथवा भारत का, शासित होना स्वीकार नहीं किया। वे अच्छे लोग हैं आप को उन की ओर ध्यान देना होगा। हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री पी० एन० राभोज : अनुसूचित जातियों के लिए नहीं।

डा० काटजू : हम चाहते हैं कि वे ऊंचे उठें। इसलिये उन सब के स्तर को उठाने के लिए उन्हें सब प्रकार की सहायता देने के लिए और धन देने के लिए हमें भरसक प्रयास करना चाहिये। कुछ व्यक्तियों को एक आध पद पर नियुक्त कर के मेरा यह अभिप्राय नहीं कि उन्हें नियुक्त नहीं करना चाहिये। यदि सक्षम व्यक्ति प्राप्त हों तो आप जितने चाहें नियुक्त करें—परन्तु यदि आप समझें कि एक आध पदाधिकारी को नियुक्त कर के आप को कुछ ऐसी चीज़ प्राप्त हो जायेगी जो अन्यथा नहीं प्राप्त हो सकती तो संभवतः हम ग़लत पथ पर जा रहे हैं। मेरा यही अभिप्राय था। मैं सख्त बात नहीं कहना चाहता.....(**बाधा**) मैं ने पहले ही आंग्ल भारतीय जाति के सम्बन्ध में कहा है कि जो प्रश्न उठाए गये हैं मैं उन की जांच करूंगा।

दूसरे, मध्य प्रदेश के मेरे मित्र ने कहा है—मैं यह जानता हूं—कि मध्य भारत और राजस्थान के कई क्षेत्रों में आदिम जातियों की गणना ठीक प्रकार से नहीं हुई, उन्हें जन-गणना में ठीक प्रकार से दर्ज नहीं किया गया। अब हम इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति का आदेश लेंगे परन्तु यह बहुत शीघ्रता का विषय नहीं है। इसलिये मैं ने यह विचार किया कि अच्छा होगा कि मैं पिछड़ी जातियों के आयोग के प्रतिवेदन आने तक प्रतीक्षा कर लूं। वे इस की जांच करेंगे; उन्हें इस विषय की जांच करने के लिए आदेश दिया गया है और फिर हम इसे तुरन्त कर सकेंगे।

अन्त में श्रीमान्, इस प्रतिवेदन को लीजिये। यह हमें वर्ष के आरम्भ में किसी समय दिया गया था और कुछ माननीय सदस्यों ने मुझे बताया कि इस में इस बात का पर्याप्त वृत्तान्त नहीं है कि विशेष पदाधिकारी द्वारा दिये गये सुझावों पर क्या कार्यवाही की गई। अगला प्रतिवेदन वर्ष के आरम्भ में आएगा—ठीक इसी के समान—और यदि मैं प्रबन्ध कर सका और माननीय अध्यक्ष इस से सहमत हुए, हम कुछ पहले इस प्रतिवेदन पर वाद विवाद करेंगे ताकि इस में देरी न हो जाए। मुझे १९५३ के लिए अगला प्रतिवेदन फरवरी अथवा मार्च में मिलेगा, और यदि समय मिल सका तो संभवतः हम इस से भी शीघ्र, अप्रैल अथवा मई के महीने में, इस पर वाद विवाद कर सकें।

बैठने से पूर्व मैं सभा को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि मैं इस वाद विवाद का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं रचनात्मक सुझावों की आशा करता हूं। आप भले ही जितनी चाहें मेरी निन्दा करें। उस से मुझे दुःख नहीं होता क्योंकि मैं अपना कर्तव्य पालन करने का प्रयत्न करता हूं। आप विश्वास रखें कि आप सब की तरह मेरा हृदय इस काम में लगा हुआ है। मैं इन लोगों को प्रगति करते हुए देखना चाहता हूं क्योंकि जब तक ये १२ करोड़ व्यक्ति हमारे साथ न हों भारत समृद्ध नहीं हो सकता, भारत

आजाद और स्वतन्त्र नहीं हो सकता । क्या आप का यह अभिप्राय है कि हम इन १२ करोड़ व्यक्तियों के बिना विश्व में महत्ता प्राप्त कर सकते हैं ? वे हमारा अंश हैं, वे भी देश के इसी प्रकार शासक है जिस प्रकार कि मैं हूं । उन के पास मताधिकार है । वे जो चाहें कर सकते हैं । परन्तु हम यथासंभव शीघ्रता और दृढ़ता से बढ़ना चाहते हैं। इसलिये मैं रचनात्मक सुझावों का स्वागत करता हूं । मैं प्रत्येक भाषण की जांच करवाऊंगा । मैं नहीं जानता कि इस जांच काव या परिणाम निकलेगा क्योंकि सिवाय श्री एन्थनी और मेरे उस मित्र के सुझावों के अन्य सुझाव रचनात्मक प्रतीत नहीं होते । अन्यथा चिल्ला चिल्ला कर कहा जाता रहा है "उप-राज्यपाल नियुक्त कर दीजिये, मंत्रणाकार नियुक्त कीजिये यह बना दीजिये, वह बना दीजिये ।" (**बाधाएं**)

मैं इस की भी जांच करवाऊंगा और हम सब पक्षों पर विचार करेंगे ।

श्री गणपति राम : अभी जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि बनारस से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार वहां नौकरियों के लिए शेड्यूल्ड कास्ट के उम्मीदवार नहीं मिलते मैं उन से कहना चाहता हूं कि मैं उन को पचासों मैट्रीकुलेट, बी० ए० और इंटर पास आदमी दे सकता हूं ।

डा० काटजू : मैं आप को नाम और पता भेज दूंगा आप दे दीजियेगा ।

श्री केलप्पन (पोन्नानी) : श्रीमान्, अभी गृह-मंत्री राज्यपाल पद की गरिमा और प्रतिष्ठा के बारे में बता रहे थे । मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि गांधी जी ने एक बार कहा था कि वे एक हरिजन लड़की को राष्ट्रपति के पद पर देख कर बहुत प्रसन्न होंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु गांधी जी का यह अभिप्राय नहीं था कि हरिजन लड़की सर्वथा अशिक्षित हो । प्रश्न यही था कि न्यूनतम अर्हताएं होनी चाहियें । उन्होंने कहा कि न्यूनतम अर्हताएं पूरी होनी चाहियें । उन्होंने यह समझा कि यह कहा गया है कि राज्यपाल के पद के लिए कोई न्यूनतम अर्हताएं नहीं इसलिए इस पद पर नियुक्तियां करना चाहियें । तब उन्होंने कहा कि राज्यपाल पद के लिए उच्च अर्हताएं होनी चाहियें ।

संशोधन संख्या ६ और २० प्रस्तुत किये गये और वह अस्वीकृत हुए ।

संशोधन संख्या ४४ और ४५ प्रस्तुत किये गये और अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य सब संशोधन अस्वीकृत हो गये हैं ।

इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में और कुछ नहीं करना है । इस पर विचार हो चुका है ।

१९५३-५४ के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक मांग १ पर कटौती प्रस्तावों का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि केवल सं० १ नियमानुकूल है ।

श्री गुरुपादस्वामी ने अनुपूरक अनुदान की मांगों के विभिन्न खर्चों में बचत के लिए कटौती प्रस्ताव रखे हैं । मैं ने यह कई बार बताया है कि तीन प्रकार के कटौती प्रस्ताव होता हैं । एक धन देने की अस्वीकृति का होता है जिस का सम्बन्ध नीति से होता है । इस में कुल मांग में एक रुपये की कटौती की जाती है । दूसरा निजी शिकायतों के सम्बन्ध में होता और सरकार का ध्यान विशेष विषय की ओर दिलाने के लिए रखा जाता है । इस में १०० रुपये की कटौती की जाती है । तीसरी बचत की कटौती होती है जिस में

[उपाध्यक्ष महोदय]

विशेष खर्चे बताने होते हैं जिन में बचत हो सकती है। तो भी मैं इस की अनुज्ञा दे रहा हूं ताकि भविष्य में इस का अनुसरण किया जाए। यदि कोई ? सेवा हो या ऐसा हो जिस का उपबंध मूल आय-व्ययक में न हुआ हो तो माननीय सदस्य उस पर पूर्णत: वाद विवाद कर सकते हैं। अन्यथा नीति के आधार पर वाद विवाद नहीं हो सकता। इस आधार पर मैं २ से ७ तक के कटौती प्रस्तावों को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन व मावेलिक्करा) : श्रीमान् सं० २ उचित है।

उपाध्यक्ष महोदय : काजू उद्योग पर पहले चर्चा की गई थी।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : एक पदाधिकारी ट्रावनकोर राज्य में काजू उद्योग की जांच करने के लिए भेजा गया था। यह नया प्रश्न है और आय-व्ययक में पहले इस का उपबन्ध नहीं किया गया।

श्री वी० पी० नायर : प्रतीत होता है कि काजू उद्योग की गम्भीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने यह पदाधिकारी भेजा है।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : हम ने काजू उद्योग के लिए कोई रुपया नहीं मांगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अत: यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री वी० पी० नायर : "अन्य विविध पद" के लिए एक विशिष्ट उपबन्ध है। हम यह स्पष्ट करवाना चाहते हैं। बिना धन की मंजूरी लिए इस पदाधिकारी को कैसे भेजा जा सकता है ?

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : श्रीमान्, अनुदानों की अनुपूरक मांगों का पृष्ठ ३ देखिए।

उपाध्यक्ष महोदय : जब सरकार के पास पर्याप्त धन नहीं होता, तभी वह सदन से प्रार्थना करती है। मुझे कहना पड़ता है कि इस मामले पर चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान्, हम यह जानना चाहते हैं कि 'अन्य विविध पद' क्या हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इन के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं किन्तु मैं कटौती प्रस्ताव २, ३, ४, ५, ६ और ७ की आज्ञा नहीं देता।

श्री के० के० बसू (डायमंड हार्बर) : ७ की ओर निर्देश करते हुए पिछली बार मंत्री जी ने कहा था कि गैट (जी ए टी टी) की कार्यवाही देखने के लिए एक सम्मेलन होगा। मांग तो प्रस्तुत कर दी गई है, परन्तु अभी तक यह ज्ञात नहीं हुआ कि सरकार ने इस विषय में क्या अनुभव प्राप्त किया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रस्ताव में यह चर्चा नहीं की जा सकती।

मांग संख्या १—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है कि :

"३१ मार्च, १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में 'वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय' के निमित्त जो व्यय होगा, उस के लिए राष्ट्रपति को ४,२७,००० रुपये तक की अनुपूरक राशि दी जाये"।

व्यय के विभिन्न मदों में कमी

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये"।

मैं माननीय मंत्री से कुछ बातें स्पष्ट करवाना चाहता हूं। उद्योग तथा व्यापार पत्रिका के प्रकाशन पर जो व्यय किया जाता है वह अत्यधिक है, क्योंकि इस के लिए जो कागज़ लिया जाता है वह खुले बाज़ार में नहीं खरीदा जाता और इसे बाजार के भाव पर

नहीं खरीदा जाता। जो फर्में इस के लिए कागज़ देती रही हैं उन के भाव अत्यधिक हैं। कागज़ पर इतना व्यय करना अनावश्यक है। हमें इस की छपाई का व्यय ज्ञात नहीं है। मैं इस के बन्द करने के पक्ष में नहीं हूं किन्तु मैं यह अवश्य चाहता हूं कि इस पत्रिका का स्तर ऊंचा किया जाये और इसे अधिक व्यापक बनाया जाये, ताकि इस में सब विषयों के बारे में जानकारी हो। इस में कुछ सुधार हुआ है, परन्तु यह काफ़ी नहीं। इस का व्यय कम करने के लिए भी पग उठाने चाहियें।

अब मैं कुछ शब्द प्रदर्शनियों और उन अधिकारियों के कर्तव्यों के बारे में कहना चाहूंगा जो इन की देखभाल करते हैं। सरकार की प्रवृत्ति इन प्रदर्शनियों की अधिकतर पश्चिमी देशों—यूरोप, केनेडा आदि में करने की है। मैं माननीय मंत्री से यह आश्वासन लेना चाहता हूं कि ये प्रदर्शनियां पूर्व के देशों—मध्यपूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में भी की जायेंगी। इन देशों में और पूर्वी तथा उत्तरी अफ्रीका में हमारे उद्योगों और इन के उत्पाद को लोकप्रिय बनाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया।

इन प्रदर्शनियों के व्यय के बारे में मेरा निवेदन है कि यह बहुत हद तक कम किया जा सकता है। विभिन्न देशों में इन के आयोजन का उत्तरदायित्व वहां हमारे वाणिज्य-दूताभिकर्ताओं को संभाल लेना चाहिए। ऐसा करने से अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति पर जो व्यय होता है, वह बच जायेगा।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का प्रशासनीय व्यय भी बढ़ता जा रहा है, किन्तु इस के फलस्वरूप कोई सुधार होता दिखाई नहीं देता। विभिन्न विदेशों के साथ हमारे निर्यात व्यापार में भी मन्दी है और हम निकटवर्ती देशों में अपने माल को लोकप्रिय नहीं बना सके। माननीय मंत्री को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि "अन्य विविध पद" क्या हैं और इन पर इतना व्यय कैसे आवश्यक है।

वाशिंगटन और रोम में गैट सम्मेलन और अन्तर्राष्ट्रीय रुई सलाहकार समिति में पदाधिकारी भेजने पर ४७,००० रुपये का जो व्यय किया गया था, उस की सावधानी से जांच करने की आवश्यकता है क्योंकि मुझे ज्ञात हुआ है कि इन दो सम्मेलनों में हमारी ओर से फालतू पदाधिकारी भेजे गये थे।

मैं समझता हूं कि इस मंत्रालय को अपना खर्च बहुत कम करना चाहिए। वह मितव्ययता की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। सदन के लिए इन सब मांगों को बिना किसी शर्त के मंजूर कर देना उचित नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : हमें 'अन्य विविध पद' के लिए १,०२,००० रुपया देने के लिए कहा गया है। हमें यह नहीं बतलाया गया कि यह पद क्या हैं। हमें यह भी ज्ञात नहीं कि अतिरिक्त यात्रा भत्ता की कैसे आवश्यकता पड़ी। जब यह पूछा गया था कि क्या त्रावनकोर-कोचीन को कोई आश्वासन दिये गये हैं, तो मंत्री जी ने कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि किसी विशेष पद के बारे में स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो जानकारी मांगी जा सकती है। मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि वे यह जानकारी दें।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि अब कोचीन पर एक आयात तथा निर्यात उप-नियन्त्रक किस लिए नियुक्त किया जा रहा है ? इस का क्या कार्य होगा? मेरा सुझाव यह है कि पूर्वी अफ्रीका से काजू के आयात के सम्बन्ध में कुछ निश्चित

[श्री वी० पी० नायर]

नीति होनी चाहिए और कोचीन कार्यालय को जो इस अनुपूरक अनुदान से चलेगा, कुछ अधिकार देने चाहिएं । यह बिल्कुल आवश्यक है कि नया कार्यालय काजू के आयात पर नियन्त्रण रखे । वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को यह हिदायत जारी करनी चाहिए कि बम्बई के पूंजीपति अफ्रीका से कच्चे काजू के आयात का एकाधिकार न प्राप्त करें और चूंकि इस की खपत कोचीन में या इस के आस पास के क्षेत्रों में होती है, इस लिए इसे केवल कोचीन द्वारा आयात किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह नीति का मामला है ।

श्री के० के० बसु : मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री अब इस मामले पर कुछ प्रकाश डालेंगे कि गैट में सम्मिलित रहने के विषय में अब सरकार की क्या नीति है ।

श्री बी० के० दास (कोन्टाई) : प्रदर्शनियों के लिए जो अतिरिक्त अनुदान मांगा गया है, मैं उस के सम्बन्ध में कुछ जानकारी लेना चाहूंगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि हम किन कारणों से इन प्रदर्शनियों में सम्मिलित होते हैं और क्या यह पद हमारे कुटीर उद्योगों के माल का प्रचार करने के लिए निकाला गया है ?

श्री करमरकर : मुझे हर्ष है कि माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाये हैं, उन से मुझे वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को स्पष्ट करने का अवसर मिलेगा ।

सब से पहले मैं बुलेटिनों के मामले को लेता हूं । यदि श्री गुरुपादस्वामी इन्हें पढ़ें तो वे स्वयं मानेंगे कि इन से बहुत लाभ होता है । इन में ५०० से ५ लाख रुपये तक की राशि के लिए प्रत्येक व्यक्ति को दिये जाने वाले आयात तथा निर्यात लाइसेंसों के बारे में जानकारी दी जाती है । यह हम इसलिए देते हैं कि लोग आयात तथा निर्यात नियन्त्रण विभाग के कार्य को समझ सकें । चूंकि हम ने निर्यात तथा आयात का क्षेत्र बढ़ा दिया है इस लिए इन बुलेटिनों का व्यय भी बढ़ गया है ।

मुझे श्री गरुपादस्वामी के मुख से यह सुन कर हर्ष हुआ है कि हमारी मासिक पत्रिका उद्योग तथा व्यापार में कुछ सुधार हुआ है । जनता इस पत्रिका की उपयोगिता को बहुत अच्छी तरह जानती है । यह प्रचार के लिए नहीं है हम सब उपलब्ध सामग्री जनता के सामने रख देते हैं और बुलेटिन की प्रतियां संसद के प्रत्येक सदस्य को दी जाती हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उन्हें पूरी जानकारी प्राप्त हो सके । मुझे यह बतलाने म हर्ष है कि हम ने इस वर्ष प्रयोगात्मक रूप से बुलेटिन का एक हिन्दी संस्करण भी निकाला है । इस के लिए कुछ अधिक व्यय करना पड़ता है क्योंकि हमें हिन्दी जानने वाले कर्मचारी नियुक्त करने पड़ते हैं ।

श्री वेलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा —रक्षित—अनुसूचित जातियां) : क्या इस से कुछ लाभ होता है ?

श्री करमरकर : इस समय तो यह आत्म-निर्भर नहीं है किन्तु आशा है कि यह आत्म-निर्भर हो जायेगी ।

अब मैं प्रदर्शनियों के प्रश्न को लेता हूं । सदन ने इस विषय में बहुत रुचि दिखलाई है । मुझे हर्ष है कि हम ने जो माल प्रदर्शित किया है, उस में लोगो ने रुचि दिखलाई है । मैं ने हाल में बर्लिन में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा किया है । जर्मनी की सरकार ने हमारे लिए सब प्रबन्ध किये थे । हमें कुछ खर्च अवश्य करना पड़ा था किन्तु दर्शकों की संख्या से हमारा उत्साह बढ़ा है । अधिक से अधिक संख्या ८०,००० तक पहुंच गई थी और यह

प्रदर्शनी १० दिन तक रही । पहले तो लोग केवल नई चीज़ें देखने के लिए आते थे किन्तु बाद में व्यापार-सम्बन्धी बातचीत भी हुई ।

परन्तु, श्रीमान्, मुझे खेदपूर्ण कहना पड़ता है कि हम इस इतनी बढ़ी प्रदर्शनी से पूर्ण लाभ नहीं उठा सके हैं। यह अपनी वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने का एक सर्वोत्तम उपाय है । मुझे यह जान कर बड़ी प्रसन्नता है कि गत दो वर्षों में विदेशों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा मैसूर के कुछ भागों के कुटीर-उद्योग-उत्पादनों की, जैसे छपी हुई वस्तुओं, हाथी दांत का काम तथा बनारसी ज़री का काम, मांग रही हैं । प्रदर्शनियों पर जो अनुदान व्यय किया जाता है यदि वह उचित रूप में किया जाये तो इस देश से निर्यात की मांग के रूप में इस का परिणाम अवश्य ही उत्तम होगा ।

मेरे माननीय मित्र श्री दास ने एक बात कही थी कि हम अपने प्रयत्नों को एशिया में क्यों केन्द्रित नहीं कर रहे हैं । हम इस के लिये प्रयत्न कर रहे हैं । किसी प्रदर्शनी की स्वयं व्यवस्था करने पर, दूसरों की प्रदर्शनी में भाग लेने की अपेक्षा अधिक व्यय होता है । उदाहरणार्थ, स्विट्ज़रलैण्ड में लौसेन में आगामी वर्ष वे एक वार्षिक मेला कर रहे हैं । उस में केवल हमारा देश ही भाग लेगा । प्रति वर्ष वे एक अन्य देश को आमन्त्रित करते हैं, तथा इस वर्ष उन्हों ने हमें आमन्त्रित किया है । आयव्ययक में हम ने कुछ धन की व्यवस्था की है । यह प्रदर्शनी सितम्बर में होगी, हम इस से लाभ उठा सकते हैं क्योंकि स्विट्ज़रलैण्ड के अतिरिक्त उस में केवल भारत ही अतिथि-देश के रूप में भाग लेगा । स्वभावतः हम इस ओर अपनी कार्यवाहियों का विस्तार करने के इच्छुक हैं परन्तु ये प्राप्य वित्त के अनुकूल होंगी ।

मैं वाणिज्य दूतालयों के सम्बन्ध में एक दृष्टि से प्रसन्न हूं, तथा अन्य से अप्रसन्न। प्रसन्न इसलिये हूं कि इस से मुझे मामले का स्पष्टीकरण करने का अवसर प्राप्त होता है, तथा अप्रसन्न इसलिये हूं कि मेरे मित्र श्री गुरुपादस्वामी अपने सुझाव के परिणामों को नहीं समझते हैं । वाणिज्य दूतालयों तथा दूतावासों को विशेष उद्देश्यों के लिये रखा जाता है, उन में से एक विदेशों में हमारे व्यापार का विकास करने के लिये होता है । अपने वाणिज्य दूतों तथा राजदूतों से जितनी हम सहायता लेते हैं उतना ही उन का कार्य रुकता है, क्यों कि उन में से सब के पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं । उदाहरणार्थ बर्लिन में हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि ने इस में भाग लिया था तथा बौन-राजदूत न सारी सहायता दी थी । ऐसे प्रबन्धों से पर्याप्त फल प्राप्त नहीं हो सकता है । मैं इस सदन से यह प्रोत्साहन चाहता हूं कि हम अधिक और अधिक अधिकारियों को भेज सकें, यद्यपि इसका अर्थ है अधिक व्यय । इन से जो कार्य सिद्ध होता है वह इतना महत्वपूर्ण होता है और प्रत्येक देश इस मामले को इतना महत्व देता है कि हम यह महसूस करते हैं कि यदि हम इन प्रदर्शनियों को पूर्णतया फलदायिनी बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास इतने साधन नहीं हैं जिन की हमें आवश्यकता है ।

मेरे मित्र को बेकार अधिकारियों के बारे में कुछ कहना था, तथा उन के मतानुसार दो बेकार अधिकारियों में एक मैं था। मैं जी. ए. टी. टी. के सम्बन्ध में गया था तथा इस से, यदि विनिभ्रता पूर्ण कह सकूं, पर्याप्त लाभ हुआ । क्योंकि अन्य देशों के मन्त्री आये थे तथा हमारा पर्याप्त रूप से विचारविनिमय हुआ । मेरे मित्र यह जानते हैं कि हम बचत का कितना ध्यान रखते हैं । यदि मैं चाहता तो मैं अपनी सुविधा के लिए अपने निजी सचिव को ले जाता । मैं ने कहा मैं कुछ असुविधा सहन कर लूंगा परन्तु मुझे मेरे मन्त्रालय में से उस अधिकारी को दे

[श्री करमरकर]

दिया जाये जो सात वर्षों से इस विषय के सम्पर्क में रहा है। मैं एक अवर-सचिव को ले गया जिस की उपस्थिति अत्यन्त लाभदायक थी ।

कोचीन के सम्बन्ध में मेरा ख्याल था कि वहां एक उप-मुख्य नियन्त्रक रखने के लिये हमें गुलदस्ता मिलेगा ।

श्री वेलायुधन : हम आभारी हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सुझाव यह था कि वहां अब उपमुख्य नियन्त्रक का कार्यालय स्थापित हो जाने के कारण, काजू के आयात के लिये केवल उस पत्तन को लाईसेन्स दिया जाना चाहिये, बम्बई को नहीं। इस के अतिरिक्त मेरा ख्याल है कि प्राक्कलन समिति ने भी एक सिफ़ारिश की है ।

श्री करमरकर : श्रीमान्, आप का कहना पूर्णतया सत्य है। आप ने अभी कहा था कि वहां हमारा एक उत्तरदायी अधिकारी है, यह अच्छा ही है । उन्हों ने इस ओर संकेत किया है। इस पत्तन का हम बहुत पहले से ही विकास करना चाहते थे । हम निर्यात तथा आयात व्यापार का भी विकास करना चाहते हैं । त्रावनकोर-कोचीन के बारे में हमें बड़ी सावधानी से काम लेना है । यदि इस से वहां अधिक कार्य मिलता है, तो हमें प्रसन्नता होगी । परन्तु इसे कार्यान्वित करने में कठिनाई है ? निर्यात अनुज्ञप्तियों के बारे में कोई अधिक कठिनाई नहीं है क्यों कि उन में बहुत सी मुक्त अनुज्ञप्तियां दी जाती हैं । परन्तु आयात के सम्बन्ध में हम अधिकतर इस बात पर दृढ़ रहते हैं कि अपने आयात अनुज्ञप्तियों को, आवश्यकतानुसार, मान्यता प्राप्त आयात-कर्ताओं तक ही सीमित रखें ।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य सुझाव यह था कि मान्यताप्राप्त आयात-कर्ता कोचीन पत्तन से ही आयात कर सकता है ।

श्री० वी० पी० नायर : श्रीमान्, उन्हों ने कुछ प्रश्नों के उत्तर में स्वीकार किया है कि काजू का आयात आजकल तीन या चार व्यक्तियों का एकाधिकार है जो बम्बई से आयात करते हैं । पचास या सौ वर्ष पूर्व वे अफ्रीका में थे तथा अब अफ्रीका से काजू का आना उन के हाथ में है ।

श्री करमरकर : यदि आयातकर्ता बहुत थोड़े हैं तथा यदि निर्माणकर्ताओं को अनुज्ञप्तियां प्राप्त करनी हैं, तो मान्यता प्राप्त आयात-कर्ताओं से विशेषाधिकार या सुविधा को वापस लेने में क्या कठिनाई है ?—मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि हम उस पर उस की विशेषता के आधार पर विचार करेंगे ।

श्री बसु मुझ से जी. ए. टी. टी. के विषय में पूछना चाहते थे । इस पर हम ने पर्याप्त समय लगाया है। १९४७ में हम ने एक सम्मेलन किया था जो दस मास तक चला था। उस समय हमारा विचार था और अब भी यही विचार है कि जी. ए. टी. टी. में हमारा भाग लेना लाभदायक रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या इस के लिये एक दिन नियत किया जायेगा या नहीं ।

श्री करमरकर : क्योंकि हम इस प्रश्न को महत्व देते हैं तथा आगामी सत्र निकट है, इसलिये मैं जी. ए. टी. टी. में हमारे भाग लेने के सम्बन्ध में सदन का मत जानना चाहूंगा। हो सकता है कि आयव्ययक सत्र सुविधाजनक समय हो ।

श्री वी० पी० नायर : मेरा ख्याल है कि आप का अभिप्राय वह नहीं है जो आप कह रहे हैं ।

श्री करमरकर : इस से पहिले कि हम जी. ए. टी. टी. के विषयक आगामी सम्मेलन में भाग लें, हम सदन का मत जानना चाहते हैं । हम चर्चा टालना नहीं चाहते अपितु उस का स्वागत करते हैं ।

बचत के विषय में कुछ कहा गया था । अधिकारियों के सम्बन्ध में मैं बता चुका हूं । एक अधिकारी के अतिरिक्त हम ने सब अधिकारियों का व्यय अन्य मदों के अन्तर्गत किया है । हम व्यय में वृद्धि करना नहीं चाहते हैं । इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री गुरुपादस्वामी के उस कटौती प्रस्ताव पर सदन का मत लूंगा जो उन्हों ने वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय की ४,२७,००० रु० तक की अनुपूरक मांग में १०० रु० की कटौती करने के लिए प्रस्तुत किया था ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं मांग पर सदन का मत लूंगा ।

प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय के निमित्त व्यय के लिये राष्ट्रपति को ४,२७,००० रुपये तक की अनुपूरक राशि दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग संख्या १०—संचरण मंत्रालय के अन्तर्गत विविध व्यय

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है कि :

"३१ मार्च १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में संचरण मन्त्रालय के निमित्त जो विविध व्यय होगा उस के लिये राष्ट्रपति को ५,१५,००० रु० तक की अनुपूरक राशि दी जाये ।"

कटौती प्रस्ताव संख्या ८ नियमानुकूल नहीं है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : श्रीमान्, यह नियम बाह्य क्यों बता दिया गया है । हमें कभी विदित नहीं होता है क्या नियम-बाह्य किया जाता है और किसे अनुमति दी जाती है ।

४ म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : यह कैसे उत्पन्न होता है ? इस का सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के लिये भारत के चन्दे में कमी से है । यह एक नीति-विषय है । मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस संगठन के लिये यह चन्दा कब निश्चित हुआ था । क्या यह पिछले आय व्ययक का विषय था ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : हां, श्रीमान् । यह बहुत वर्षों से चला है । इस में कोई नई बात नहीं है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : हम इस राशि में कमी चाहते हैं । यह राशि आय व्ययक में नहीं रखी गई थी । उन्हों ने कहा था कि यह ३१ मार्च १९५३ को ली गई थी, तथा इस समय राशियों का समायोजन करने की दृष्टि इसे सम्मिलित करना है ।

श्री जगजीवन राम : धन का भगतान कर दिया गया है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह भुगतान ३१ मार्च १९५३ को क्यों किया गया था जिस से समायोजन न हो सका ? इस के अतिरिक्त, हम अपना चन्दा भी बढ़ाते रहे हैं । यह १९५३–५४ के आयव्ययक में नहीं था ।

श्री जगजीवन राम : नागरिक उड्डयन के इस मामले के सम्बन्ध में, यह मांग लोकसभा में अनुपूरक अनुदान के रूप में स्वीकार की गई थी। दुर्भाग्यवश, बैंक ने १९५२–५३ के खातों में व्यय के लिये देय नहीं बढ़ाया था और न समायोजन किया था।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह इस वर्ष हमारे समक्ष रखे गये तथा स्वीकृत आय व्ययक में सम्मिलित था ? **(अन्तर्बाधा)**

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य का विचार है कि क्योंकि मैं ने आय व्ययक पढ़ा था, अतः कोई भी प्रश्न किया जा सकता है। यह केवल एक आगणन का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने भिन्न रूप में विचार किया है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं एक स्पष्टीकरण चाहती हूं। यदि राशि पर मत नहीं लिया गया है, यदि पूर्ण राशि आय व्ययक में सम्मिलित नहीं की गई है, तो क्या हम कोई भी प्रश्न नहीं कर सकते ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न किया जा सकता है। यदि अनुपूरक मांग पर मत लिया जा चुका है तो अब यह केवल आगणन का प्रश्न है। क्या अन्तर्राष्ट्रीय उड्डयन संगठन के चन्दे का प्रश्न प्रथम बार आया है ?

श्री जगजीवन राम : नहीं। सदन ने लगभग ४,७२,३२४ रु० की अनुमति दी थी।

उपाध्यक्ष महोदय : विचारनीय बात केवल यह है कि यह एक ऐसा मामला है कि जिसके सम्बन्ध में सदन ने नीति पर विचार कर लिया है तथा इस पर फरवरी, १९५३ में मतदान हो चुका है। मंत्री महोदय का यही कहना है। जहां तक इस कटौती प्रस्ताव का सम्बन्ध है, एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या केवल इस कारण राशि को कम कर दिया जाना चाहिये कि पिछले वर्ष इसका भुगतान समय के अन्दर नहीं किया जा सका ? अब यह मामला नीति से सम्बन्ध रखता है। इसका भुगतान तब तक नहीं किया गया था, इसी लिये इसे अब प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्न यह है कि :

> "३१ मार्च, १९५४ में समाप्त होने वाले वर्ष में 'संचरण मंत्रालय' के अन्तर्गत 'विविध व्यय' के निमित्त जो व्यय होगा, उसके लिये राष्ट्रपति को ५,१५,००० रुपये तक अनुपूरक राशि दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान्, क्या माननीय मंत्री यह कह सकते हैं कि पिछले वर्ष फरवरी में आय व्ययक प्रस्तुत करते समय उन्होंने कोई अनुपूरक अनुदान भी उस में शामिल किया था ?

उपाध्यक्ष महोदय : वर्ष १९५३-५४ के सम्बन्ध में अनुपूरक मांगों के प्रस्तुत करने से पहिले वर्ष १९५२-५३ सम्बन्धी अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुत करना ज़रूरी है।

मांग संख्या २७—सीमा शुल्क

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है कि :

> "३१ मार्च १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में 'सीमा शुल्क' के निमित्त जो व्यय होगा, उसके लिये राष्ट्रपति को २५,००,००० रुपये तक अनुपूरक राशि दी जाय"।

कटौती प्रस्ताव ९ नियमानुसार नहीं है।

श्री वी० बी० गांधी (बम्बई नगर—उत्तर) : २५ लाख रुपये की यह मांग समुद्री सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक का परिणाम है तथा इस राशि का प्रयोग आयात किये जाने वाले उस सामान का शुल्क लौटाने

में होगा जिससे कि निर्यात करने के लिये माल तैयार किया जाता है । स्पष्ट है कि इसका प्रयोग पत्तनों पर सीमाशुल्क प्रशासन द्वारा किया जायगा ।

मेरे कहने का तात्पर्य इतना है कि उक्त प्रशासन को अच्छी तरह से जतला दिया जाना चाहिये कि सदन उससे इस राशि तथा इस नये अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें दिये गये अधिकारों के ध्यान पूर्वक प्रयोग की आशा करता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इन सब बातों पर पहले चर्चा हो चुकी है तथा नये सिरे से फिर उन्हें आरम्भ करने का कोई लाभ नहीं ।

अब मैं मांग संख्या २७ के प्रस्ताव को मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग संख्या ३८--वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न विभाग तथा व्यय

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है कि :

"३१ मार्च १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में 'वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न विभाग तथा व्यय' के निमित्त जो व्यय होगा, उसके लिये राष्ट्रपति को १३,००,००० रुपये तक की अनुपूरक राशि दी जाय" ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं अपने नाम में तीन कटौती प्रस्ताओं को प्रस्तुत करती हूं । मैं केवल संख्या (३) के बारे में ही कुछ कहूंगी जो सामाजिक शिक्षा के लिये प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के विषय में है ।

यह धन सामाजिक शिक्षा पर व्यय किया जायगा । कुछ दिन पहले माननीय शिक्षा मंत्री ने हमें बतलाया था कि उन्हें स्वयं पता नहीं कि वह इसका क्या प्रयोग करेंगे । अब हम एक बड़ी राशि पर मत देने जा रहे हैं । देश में शिक्षा सम्बन्धी अनेक केन्द्र पहले ही काम कर रहे हैं तो अब हम सामाजिक शिक्षा के व्यवस्थापकों के लिये वैज्ञानिक ढंग से चलाये गये अल्प-कालीन कार्यक्रम पर इतना धन क्यों व्यय करने जा रहे हैं ? हमें पता ही नहीं कि सामाजिक शिक्षा है क्या । आखिर आप पहले से चल रहे केन्द्रों की सहायता क्यों नहीं करते ?

श्री वेलायुधन : मैं यह जानना चाहता हूं कि नीलोखेड़ी, हैदराबाद, गांधीग्राम, शांतिनिकेतन तथा इलाहाबाद के पांच सामाजिक शिक्षा केन्द्रों में कितने व्यवस्थापकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा क्या उन्हें किसी योजना या किन्हीं केन्द्रों में नियुक्त किया गया है ? मेरी सूचना के अनुसार ऐसे बहुत से व्यक्ति कोई काम नहीं कर रहे हैं ।

श्री टी० एन० सिंह (जिला बनारस--पूर्व) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत टैकनिकल सहयोग प्रशासन तथा बोर्ड प्रशिक्षण सम्बन्धी राशियों के और उनके लेखाओं के रखने की कोई विशेष पद्धति अपनाई गई है अथवा कि वे सभी किसी अनुचित निधि में रखे जाते हैं तथा यदि ऐसा है तो निरीक्षण के प्रयोजन के लिये उन्हें कैसे पृथक किया जाता है ?

श्री बी० के० दास : मैं इन पांच सामाजिक शिक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में व्यय को पृथक पृथक शीर्षकों के अन्तर्गत जानना चाहता हूं । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि वहां पर प्रशिक्षित किये जा रहे व्यक्तियों की संख्या क्या है ; कितने व्यक्ति इस से पहले प्रशिक्षित किये जा चुके हैं तथा कितने इस समय किये जा रहे हैं ?

श्री एम० सी० शाह : मैं अपने माननीय मित्र को बताना चाहता हूं कि हमें गेहूं ऋण, कोलम्बो योजना तथा टेकनिकल सहकार प्रशासन से जो कुछ मिलता है, उसे एक विशेष विकास निधि में आकलित कर दिया जाता

[श्री एम० सी० शाह]

है । विचार किये गये सभी व्यय को उक्त निधि के अन्तर्गत ही लिया जायगा । हमें कोलम्बो योजना के अन्तर्गत इस वर्ष २८ करोड़ रुपये के मिलने की आशा है । यह सब धन विशेष विकास निधि के अन्तर्गत लिया जायगा ।

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : एक प्रश्न अभी तक प्रशिक्षित किये गये तथा प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षित किये जा रहे प्रशिक्षार्थियों के बारे में पूछा गया है । योजना काल में हमें १८०० व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है । इस समय चलाये जा रहे पांच केन्द्रों में काफ़ी स्थान नहीं है । अभी तक हम १५९ व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर चुके हैं तथा १५७ को प्रशिक्षण दिया जा रहा है । हम देखते हैं कि उपलब्ध वर्तमान सुविधाओं के अन्तर्गत हम एक केन्द्र में केवल ४० व्यक्तियों को ही प्रशिक्षित कर सकते हैं ।

पृथक पृथक रूप से व्यय सम्बन्धी आंकड़े इस प्रकार से हैं :

२ लाख रुपये से कुछ अधिक मांगी गई राशि को प्रशिक्षार्थियों के लिये अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था करने के लिये ५०,००० रुपये प्रति केन्द्र की दर से व्यय किया जायेगा । स्थान की कमी के कारण हम योजना काल में अपेक्षित संख्या में व्यवस्थापकों को तैयार नहीं कर पायेंगे । स्वाभावतः हमें अधिक स्थान की आवश्यकता है । पथक पृथक रूप से आंकड़े इस प्रकार से हैं :

	रुपये
फर्नीचर तथा दूसरी वस्तुयें	४०,०००
पुस्तकें तथा दूसरी वस्तुयें	१ लाख रुपये से कुछ अधिक
अन्य परियोजनाओं पर अन्य व्यय	१,१२,०००
प्रासंगिक व्यय	७५,०००

ये पांच केन्द्र इस समय गांधीग्राम, हैदराबाद, शांतिनिकेतन, नीलोखेड़ी तथा इलाहाबाद में चल रहे हैं । एक प्रश्न यह है कि प्रशिक्षण के बाद ये व्यवस्थापक क्या करेंगे । उन्हें कुछ सामुदायक परियोजना केन्द्रों में भेजा जायगा । वास्तव में वे सारे काम पर लगाये जा चुके हैं । मुझे यह मालूम नहीं कि पहले से प्रशिक्षित व्यक्तियों में से भी कोई बेकार है, यदि किसी प्रशिक्षित व्यक्ति को काम नहीं मिला तो माननीय सदस्य उसका नाम हमें बतलायें; उसे काम पर ले लिया जायेगा ।

श्री वी० पी० नायर : मैं मांग संख्या ३८ के अन्तर्गत कटौती प्रस्ताव १२ के बारे में जिसे उपाध्यक्ष महोदय ने नीति सम्बन्धी होने से अस्वीकृत कर दिया है, कुछ कहना चाहता हूं । इस मांग में अधिकारियों के वेतन के सम्बन्ध में ८३,००० रुपये के अतिरिक्त धन की मांग की गई है ।

श्री एम० सी० शाह : आयव्ययक में हमने ५ लाख रुपये की मांग की थी, परन्तु वास्तविक आंकड़ों से यह व्यय अधिक होने से हमें इस अनुपूरक राशि को मांगनां पड़ा है ।

श्री वी० पी० नायर : करारोपण जांच आयोग एक नया आयोग है जिसमें आप कुछ अधिकारियों को नियुक्त कर रहे हैं तथा उन्हीं के लिये इस धन की आवश्यकता है । कल मैंने संसद सचिवालय के करारोपण जांच आयोग से कुछेक आयोगों में काम कर रहे अधिकारियों के बारे में सूचना मांगी थी, विशेषतः उन आयोगों की संख्या के बारे में जिनमें वित्त सचिव काम कर रहे हैं । परन्तु वित्त मंत्रालय को टेलीफोन करने पर भी मुझे यह सूचना नहीं मिल सकी । इसी कारण मुझे इस कटौती प्रस्ताव की पूर्व सूचना देनी पड़ी है । वित्त सचिव इस समय इतनी समितियों तथा आयोगों में काम कर रहे हैं कि किसी को यह संख्या विदित नहीं है । यदि माननीय मंत्री मझे यह सूचना दे सकें

कि वित्त मंत्रालय के वर्तमान वित्त सचिव महोदय तथा आर्थिक मामलों के सचिव महोदय किन किन समितियों में काम कर रहे हैं तो मैं अपने कटौती प्रस्ताव को वापस ले सकूंगा ।

श्री एम० सी० शाह : मैं यह जानकारी प्राप्त कर सकता हूं । यह न तो गोपनीय है न तो गुप्त रखी जा सकती है । सच तो यह है कि वित्त मंत्रालय का न केवल सचिव बल्कि संयुक्त सचिव भी कई समितियों में काम करते हैं । जहां भी कोई वित्तीय मामला होता है, हमें वित्त मंत्रालय का एक न एक प्रतिनिधि भेजना पड़ता है । मेरे माननीय मित्र जो सूचना मांगे, मैं देने के लिये तैयार हूं । कोई बात छिपाने की तो है ही नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देख रहा हूं कि माननीय सदस्य कटौती प्रस्तावों पर ज़ोर नहीं दे रहे हैं । अब मैं इस मांग को सदन के मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति को ३१ मार्च, १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में 'वित्त मंत्रालय के अधीन फुटकर विभाग तथा खर्च' के सम्बन्ध में होने वाले खर्च के लिये १३,००,००० रुपये तक की अनुपूरक राशि दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देख रहा हूं कि "हां" कहने वालों की आवाज़ "न" कहने वालों की अपेक्षा दुर्बल है । सचेतकों को चाहिये कि मंत्रियों को सहायता देने के लिये सदन में रहें ।

मांग संख्या ४५—कृषि

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मांग पर विचार करेंगे । प्रस्ताव यह है :

"कि ३१ मार्च, १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में, 'कृषि' के सम्बन्ध में होने वाले खर्च को पूरा करने के लिये राष्ट्रपति को ३२,२२,००० रुपये तक की अनुपूरक राशि दी जाय ।"

श्री केलप्पन का एक कटौती प्रस्ताव है जिससे कि वे लम्बे रेशे की रुई की खेती को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर जोर दे सकें । यह नीति का विषय नहीं है, अतः यह नियमानुकूल नहीं है ।

श्री केलप्पन (पोन्नानी) : मैं माननीय मंत्री से एक बात पूछना चाहता हूं । मांग के साथ वाली टिप्पणी में कहा गया है कि "१९५० में, देश को कपड़ा उद्योग के लिये रुई की आवश्यकता स्वयं पूरी करने योग्य बनाने के उद्देश्य से देश में रुई का उत्पादन बढ़ाने की योजना लागू की गई" ।

हमारे देश में ४० लाख गांठ रुई की खपत होती है जिस में से १० लाख गांठ बाहर से मंगाई जाती है । यह १० लाख गांठ लम्बे रेशे वाली रुई होती है । भारत सरकार के रुई विशेषज्ञों का कहना है कि एक विशेष प्रकार की लम्बे रेशे की रुई जो मिश्र की रुई से भी अच्छी होती है, पच्छिमी घाट पर बोई जा सकती है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस रुई की खेती को प्रोत्साहन देने के लिये कुछ किया जा रहा है या नहीं ।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि भूमि कर में जो छूट दी जा रही है, उसी के अनुकूल छूट वास्तव में खेती करने वालों को भी मिलती है या नहीं । यदि भूमि का किराया नहीं घटाया जाता है तो कर के घटाने मात्र से ही उत्पादन नहीं बढ़ेगा । माननीय मंत्री से मेरा निवेदन यही है कि वास्तविक खेतिहर को कर में हुई कमी से लाभ पहुंचे । उन्हें इस बात का भी प्रबन्ध करना चाहिये कि केवल लम्बे रेश की रुई की खेती को ही प्रोत्साहन मिल ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस राशि के भुगतान के सम्बन्ध में झगड़ा था महालेखापाल ने तो बहुत समय पहले हिसाब किताब देखा होगा । क्या इस सम्बन्ध में कोई झगड़ा था ; और यदि हां, तो कैसा ? क्या बम्बई तथा सौराष्ट्र की सरकारों के हिसाब किताब पर आपत्ति की गई थी ?

श्री बी० क० दास : इस में कहा गया है कि बम्बई तथा सौराष्ट्र के राज्यों ने दावे किये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या और सरकारों नें भी दावे किये हैं ? वे तै कर दिये गये है या नहीं और उन के तै करने के लिये कुल कितनी राशि चाहिये ?

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : बम्बई तथा सौराष्ट्र ने १९५०-५१ में लम्बे रेशे वाली रुई के अतिरिक्त उत्पादन के सम्बन्ध में जो खर्च किया, उस सम्बन्ध में हम इन राज्यों को लग भग ३२ लाख रुपया दे रहे हैं । हम सहर्ष इस की स्वीकृति देते हैं परन्तु माननीय मंत्री हमें बतायें तो सही कि कितनी अधिक और किस प्रकार की रुई उगाई गई है ।

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री म० वी० कृष्णप्पा) : इस हिसाब किताब की पड़ताल करने का भरसक प्रयत्न किया गया था । इसी जांच पड़ताल के कारण तीन वर्ष का समय लगा । बम्बई तथा सौराष्ट्र ने हिसाब किताब भेजा था और हमें इन राज्यों के लगान सम्बन्धी लेखे के साथ इसे मिलाना पड़ा क्योंकि यह रियायत उस अतिरिक्त भूमि के लिये थी जो १९५० में जोती गई । पड़ताल इन सब बातों की होती थी कि जो भूमि जोती गई वह अभी जोती गई या प्रारम्भ से ही जोती जा रही है । इस लिये इन राज्यों के लगान सम्बन्धी लेखों की जांच की जानी थी । यह जांच पड़ताल की गई जिसको महालेखा परीक्षक ने प्रमाणीकृत किया । उस के बाद ही राशि दी जा रही थी ।

हैदराबाद, मद्रास, पेप्सू और उत्तर प्रदेश राज्यों नें भी इसी प्रकार के दावे किये हैं और उनकी जांच पड़ताल की जा रही है । कुल उत्पादन के सम्बन्ध में श्री केलाप्पन जानना चाहते हैं कि हमने लम्बे रेशे की रुई की खेती को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कार्यवाही की है । मैं यह बात उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि १९४७-४८ में लम्बे रेशे की रुई का कुल उत्पादन ३.१८ लाख गांठ था । १९४८-४९ में यह उत्पादन केवल ३.१० लाख गांठ रह गया, १९४९-५० में यह बढ़ कर ४.९२ लाख गांठ को गया और १९५१-५२ में यह १० लाख गांठ तक बढ़ गया है । इस प्रकार हम ने लम्बे रेशे की रुई का उत्पादन बढ़ाने के जो प्रयत्न किये हैं, उनका फल यह हुआ है कि दो या तीन वर्ष में लम्बे रेशे की रुई के उत्पादन में लगभग ५ लाख गांठ की बृद्धि हुई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि ३१ मार्च, १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में, 'कृषि' के सम्बन्ध में होने वाले खर्च को पूरा करने के लिये राष्ट्रपति को ३२,२२,००० रुपये तक की अनुपूरक राशि दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग संख्या ४७—विविध विभागों और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत व्यय

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव यह है कि:

> "३१ मार्च, १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में 'विविध विभागों और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत' जो व्यय होगा उसके लिये राष्ट्रपति को १५,००,००० रुपये तक की अनुपूरक राशि दी जाये ।"

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीमान्, मेरा कटौती प्रस्ताव संख्या १७ है । मैं केवल यह जानना चाहती हूं कि पहिले यह राशि १६.७७ करोड़ रुपये थी किन्तु अब अन्तिम गणना के बाद यह कहा जाता है कि यह राशि १६.९९ करोड़ रुपये है । पहिले ही इतनी राशि नष्ट हो चुकी है । अब ऐसी क्या नई बात हो गई है जिस के कारण यह अतिरिक्त राशि और मांगी जा रही है ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : वास्तव में २ करोड़ रुपये से अधिक की कमी हो गई है । आरम्भ में वस्तुतः लगभग १९ करोड़ रुपये की 'पूंजी' की हानि का अनुमान लगाया गया था जो अब घट कर १९.९९ करोड़ रुपये रह गया है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यहां यह लिखा हुआ है कि आरम्भ में १६.७७ करोड़ रुपये की 'पूंजी' की हानि का अनुमान लगाया गया था ।

श्री एम० सी० शाह : गेहूं की लागत ९० करोड़ रुपये थी और जब हमने उस गेहूं को बेचा था तो आरम्भ में हमने ७१ करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान लगाया था । इस प्रकार लगभग १९ करोड़ रुपये की 'पूंजी' की हानि हुई थी । हमने उसे निलम्बित खाते में डाल दिया है और हम उस हानि को पूरा करने के लिये प्रति वर्ष थोड़ी राशि दे देते हैं ।

श्री के० क० बसु : तो आप ने ऐसा क्यों लिखा है ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: तो यहां यह १६.७७ करोड़ रुपये का उल्लेख क्यों किया गया है ? पहिले आय-व्ययक में इस का उपबन्ध कर दिया गया था तो अब ये कुछ लाख रुपये और क्यों मांगे जा रहे हैं ?

श्री एम० सी० शाह : आरम्भ की गणना के अनुमान के अनुसार यह १९ करोड़ रुपये के लगभग आई थी; इसे निलम्बित खाते में डाल दिया गया था ।

श्री टी० एन० सिंह : श्रीमान्, मैं एक बात जानना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : पहिले इस बात को ही क्यों न स्पष्ट कर दिया जाये ?

श्री टी० एन० सिंह : श्रीमान्, मैं तो समझता हूं कि यह बात स्पष्ट हो गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो नहीं समझता उनके मन में अब भी कुछ शंकायें हैं ।

श्री किदवई : दूसरें पक्ष वालों ने जो बात उठाई है उसे मैं अच्छी प्रकार समझ नहीं सका ।

श्री के० के० बसु : पाद टिप्पणी के अनुसार अमरीका से उधार ली हुई गेहूं में आरम्भ में १६.७७ करोड़ रुपये की 'पूंजी' की हानि का अनुमान लगाया गया था और इसके लिये चालू वर्ष के आय-व्ययक में उपबन्ध कर दिया गया था । परन्तु अब १६.९९ करोड़ रुपये की हानि का अनुमान लगाया गया है । वित्त उपमंत्री कहते हैं कि यह राशि १९ करोड़ थी । हमारी यह समझ में नहीं आ रहा है ।

श्री किदवई : गत वर्ष या उस से पहिले वर्ष एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि १९५१-५२ में कितनी सहायता दी गई थी । उधार लिए हुए गेहूं का मूल्य घटाने के लिये वहां १९ करोड़ दिखाये हुये हैं । गणना के पश्चात् वह राशि १६.९९ करोड़ रुपये के लगभग आती है । प्रति वर्ष बेचने के पश्चात् अन्तिम हानि यह आई है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : तो क्या हम यह समझें कि ऐसा मूल्य गिर जाने या किसी अन्य कारण से हुआ है ?

श्री किदवई : में तीन स्थानों से गेहूं मिल रहा था । एक तो अर्जेन्टाइना से वस्तु विनिमय करके । दूसरा रूस से वस्तु-विनिमय करके । इसके अतिरिक्त हम अन्तर्राट्रीय मंडियों से और खुले बाज़ार से खुले बाज़ार के भाव पर भी खरीदते थे । अर्जेन्टाइना से वस्तु-विनिमय का भाव तो लगभग अन्तर्राट्रीय बाज़ार का भाव था; रूस का भाव भी यही था । पहिले वस्तु विनिमय में हमने कुछ अधिक दिया था । परन्तु दूसरे स्थानों से प्राप्त अनाज के भावों को घटा कर खुले बाजार के भावों के स्तर पर लाने के लिये हमें हानि उठानी पड़ी । यह अर्थ-सहायता देनी पड़ी । गेहूं का मूल्य ३५ किस्तों में चुकाना पड़ेगा अतः यह अर्थ सहायता ३५ किस्तों में देनी होगी ।

श्री टी० एन० सिंह : पहिले तो जो हानि होती थी वह प्रति वर्ष के आय-व्ययक में से वसूल कर ली जाती थी । अब यह १५ वर्ष में वसूल करने की प्रक्रिया क्यों अपनाई गई है ?

श्री किदवई : मैं ने तो ३५ वर्ष कहा था, मुझे मालूम नहीं मेरे मित्र १५ वर्ष कहां से ले आये हैं । मैं ने यह कहा था कि क्यों कि इस गेहूं का मूल्य ३५ वार्षिक किस्तों में चुकाना पड़ेगा अतः प्रत्येक किस्त के साथ हम हानि भी दे देते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह हानि अब नहीं हुई है; यह ३५ किस्तों में चुकाई जा रही है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या इस में व्याज भी सम्मिलित है ?

श्री किदवई : इस धन की देशी गेहूं का मूल्य घटा कर संचय मूल्य तक लाने के लिये आवश्यकता पड़ी थी ।

श्री के० पी० त्रिपाठी (दरांग) : कल प्रश्नों के समय जब यह पूछा गया था कि आसाम में संचय मूल्य के भाव पर गेहूं क्यों नहीं बेचा गया था, तो माननीय मंत्री ने कहा था कि इस का कारण यह कि वहां गेहूं को पीसने की कोई व्यवस्था नहीं है । जहां तक मैं जानता हूं वहां गेहूं का आटा पीसने की तो व्यवस्था है किन्तु मैदा तैयार करने की कोई व्यवस्था नहीं है । आसाम में गेहूं की कुल खपत का केवल २० प्रतिशत मैदा लगता है । अतः यदि माननीय मंत्री आटा पीसने के लिये गेहूं भेज दें और मैदे के लिये गेहूं रख लें तो आसाम को १० रुपये प्रति मन की बचत होगी ।

श्री किदवई : बहुत अच्छा ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : यह बहुत अधिक बचत होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय संदस्य भारत सरकार के विभिन्न विभागों में बचत के उपाय सुझा रहे हैं ।

श्री किदवई : नहीं, श्रीमान्, वह आसाम में बचत के उपाय सुझा रहे हैं । मेरे विचार में इस प्रश्न का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : और मांगें भी हैं । इस विषय में नहीं किन्तु सामान्य रूप से बहुत सी बातें कही जा सकती हैं ।

प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च, १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में 'विविध विभागों और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत' जो व्यय होगा उसके लिये राष्ट्रपति को १५,००,००० रुपये तक की अनु-पूरक राशि दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग संख्या ७१—न्याय का प्रशासन

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च, १९५४ को समाप्त होने

वाले वर्ष में 'न्याय के प्रशासन' के निमित्त जो व्यय होगा उस के लिये राष्ट्रपति को २६,००० रुपये तक की अनुपूरक राशि दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग संख्या ८४--विविध विभागों और उत्पादन मंत्रालय के अन्तर्गत व्यय

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि:

"३१ मार्च, १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में 'विविध विभागों और उत्पादन मंत्रालय के अन्तर्गत' जो व्यय होगा उसके लिये राष्ट्रपति को ३१,६०,००० रुपये तक की अनुपूरक राशि दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग संख्या ८६--विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है कि :

"३१ मार्च १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में 'विस्थापित व्यक्तियों पर' जो व्यय होगा उस के लिये राष्ट्रपति को ५०,२८,००० रुपये तक की अनु-पूरक राशि दी जाये ।"

फरीदाबाद की बस्ती पर अति-व्यय

श्री वी० पी० नायर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को एक एक करके बुलाऊंगा । वे इन सब विषयों पर बोल सकते हैं ।

(१) पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की सहायता पर व्यय ।

(२) फरीदाबाद की बस्ती के विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय ।

(३) दरिद्र विस्थापित व्यक्तियों के लिये मिट्टी के झोपड़ों का निर्माण ।

(४) गृह-निर्माण के ऋणों की छट के लिये राज्यों को प्रतिशोधन ।

श्रीमती रणु चक्रवर्त्ती : मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

(१) "'विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

(२) "'विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

(३) "'विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

(४) "विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : श्रीमान्, इन सब विषयों के लिये रुपयों का उपबंध पहले ही कर दिया गया था । यह केवल अतिरिक्त व्यय है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के शब्द कुछ भी हों मैं माननीय सदस्यों से यह बात याद रखने को कहूंगा । वे इस पर केवल चर्चा कर सकते हैं । ये कटौती प्रस्ताव मांग संख्या २० से २३ तक सम्बन्धित हैं जिन पर पहले ही मत लिया जा चुका है । यदि वह इस तथ्य से संतुष्ट नहीं हैं कि अतिरिक्त व्यय आवश्यक है तो वे नीति में न जाकर उस पर बोल सकते हैं ।

श्रीमती रणु चक्रवर्ती : मैं कदापि सिद्धान्त के विरोध में नहीं हूं । मैं सदन से यह कहना चाहती हूं कि माननीय सदस्य किस तरह यह सोच सकते हैं कि उनके स्वयं

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

के प्रतिवेदनों के आधार पर उक्त कैंप में हमारे पास केवल २०,००० व्यक्ति रहेंगे। यह विचित्र बात है। हम सदैव कहते रहे हैं कि सरकार द्वारा की गई गणना गलत है। अब हम देखते हैं कि यह संख्या २०,००० से बढ़ कर ६५,००० हो गई है। हमें पचास लाख रुपया चाहिये। इस विषय पर मुझे स्पष्टीकरण चाहिये। मेरा विचार है कि खाद्य मंत्री इस विषय में अधिक नहीं जानते हैं।

मुझे एक बात और कहनी है बजट के समय से ही एक तथ्य-निरूपण समिति बनाई गई है और उसने कतिपय नवीन प्रस्ताव दिये हैं। तथ्य-निरूपण समिति के बाद से ही यह आशा की गई थी कि प्रशासन और शिविरों के निराश्रित व्यक्तियों की समस्या में कुछ पुनर्गठन होगा। किन्तु वस्तुतः क्या इस आधार पर यह रुपया दे रहे हैं? यह उस आधार पर नहीं किन्तु नवीन आधार पर हम यह रुपया दे रहे हैं और मुझे विश्वास है कि इसका उचित व्यय किया जायगा। मेरा विश्वास है कि शिविरों का व्यय कार्य के स्थानों पर भी किया जा सकता है। नवीन नीति उन्हें अधिक समय तक शिविरों में रखने की नहीं किन्तु काम के स्थानों पर रखने की है। हम आश्वस्त होना चाहते हैं कि कृषकों को अतिरिक्त व्यय के रूप में यह जो रुपया दिया जा रहा है उसका अत्यंत उत्कृष्ट ढंग से उपयोग किया जायगा।

दूसरी बात मिट्टी की कोठरियों के विषय में है। मिट्टी की कोठरियों को बनाने के सम्बन्ध में विशिष्ट अवस्था है। १९५२-५३ में ४३ लाख रु० का उपबंध किया गया था और १९५२-५३ में इस में से केवल सात लाख रु० व्यय किया गया। यह एक बड़ा अन्तर है उसी वर्ष गिरगांव में २५०० मिट्टी की कोठरियां थीं और एक वर्षा में ही उनमें से १५०० कोठरियां नष्ट हो गईं और तब भी हम देखते हैं कि यह रकम व्यय नहीं की गई है। इस वर्ष १५ लाख रुपयों का उपबंध है और अब माननीय मंत्री ५ लाख रु० और चाहते हैं। शरणार्थियों की मांग अच्छे मकानों के सम्बन्ध में है। १९५२-५३ में आपके पास ४३ लाख रु० का उपबंध है इसका अर्थ है कि आप उसे खर्च कर सकते हैं। आप बिना शौचालय के कच्चे घरों के स्थान पर अच्छे घर बनाने में उसका उपयोग क्यों नहीं करते?

श्री वी० पी० नायर : फरीदाबाद के निवासियों के लिये लाभ वाले काम की व्यवस्था के लिये ३ लाख रु० की मांग है। यह ऐसा विषय है जिसके सम्बन्ध में सदन को कतिपय तथ्य मालूम होना चाहिये कि यह रकम क्यों आवश्यक है। आपको मालूम होगा कि पिछले सत्र में फरीदाबाद के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने अनेक आश्वासन दिये थे किन्तु यह वस्तुतः निराशा की बात है कि वहां दुःखी शरणार्थियों को बसाने के स्थान पर कतिपय सेवामुक्त पदाधिकारियों को वहां बसा दिया गया है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री ने जो योजना अभी तक रखी है क्या वे उसे जारी रख रहे हैं अथवा प्रशासन की कमियों और त्रुटियों को दूर कर वह उस पर पुनः विचार कर रहे हैं।

श्री वेलायुधन : मैं एक जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री दास बोलेंगे।

श्री बी० के दास : पृष्ठ १९ पर मद संख्या (ग) (१) के संबन्ध में ८-१०-१९५३ को संख्या ६५,००० थी। सरकार ने बताया था कि अक्तूबर १९५२

में यह संख्या १,२०,४८६ थी । मैं समझता हूं कि उसमें स्थायी-भार शिविरों और महिला पुनर्वास शिविरों में रहने वाले व्यक्ति भी सम्मिलित थे। यदि हम ये लगभग २५,००० तथा कुछ अन्य केन्द्रों में रहने वालों की संख्या घटा दें तो फिर वही संख्या आ जाती है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस विषय पर प्रकाश डालेंगे ।

दूसरी बात यह है कि पहली सितम्बर १९५३ को इन शिविरों में ६८,४४४ व्यक्ति थे और बंगाल सरकार का कहना है कि उन व्यक्तियों को पुनर्वासित करने में बहुत कठिनाई हुई है जो वहां पर एक वर्ष से अधिक से हैं। उनका कहना है कि इसका मुख्य कारण भूमि की कमी है । बंगाल के पुनर्वास मंत्री के कथनानुसार उनमें लगभग ९,७६८ कृषक परिवार और ५,५८७ परिवार मछली पकड़ने वालों एवं अन्य व्यवसाय वाले लोगों के हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि भूमि की व्यवस्था करना कठिन था तो मछली पकड़ने वाले तथा अन्य व्यवसाय वाले परिवारों को पुनर्वास शिविरों में एक वर्ष या अधिक समय तक के लिये काम करने क्यों नहीं भेजा गया ।

दूसरी बात मद (घ) के सम्बन्ध में है । उसमें कहा गया है कि हैदराबाद के लोगों की सहायता की जा रही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या १९४८ में ये लोग विस्थापित थे और अभी तक उनकी क्या दशा थी और उन्हें क्या सहायता दी गई । उनकी सहायता के लिये पांच लाख रुपयों की मांग की गई है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन चार, पांच वर्षों में उन्हें कोई सहायता दी गई है ।

श्री वेलायुधन : श्रीमान्, क्या म जान सकता हूं कि क्या फरीदाबाद का नया प्रशासकीय अधिकारी शरणार्थी-विरोधी विचारों वाला व्यक्ति है, और उसने वहां के लोगों पर बहुत अत्याचार किये हैं और इन्हीं के फलस्वरूप वहां पर बहुत सी हड़तालें और अन्य कठिनाइयां पैदा हुईं । मेरे पास एक पत्र है जिसमें कहा गया है कि शरणार्थियों के दमन के लिये उक्त अधिकारी ने गुंडों से सहायता ली है ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यहां पर यह प्रसंग सर्वथा असंगत है ।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा): पृष्ठ १८ के उपशीर्षक (क) लाहौर तथा कराची स्थित भारतीय सम्पत्ति संस्थाओं के जीवन काल को बढ़ाने के कारण बताये गये हैं । इन संस्थाओं के लिये ६५,००० रुपयों की मांग की गई है । यह कहा गया है कि इनका जीवन काल इसलिये बढ़ाया गया है क्योंकि चल सम्पत्ति के सम्बंध में पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत चल रही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि पहले किन कारणों से इन संस्थाओं को १-४-५३ को बन्द कर देने का निश्चय किया गया था और अब और कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से इन्हें जारी रखा जा रहा है इन संस्थाओं का वास्तविक कार्य क्या है और इन से उक्त बात-चीत में क्या सहायता मिलेगी। भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को इस सम्बन्ध में ग्यारह पत्र भेजे पर अभी तक उत्तर नहीं आया है । फिर इन वार्ताओं की प्रतीक्षा करना और इन संस्थाओं को जारी रखना कहां तक उचित है ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : इस मांग के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि इन ५०० निवास स्थानों में एक परिवार के लिये कितना स्थान होगा और उन में कितने व्यक्ति रह सकेंगे । हम जानते हैं कि जो कच्ची झोपड़ियां बनाई गई थीं, उनमें स्थान की बहुत तंगी थी । अतः मैं यह सुझाव दूंगा

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

कि इस प्रकार के निवास स्थान की व्यवस्था उचित नहीं हैं।

दूसरी बात यह है कि फरीदाबाद में फैली बेकारी के लिये तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। आर्थिक सहायताओं से बेकारी दूर नहीं हो सकती। उसके लिये कोई ठोस उपाय ढूंढे जाने चाहियें ताकि यह समस्या हमेशा के लिये समाप्त हो जाये।

श्री ए० पी० जैन : काफी महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये गये हैं। उनके लिये समय तो बहुत चाहिये पर मुझे जो कहना है वह मैं संक्षेप में कहूंगा।

पश्चिमी बंगाल में आय व्ययक बनाते समय वहां के शिविरों में इनकी संख्या १,२२,००० थी जिनमें से ४०,००० स्थायी-दायित्व के रूप में थे। शेष ८३,००० व्यक्ति सहायता शिविरों में रह रहे थे तथा इनको फिर से बसाय जाने की आशा थी। हम उस समय यह आशा कर रहे थे कि हमें कुछ भूमि मिल जायेगी और हम इन शिविरों के परिवारों को भिन्न भिन्न व्यवसायों में भूमि पर बसा देंगे और इस प्रकार वर्ष १९५३-५४ में इन शिविरों की औसतन जन संख्या में काफी कमी हो जायेगी। और कुछ मुकदमेबाज़ी के कारण भूमि योजना अधिनियम के कुछ उपबन्ध रद हो गये और भूमि-अर्जन की हमारी आशा पूरी न हो सकी। पश्चिमी बंगाल में वैसे तो भूमि की कमी है और साधारणतः शरणार्थी पश्चिमी बंगाल से बाहर भी नहीं जाना चाहते। उनके द्वारा अपने लिये भूमि अर्जित करने की कठिनाइयां काफी हैं। अतएव हमारी भी आशायें पूरी नहीं होंगी और इसी लिये हमने अनुपूरक अनुदान की मांग की है।

स्थायी दायित्वों के अतिरिक्त शिविरों की वर्त्तमान जनसंख्या लगभग ६०,००० होगी। इसको घटा कर लगभग हम २३,००० तक ले आये हैं, किन्तु यदि वर्त्तमान कठिनाइयां चलती रहीं तो मुझे भय है कि पुनर्वास के इस कार्य में देर हो जायेगी क्योंकि जब तक हमको भूमि नहीं मिलती तब तक इन को बसाना संभव नहीं है, और यही कारण है कि हमारे अनुमान पूरे नहीं हो सके।

इन अनुपूरक अनुदानों के अधीन रामचन्द्र पुरा की चर्चा करना उचित नहीं है। किन्तु फिर भी श्रीमती रेणु चक्रवर्ती द्वारा किये गये प्रश्नों के बारे में स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। उन्होंने पूछा है कि कुछ व्यक्तियों को तो मकानों के बनाने के लिये २,२५० रुपये दिये गये जब कि दूसरों को केवल ५०० रुपये ही दिये गये हैं। यह भेद भाव क्यों है? मकान बनाने के लिये ऋण विभिन्न स्थानों पर विभिन्न योजनाओं के अधीन दिये जाते हैं। ग्रामीण बस्तियों में ५०० रुपये के हिसाब से तथा शहरी क्षेत्रों में कम से कम १,२५० रुपये और जो व्यक्ति मकान का शेष पूरा खर्चा उठाने के लिये तैयार है, उसको हम ७५ प्रतिशत ऋण और भी दे देते हैं। चूंकि ये लोग शहरी क्षेत्रों में बसते हैं, अतएव उनको अधिक ऋण दिया जाता है।

फरीदाबाद के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही गई हैं। जिन व्यक्तियों को अस्थायी तौर पर काम दिया गया है, उनको कुछ आर्थिक सहायतायें भी दी जाती हैं। इसीके लिये हमें धन की आवश्यकता है। फरीदाबाद में नौकरी की समस्या कुछ अधिक है। वहां ६०,००० व्यक्तियों में से २५,००० व्यक्ति स्थायी नौकरी में हैं। मैं यह मानता हूं कि आर्थिक सहायता देना सहायता का अच्छा

ढंग नहीं है, किन्तु बीच के समय में हमको यह देनी पड़ती है। फरीदाबाद की समस्या को विभिन्न प्रकार से सुलझाने का हम प्रयत्न करते रहे हैं। वहां के लगभग १२००० व्यक्तियों के भूमि सम्बन्धी दावे हैं। मैंने उन व्यक्तियों को बीकानेर में कुछ अच्छी भूमि देने का प्रस्ताव किया है।

इन भूमियों में सिंचाई की उचित व्यजस्था है। प्रत्येक परिवार को चाहे उनके जांच किय गये दावे कितने के भी हों, मैंने कम से कम ८ एकड़ भूमि का क्षेत्र देने का प्रस्ताव किया था। अधिक से अधिक क्षेत्र ४० एकड़ भूमि का था। इसके अतिरिक्त प्रत्येक परिवार को हमने ८०० रुपया का ऋण देने का प्रस्ताव किया था। किन्तु एक भी परिवार वहां नहीं गया। उनमें से कुछ परिवारों से मैं ने प्रस्ताव किया कि वे देहली आजायं और वहां बस जायें क्यों कि वहां बसने के लिये अधिक विस्तृत क्षेत्र है। मैंने उनसे कहा था कि मकान बनाने के लिए या तो हम उन्हें ५०० रुपया की आर्थिक सहायता देंगे अथवा बना बनाया मकान देंगे। एक भी परिवार नहीं आया। फरीदाबाद में स्थिति यह है कि ये लोग हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं; और कठिनाइयां निरंतर बढ़तो जा रही हैं। यद्यपि मैं एक कार्य कर सकता हूं कि फरीदाबाद में इनको और अधिक नौकरो न दूं ताकि ये लोग या तो भूखे रहने के कारण वहां से आयें या फरीदाबाद से ज़बरदस्ती उनको निकालूं। जब तक मजबूर ही न हो जाऊं मैं ये कार्य करना नहीं चाहता, और हम बराबर आर्थिक सहायता दे रहे हैं। हमें यह सहायता बन्द करनी पड़ेगी। वहां कुछ उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में हम कुछ कार्यवाही कर रहे हैं। हम 'वीयरवेल साइकिल कम्पनी', 'हिन्दुस्तान इलेक्ट्रिकल्स', 'स्पन पाइप इंडिया लि०', 'टाटा' आदि से बात चीत कर रहे हैं कि वे अपना उद्योग वहां प्रारम्भ करें। माननीय सदस्य यह भली भांति जानते हैं कि किसी बड़े उद्योग का चलाना कोई आसान बात नहीं है और विशेष रूप से उस समय जब कि आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी न हो और बेकारी निरंतर बढ़ रही हो। फरीदाबाद में बेकारी को कम करने के लिये या तो वहां के निवासियों का सहयोग, अथवा बल का प्रयोग करना आवश्यक होगा। हमने बल के प्रयोग को सदैव ही टाला है और टालने का यथासम्भव प्रयत्न करेंगे। किन्तु यदि स्थिति उचित रूप से नियंत्रण में न आ सकी तो हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा।

मुझे खेद है कि प्रविधिक संस्था के अधिकारी के लिये अनवांछित उक्तियों का प्रयोग किया गया है। ऐसी धारणा बना ली है कि मानो हमने उसे यूरोप भेजा हो। वह अपने खर्च से यूरोप भले ही गया हो किन्तु हमने उसे नहीं भेजा था। काम करने की शर्तें यद्यपि उसके लिए दुःसह हैं। उसे बहुत ही साधारण वेतन—एक रुपया प्रतिमास—मिलता है क्योंकि हम उसे सरकारी कर्मचारी बनाना चाहते थे। इसके अतिरिक्त वह कुल लाभ का ३३१/३% लाभ पाने का अधिकारी है। जो कि नहीं के बराबर हैं। वास्तव में इस प्रविधिक संस्था को हम काफी हानि के साथ चला रहे हैं। पिछले ८ महीनों में जब से इस सज्जन व्यक्ति ने कार्य प्रारम्भ किया है, एक पाई भी इसे नहीं मिली है। मैं यह बात बराबर सोच रहा हूं कि क्या यह अन्याय नहीं है कि वह सारे दिन कार्य करता है और एक पाई भी उसे नहीं मिलती। वास्तव में मैं यह सोच रहा हूं कि क्यों न इसे थोड़ा सा वेतन देना शुरू करूं और इसकी नौकरी की शर्तों में सुधार कर दूं।

प्रशासक के सम्बन्ध में भी कुछ अच्छी बातें नहीं कही गई हैं। उनके बारे में मैं कह सकता हूं कि वह एक वह पदाधिकारी है

[श्री ए० पी० जैन]

जिन्हें काफी अनुभव है, और एक वर्ष के काल में जब से वह वहां गये हैं प्रशासक के नाते उन्होंने अमूल्य सेवा की है और विस्थापित व्यक्तियों की देखभाल यथासंभव सहानुभूति के साथ की है।

हैदराबाद के विस्थापित व्यक्तियों के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न किये गये हैं। ये व्यक्ति मुसलमान हैं और अधिकांशत: वही है जो पुलिस कार्यवाही के कारण अपने निवास स्थानों से विस्थापित हुए हैं। मूलत: उनकी देखभाल हैदराबाद सरकार द्वारा हो रही थीं। विभिन्न बातों में उन्हें सहायता की आवश्यकता थी, जिसके अनुसार उन्हें सहायता देने का हमने प्रस्ताव किया। इनको सहायता देने का निश्चय हमने पिछले वर्ष किया। मैं उस स्थान पर गया और पूरी समस्या को भली प्रकार से समझा। इन व्यक्तियों को सहायता देने का दायित्व अब भारत सरकार ने ले लिया है और उसके लिये उपबन्ध भी बना लिये हैं।

सरदार हुक्म सिंह ने सम्पत्ति संगठन के बारे में प्रश्न किया है कि करांची तथा लाहौर में सम्पत्ति संगठन को बंद करने के लिये हम क्यों सोच रहे हैं और यह संगठन क्या कार्य करता है ? इस संगठन के कार्य यह हैं : चल सम्पत्ति को स्वदेश भेजने में सहायता करना, जानकारी इक्ट्ठा करना और उसे पत्र व्यवहार करने वालों को भेजना ; तथा पाकिस्तान के अधिकारियों से बातचीत करना। एक बार निष्काम्य सम्पत्ति सम्बन्धी बातचीत हमारे तथा पाकिस्तान सरकार के बीच एक प्रकार से ठप्प सी हो गई थी और हम यह अनुभव कर रहे थे कि अब इस संगठन की और अधिक आवश्यकता नहीं है। हमने सोचा कि हम इस संगठन को १ अप्रैल १९५३ से बन्द कर देंगे। यद्यपि उन दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा कुछ ऐसे वक्तव्य दिये गये जिनसे हमें कुछ आशा हुई और हमने सोचा कि यदि चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में बातचीत कुछ सफलता के निष्कर्ष तक पहुंचती है तो हमें इस संगठन की आवश्यकता होगी, और इस संगठन को बन्द करना उस समय चतुराई की बात नहीं होगी अतएव इसीलिए हमने अनुपूरक अनुदान की मांग की है।

पण्डित ठाकुर दास भार्गव और अन्य माननीय सदस्यों ने सस्ते घरों के सम्बन्ध में कुछ कहा है। सस्ते घरों की योजना के अधीन हम यह काम करते हैं। हम विकसित भूमि का १०० वर्ग गज़ दे देते हैं। बेशक इस विकास का वह स्तर नहीं है जो कि हमारी नियमित बस्तियों का है। फिर हम ५०० रुपये की चुकती राशि अनुदान स्वरूप दे देते हैं। वे भले ही ५०० रुपये में ही रचना कार्य न करवाएं। यह मुफ्त अनुदान है जिस के लिए उन्हें ब्याज अथवा किराया नहीं देना पड़ेगा। साधारणतया यह योजना बहुत लोकप्रिय रही है और विस्थापित व्यक्ति उन घरों की अपेक्षा जो हम २०००, ३०००, और ४००० रुपये के बनाते हैं इस ५०० रुपये का अनुदान प्राप्त करना अच्छा समझते हैं। वे स्वयं कुछ धन लगा देते और रचना उन्हें करनी होती है। यह वैकल्पिक अनुदान है। इस प्रकार हम तुम्हें भूमि का टुकड़ा भी देते हैं और धन भी देते हैं। रचना का भार आप पर है। यदि वे इसे न चाहें तो हम उन्हें बाध्य नहीं कर सकते। निन्दा की बजाए इस योजना की प्रशंसा हो रही है।

ये कुछ बातें कही गई थीं और यदि वे प्रश्न करें तो मैं उन्हें उत्तर दूंगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैंने मिट्टी के झोंपड़ों के लिए एक अनुदान के सम्बन्ध में

प्रश्न पूछा था कि क्यों प्रथम वर्ष में वह योजना इतनी लोकप्रिय थी कि उस पर ४८ लाख रुपये में ७ लाख रुपये व्यय हुए।

श्री ए० पी० जैन : मैंने सस्ते घरों के सम्बन्ध में ही कहा है।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या १-४-५३ के पश्चात् कोई सम्पत्ति लौटाई गई है?

श्री ए० पी० जैन : जी नहीं। पाकिस्तान ने चल सम्पत्ति समझौते का अनुसमर्थन कर दिया है परन्तु इसका प्रवर्तन १ जनवरी १९५४ से आरम्भ होगा।

श्री वी० पी० नायर : माननीय मंत्री ने खेद प्रकट किया है कि मैंने कुछ ऐसे पदाधिकारियों की निन्दा की है जो कर्म कुशल हैं। मैं सभा को और माननीय मंत्री को बताना चाहता हूं कि जो कुछ मैंने पहले कहा है वह न केवल श्री मधुसूदन सिंह ने मुझे बताया था वरन् श्री ए० पी० जैन और श्री मेहरचन्द खन्ना भी उसे उस पद पर चाहते थे।

श्री ए० पी० जैन : हां श्रीमान्। मैं उसे वहां रखना चाहता हूं।

श्री वी० पी० नायर : अन्य कटौती प्रस्तावों पर मुखबंध करने से पूर्व मैं एक मांग के सम्बन्ध में आपका निर्णय चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब कुछ नहीं हो सकता।

श्री के० के० बसु : इससे पूर्व कि आप मुखबंध करें मैं चीनी के आयात के सम्बन्ध में एक बात जानना चाहता हूं। पहले दो लाख टन चीनी के आयात का निर्णय किया गया था परन्तु अब इसमें ५०००० टन की वृद्धि की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि यदि मुखबंध के समय कोई बात रह जाए तो उन्हें माननीय मंत्री को लिखना चाहिये और यदि वह सार्वजनिक महत्व का हुआ तो माननीय मंत्री सूचना देंगे।

श्री किदवई : यदि मुझे प्रश्न भेजे जाएंगे तो मैं उत्तर दूंगा।

श्री वी० पी० नायर : मुखबंध ६.२७ प० म० पर होना है। यदि आप मुझे आधा मिनट दें तो मैं आपके निर्णय के लिए एक प्रश्न उठाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले यह समाप्त कर लूं और फिर औचित्य प्रश्न को सुनूंगा।

प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में क्रमपत्र के स्तम्भ दो में निविष्ट निम्नलिखित मांगों के निमित्त जो व्यय होगा उसके लिए उक्त क्रमपत्र के स्तम्भ तीन में दिखाई गई राशियों तक अनुपूरक राशियां राष्ट्रपति को दी जाएं :

मांग संख्या ८६, ९५, १२५ तथा १३८।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगों के जो प्रस्ताव सदन ने स्वीकृत किये वे नीचे दिये जाते हैं

मांग संख्या ८६—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय

५०,२८००० रुपये।

मांग संख्या ९५—राज्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय

९५,२३,००० रुपये।

मांग सं० १२५—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अन्य पूंजी विनियोग

११,७२,००,००० रुपये।

मांग संख्या १३८—यातायात मंत्रालय के अन्य पूंजी विनियोग

१८,५०,००० रुपये।

श्री वी० पी० नायर : मैं मांग संख्या १०७ के विषय पर, जिसका सम्बन्ध अध्यक्ष के वेतन से है, चर्चा करने के लिये एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता था।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य मद के लिये वसूल किये गये धन सम्बन्धी किसी मांग पर चर्चा करना चाहते हैं तो निश्चय ही सदन को चर्चा करने का अधिकार है। परन्तु अब हमें कार्य समाप्त करना है अतः मैं माननीय सदस्य को अवसर नहीं दे सकता हूं। सदन तथा माननीय सदस्य के विचार करने के लिये मैं यह बताना चाहता हूं कि सामान्यतः संसद् सम्बन्धी मांग पर सदन में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। क्योंकि ऐसे करने से अध्यक्ष सरकार के हाथों की कठपुतली बन जाता है। अतः सामान्य पद्धति यह है कि सदस्य अध्यक्ष के पास जायें तथा मामले के संबंध में सूचना मांगें और अपने को सन्तुष्ट करें। इस का कारण यह नहीं है कि हम यहां किसी विषय पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। संसद सर्वोच्च है। कार्यालय तथा अन्य बातों पर सूचना अध्यक्ष से प्राप्त की जा सकती है।

श्री वी० पी० नायर : मेरी कठिनाई यह थी कि मैंने जब कार्यालय से पूछा तो उसने कहा कि इस संबंध में एक रीति है, एक प्रथा है। इस पद्धति में, १९२९ में, श्री मो० रफी के एक प्रश्न के उत्तर में अध्यक्ष (प्रेसीडेन्ट आफ़ दी हाउस) ने अपना निर्णय दिया था। हम उस विषय पर वार्ता करेंगे.....

उपाध्यक्ष महोदय : नही, नहीं। शान्ति, शान्ति। यदि किसी विशेष विषय पर कोई और बात उत्पन्न होती है कि हम उस पर वार्ता करेंगे। केवल संसद् सचिवालय के मामलों के सम्बन्ध में, प्रथम बार, जहां तक सम्भव हो, उन्हें माननीय अध्यक्ष से प्रार्थना करनी पड़ेगी।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं यह समझूं कि आपका निर्णय यह है कि हम सचिवालय तथा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के सम्बन्ध में किसी मामले पर सदन में वार्ता कर सकते हैं अथवा यह है कि हमें अध्यक्ष-कक्ष में जाना चाहिये.....

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। शान्ति, शान्ति। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सचिवालय के बारे में वार्ता करने का कोई प्रश्न नहीं है। समय न होने के कारण मैंने कोई निर्णय नहीं दिया है अन्यथा मैंने इस पर विचार किया होता।

अब मैं विनियोग विधेयक लूंगा।

विनियोग (संख्या ५) विधेयक

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि १९५३-५४ के वित्तीय वर्ष के लिये भारत की संचित निधि से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग को अधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री एम० सी० शाह : मैं विधेयक पुरः-स्थापित* करता हूं तथा प्रस्ताव* करता हूं कि :

> "उपरोक्त विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १ से ३ तक, अनुसूची, शीर्षक तथा अधिनियमन सूत्र विधमक का अंग बना लिये गए।

---

*राष्ट्रपति की सिफ़ारिश के अनुसार पुरःस्थापित तथा प्रस्तुत हुआ।

श्री एम० सी० शाह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ के संबंध में १९५३-५४ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामा राव के कटौती प्रस्ताव का सम्बन्ध सामान्य नीति से है तथा मांग संख्या ११ भी इसी सम्बन्ध में है । परन्तु सरदार हुक्म सिंह इस मांग पर बोलना चाहते हैं । अतएव इस मांग को छोड़ कर मैं शेष की सभी मांगों को सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं ।

प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च, १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में मांग संख्या ८, २८, ३४, ३६, ४१, ४२ तथा ४५ के निमित्त क्रमपत्र के पृष्ठ भाग ३ में उल्लिखित जिन क्रमशः अनुपूरक राशियों का व्यय होगा उसके लिए पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य-संघ की संचित निधि में से राष्ट्रपति को अपेक्षित कुल राशि दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत आ ।

निम्नलिखित अनुदानों की मांगों को सदन द्वारा स्वीकृत किया गया :

मांग संख्या ८—सिंचाई

मांग संख्या २८—चिकित्सा

मांग संख्या ३४—विविध विभाग

मांग संख्या ३६—नागरिक कार्य

मांग संख्या ४१—लिखने पढ़ने का सामान तथा छपाई

मांग संख्या ४२—विविध

मांग संख्या ४५—सामुदायिक विकास परियोजनाएं ।

मांग संख्या ११—विधान मंडलों के चुनाव

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :

"३१ मार्च, १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में 'विभिन्न विधान मण्डलों के चुनावों' के निमित्त जो व्यय होगा, उसके लिए राष्ट्रपति को पैप्सू की संचित निधि में से ९,७०,५०० रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय ।"

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : अब आप क्या कहेंगे ?

सरदार हुक्म सिंह : अगर आप चाहें तो मैं कुछ नहीं कहता ।

डा० काटजू : अगर आप एलेक्शन नहीं चाहते तो न करवाया जाय ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

सरदार हुक्म सिंह : श्रीमान्, पिछले संविधान के स्थगन के समय निर्वाचन आयुक्त ने ऐसा विचार प्रगट किया था कि सम्भवतः नई निर्वाचन नामावलियों को तैयार किया जाय । उस समय भी मैंने कहा था कि नई नामावलियों में धन के व्यर्थ के नाश की आवश्यकता नहीं है । १,७०,००० रुपये की इस राशि को व्यर्थ में नष्ट किया गया है तथा अब हमें बताया गया है कि चुनावों को नई विधि के अन्तर्गत किया जायगा । जन प्रतिनिधान अधिनियम पर बहस के समय हमने विधि

[सरदार हुक्म सिंह]

मंत्री महोदय का कई एक त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाया था। उस समय उन्होंने ज़ोरदार शब्दों में यह आश्वासन दिया था कि पैप्सू में शीघ्र ही नई विधि के अन्तर्गत चुनाव किए जायंगे। खेद की बात है कि अब ये चुनाव उसी पुरानी विधि के अन्तर्गत ही किए जा रहे हैं। तब हमने यह सोचा था कि पुरानी विधि के अन्तर्गत चुनाव करने से उम्मीदवारों के समय तथा शक्ति को व्यर्थ में नष्ट किया जायगा। अब इन चुनावों के सम्बन्ध में ९,७०,५०० रु० की व्यवस्था की गई है, परन्तु चुनाव उसी त्रुटिपूर्ण विधि के अन्तर्गत किए जा रहे हैं। इससे जनता को कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। फिर, मुझे यह डर है कि जो बातें पहले हो चुकी हैं, वही फिर से न हों। पिछले कुछ दिनों से हम सुन रहे हैं कि दिल्ली से बड़े बड़े नेता वहां जाकर लोगों में यह बात फैला रहे हैं कि चुनावों में कांग्रेस के अलावा और कोई दल नहीं जीत सकता। यदि कांग्रेस नहीं जीतेगी, तो वही चीज़ें जो पहले हुई थीं, फिर से होंगी। किसी दूसरे दल को शासन नहीं करने दिया जायेगा। फिर से चुनाव की अनियमितताओं और आपत्तियों को उठाया जायेगा और इसी के आधार पर ग़ैर-कांग्रेस दल को उखाड़ फेंका जायेगा, संवैधानिक शासन को स्थगित कर दिया जायेगा और कांग्रेस को फिर सत्तारूढ़ करने का प्रयत्न किया जायेगा।

पिछले चुनावों में यह शिकायतें हुई थीं कि चुनाव पेटियों को तोड़ डाला गया और उनमें से वोटों को इधर-उधर कर दिया गया। लोगों को यह शिकायत थी चुनाव उचित तरीक़े से नहीं हुए हैं। हमारे प्रधान मंत्री ने भी इस बात को माना है कि पेटियों के बाहर के लेबलों को आसानी से हटाया जा सकता था और ऐसी शिकायतें आई भी हैं कि इस प्रकार की काफ़ी गड़बड़ की गई है।

माननीय गृह-मंत्री ने संवैधानिक शासन के स्थगित किये जाने के समय यह कहा था कि लोगों का शासन पर से विश्वास उठ गया है और वे यह समझते हैं कि इन परिस्थितियों में उचित चुनाव नहीं हो सकते। उनका कहना था कि यद्यपि चुनाव का प्रबन्ध करने के लिये चुनाव आयोग मौजूद है, फिर भी सारा काम राज्य कर्मचारियों द्वारा ही किया जायेगा जिन पर आम जनता का कोई विश्वास नहीं है। माननीय मंत्री उस समय उपचुनावों के बारे में कह रहे थे। अब, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस बारे में उचित क़दम उठा लिये हैं जिससे चुनाव ठीक तरह से हो सकें। यह कहना तो आसान है कि सब कार्यवाही कर ली गई है परन्तु मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि लोगों के दिलों में बहुत कुछ संदेह है और उन्हें यह डर है कि कहीं संवैधानिक शासन का अन्त कांग्रेस को फिर से सत्तारूढ़ करने के इरादे से तो नहीं किया गया है।

मेरा कहना तो केवल यह है कि आपको यह देखना चाहिये कि चुनावों के लिये उचित व्यवस्था हो गई है या नहीं। ऐसा न हो कि पुरानी शिकायतें फिर भी की जायें। पिछले चुनावों में यह शिकायत थी कि सरकारी अधिकारियों ने चुनाव में बहुत काफ़ी गड़बड़ की है। मेरा निवेदन यह है कि इन सब बातों के लिये उचित व्यवस्था की जानी चाहिये। जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, तब तक लोगों में विश्वास उत्पन्न नहीं होगा और प्रजातन्त्र के प्रति उनमें श्रद्धा जागृत नहीं होगी। इस बात की उचित व्यवस्था करना देश के हित में अत्यावश्यक है।

डा० काटजू : यद्यपि मैंने माननीय मित्र के भाषण को पूरी तरह सुना है, परन्तु मेरी यह समझ में नहीं आया कि वास्तव में वह

चाहते क्या हैं। यदि वह राष्ट्रपति के शासन को ही जारी रखना चाहते हैं तो अच्छी बात है; हम चुनाव नहीं करेंगे। इससे काफ़ी रुपया भी बच जायेगा।

सरदार हुक्म सिंह : मेरे भाषण के बीच में एक माननीय मित्र ने कहा था कि गृह मंत्री सो रहे हैं। उस समय तो मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया परन्तु अब मुझे पता चला है कि वास्तव में मैंने जो कुछ कहा वह सब बेकार गया।

डा० काटजू : यदि उन्हें यह शंका है कि नये विधेयक के पारित होने तक चुनाव नहीं होना चाहिए, तो इसका उत्तर यह है कि हम सब जानते हैं कि यह विधेयक अब पारित नहीं किया जायेगा। इस पर बजट सत्र में चर्चा की जायेगी, जो पांच सात दिन तक जारी रहेगी। इसके बाद यह राज्य परिषद् में प्रस्तुत होगा। तो उस समय मैं खुले आम कह सकूंगा कि एक दल के नेता के कहने पर पैप्सू में चुनाव स्थगित कर दिये गये हैं और राष्ट्रपति का शासन जारी रहेगा। और मैं एक वक्तव्य जारी करूंगा जिस में कारण दिये जायेंगे।

चुनाव अधिकरणों ने बहुत से निर्णय दिये हैं। पहले चुनाव के सम्बन्ध में यह शिकायत की गई थी कि बहुत से नाम-निर्देशन पत्र अनुचित रूप से स्वीकृत या अस्वीकृत कर दिये गये हैं। मैं आशा करता हूं कि अब ऐसा नहीं होगा। जहां तक स्वतन्त्र निर्वाचनों का सम्बन्ध है, मैं और क्या कर सकता हूं ? माननीय सदस्य बतलायें कि मुझे कौन से ठोस पग उठाने चाहियें। दो दिन पूर्व समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि सब सरकारी कर्मचारियों को सख्त से सख्त हिदायतें दी गई हैं कि वे चुनाव व्यवस्था से कोई सम्बन्ध न रखें। मेरे विचार में यदि अगले दो मासों में चुनाव हुआ तो सब दल अपना अधिक से अधिक जोर लगायेंगे। हम केवल इतना ख्याल रखना चाहते हैं कि वे अपना कार्य उचित रूप से करें। मतदान के समय यह देखना चुनाव आयोग या इस के अधिकारियों का काम होगा कि मतदान पेटियों के साथ छेड़खानी न की जाये, मुहरें ठीक लगाई जायें इत्यादि। और मैं क्या कर सकता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च, १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में विधान मंडलों के चुनावों के निमित्त जो व्यय होगा, उसके लिए राष्ट्रपति को पैप्सू राज्य की संचित निधि में से ९,७०,५०० रुपये तक की अनुपूरक राशि दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ विनियोग (संख्या ३) विधेयक

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि १९५३-५४ के वित्तीय वर्ष में पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ के राज्य की संचित निधि में से कुछ अग्रेतर राशियों के भुगतान तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जायें।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम० सी० शाह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित* करता हूं और प्रस्ताव* करता हूं कि:

"विधेयक पर विचार किया जाये।"

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश की पुरःस्थापित तथा प्रस्तावित।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १ से ३, अनुसूची, शीर्षक तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बना लिये गये ।

श्री एम० सी० शाह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

राज्य परिषद् से संदेश

सचिव महोदय : श्रीमान्, मुझे राज्य-परिषद् के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :

(१) "राज्य परिषद् में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम १६२ के उप-नियम (६) के उपबंधों के अनुसार, मुझे लोक-सभा की ३ दिसम्बर, १९५३ की बैठक में पारित किये गये और राज्य-परिषद् को उसकी सिफ़ारिशों के लिए भेजे गये मणिपुर न्यायालय-शुल्क (संशोधन तथा वैधकरण) विधेयक, १९५२ को लौटाने और यह कहने का निदेश मिला है कि राज्य परिषद् को उक्त विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफ़ारिश नहीं करनी है।"

(२) राज्य-परिषद् में प्रक्रिया और कार्य-संचालन के नियमों के नियम, १२५ के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक-सभा को सूचित करने का निदेश मिला है कि राज्य-परिषद् ने अपनी १७ दिसम्बर १९५३ की बैठक में लोक-सभा की ४ दिसम्बर १९५३ की बैठक में पारित किये गये टेलीग्राफ तार (अवैध अधिकार) संशोधन विधेयक १९५२ को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।"

(३) राज्य-परिषद् में प्रक्रिया और कार्य-संचालन के नियमों के नियम १२५ के अनुसार मुझे लोक-सभा को सूचित करने का निदेश मिला है कि राज्य-परिषद् ने अपनी १९ दिसम्बर १९५३ की बैठक में लोक-सभा की ८ दिसम्बर १९५३ की बैठक में पारित किये गये रिज़र्व बैंक आफ़ इन्डिया (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक १९५२ को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।"

इसके पश्चात् सदन की बैठक सोमवार २१ दिसम्बर, १९५३ के डेढ़ बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।